खण्ड-105, अंक-6
शनिवार, 4 श्रावण, शक संवत् 1874
(26 जुलाई, 1952 ई0)

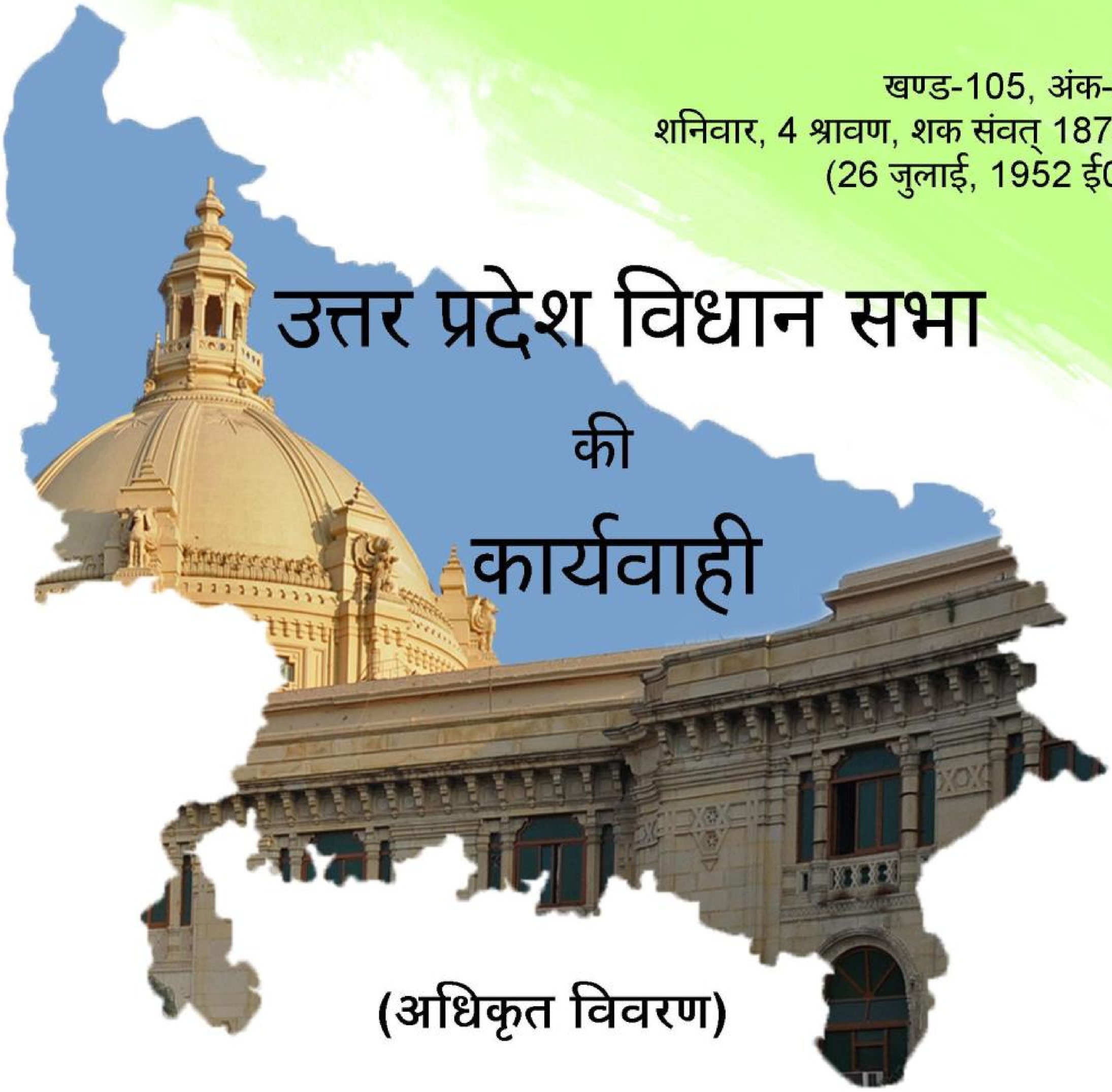

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 105 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1952

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २६ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६६)

ःसमान सिंह, श्री
प्रजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
ाशालता व्यास, श्रीमती
ःरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
ःमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
केन्दरलाल, श्री
केशन स्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती

चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्र शास्त्री, श्री
नरदेव सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खाँ, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़रहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राय, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल, दास, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

विधान सभा में समाजवादी दल को विरोधी दल मानने के संबंध में व्यवस्था

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक प्रश्न) है। कल इस सदन में जब माननीय शाहिद फाखरी भाषण कर रहे थे उस समय माननीय उपाध्यक्ष ने एक रूलिंग दी थी, उसमें उन्होंने बतलाया था कि "जो सोशलिस्ट दल के लोग अपोजीशन पार्टी में हैं उनको एक पार्टी का स्थान प्राप्त नहीं है लेकिन तब भी उनको वे सुविधायें दी जा रही हैं। वह एक वैधानिक अपोजीशन पार्टी नहीं है।" यह प्रश्न पहले भी उठ चुका है और आपने स्वयं कहा है कि हम लोगों को अपोजीशन पार्टी का अधिकार प्राप्त है। इस तरह से कुछ भ्रम पैदा होता है। मैं चाहता हूं कि अंतिम रूप से आप इस विषय में निर्णय दे दें।

अध्यक्ष—इसके ऊपर और कोई माननीय सदस्य प्रकाश डालेंगे?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—जहां तक मैं समझता हूं कोई रूलिंग इस संबंध में नहीं दी गई बल्कि माननीय उपाध्यक्ष ने स्पष्टीकरण किया था।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—आनरेबिल स्पीकर साहब, मैं कल यह अर्ज कर रहा था कि अगर लीडर आफ़ दि पार्टी नहीं तो वह लीडर आफ़ दि ग्रुप जरूर हैं। पार्टी बनाने के लिये एक तादाद मुकर्रर है और जब तक वह पूरी नहीं होती उस वक्त तक कोई पार्टी लीडर नहीं हो सकता। यही चीज पार्लियामेंट और हाउस आफ़ प्यूपिल में है। वहां पर भी ज्यादा तादाद अपोजीशन के मेम्बर्स की नहीं है और वहां भी लीडर आफ़ दि पार्टी नहीं, बल्कि लीडर आफ़ दि ग्रूप कहलाते हैं जब तक कि वह अपनी कानूनी तादाद पूरी न कर लें। इसलिये मैंने जो कहा था वह सही था। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने ऐसी कोई रूलिंग नहीं दी। तब भी मेम्बरान को चाहिये कि वे ऐसा न कहें।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सदन के कोई माननीय सदस्य इस सदन को "तमाशा घर" कह सकते हैं?

अध्यक्ष—यह तो आपने बीच में दूसरा सवाल उठा दिया।

अभी जो बैधानिक प्रश्न उपस्थित किया गया है कि विरोधी दल को दल कहा जाय, विरोधी पार्टी कहा जाय या ग्रूप कहा जाय, इस संबंध में कल इस सदन में फ़ाख़री साहब ने कुछ चर्चा की थी। इस तरह की चर्चा पहले भी इस सदन में उठ चुकी है पर मैंने उस समय यह कहा था कि मेरे पेश्तर जो स्पीकर महोदय थे उन्होंने यह निर्णय दिया था कि सोशलिस्ट पार्टी मुख्य विरोधी पार्टी मानी जाय। मैंने यह भी कहा था कि जब तक वह निर्णय कायम है तब तक सदन को मान लेना चाहिये कि वह एक मुख्य विरोधी पार्टी है और श्री राज नारायण जी उसके लीडर हैं और वह लीडर आफ दि अपोजीशन समझे जायं। यह फैसला मैंने दिया था और वह अब भी कायम है। कल वैसे ही मामूली तौर से जिक्र करते हुये एक दूसरे का विरोध करते हुये, जिस तरह से जिक्र आ जाता है उसी तरह का जिक्र यहां आया। उस पर कोई रूलिंग माननीय उपाध्यक्ष ने नहीं दी। उन्होंने केवल कुछ स्पष्टीकरण किया। अभी यह प्रश्न और जगह भी उपस्थित है कि किसको पार्टी माना जाय और किसे ग्रुप। विरोधी पार्टी में कितने सदस्य होने चाहिये तब पार्टी मानी जाय इस विषय में एक निर्णय केन्द्रीय पार्लियामेंट में हुआ था और उसमें यह सिद्धांत माना गया था कि पार्टियों की बहुतायत होने से या जब बहुत सी पार्टियां सदन में और हो जाती हैं और उसके कारण पार्टियों का जो महत्व है और जिस प्रकार से सदन के उपयोग में वह पार्टियां आती हैं और सदन के कार्य में

सहूलियत होती है वह खत्म हो जायगा, अगर अनेक पार्टियों को मान्यता दे दी जाय। इसलिये विरोधी पार्टी कौन हो, इसके लिये पार्लियामेंट में निश्चय किया गया कि पार्टी को भी पार्टी होने की मान्यता दी जाय जब उसके सदस्यों की तादाद इतनी हो कि वह कोरम बना सके। मैं समझता हूं इसी तरह का फैसला बम्बई में भी हुआ है। 'पार्टी' और 'ग्रुप' दो शब्द उपयोग में लाये गये हैं। मैं अभी तक इस विषय में विचार कर रहा हूं और मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई कि पार्टी और ग्रुप में क्या अन्तर है। मैंने मेज़ की 'पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस' भी इस विषय में देखी। उसमें भी मुख्य विरोधी पार्टी उसी को माना गया है' जिस विरोधी पार्टी में तादाद में सबसे अधिक सदस्य हों। अब इंगलैन्ड में भी शायद यह निश्चय किया जा रहा है कि कितनी कम से कम सदस्यों की तादाद हो कि जिससे किसी पार्टी को मान्यता दी जाय। आमतौर से यह बात कही जाती है कि पार्टी को मान्यता में सदस्यों की संख्या इतनी हो जिससे कोरम पूरा हो जाय। इस प्रकार तादाद पर पार्टी को मान्यता देना साधारण बुद्धि के लिये ग्राह्य बात नहीं है। मैं समझता हूं कि पार्टी का मतलब यह है और वही पार्टी है जिसके कुछ अपने सिद्धांत हैं, जो बाहर भी अपना काम करती है, जिसका कोई लक्ष्य है और जिसका कोई कार्यक्रम है, उसी को हम पार्टी कहते हैं। इस तरह की एक पार्टी को ग्रुप कहना मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि ग्रुप तो एक अधिक विस्तृत शब्द है, जिसमें मजमुई तौर पर कुछ सदस्य या किसी भी पार्टी के आदमी संगठित हो जायं उसको ही हम ग्रुप कह सकते हैं। लेकिन पार्टी में एक विशेषता यह होती है कि उसका एक कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, लक्ष्य और सिद्धांत होते हैं। मसलन् सदन के कोई भी सदस्य भवन में बैठकर और मिल कर एक ग्रुप बना सकते हैं और एक पार्लियामेंट्री ग्रुप वह बन सकता है और उसके सदस्यों के सिद्धांत यदि आपस में नहीं भी मिलते हों तो भी वह ग्रुप कहा जा सकता है और उसे एक ग्रुप की मान्यता दी जा सकती है। लेकिन जहां किसी पार्टी के सिद्धांत मौजूद हैं और जहां देश भर में उसके अनुसार प्रोग्राम पर अमल किसी पार्टी द्वारा होता है, और उन सिद्धांतों की बुनियाद पर चुनाव भी पार्टी द्वारा लड़े जाते हों और अगर इस सदन में सबसे अधिक तादाद में अल्पमत पार्टियों में वह पार्टी है तो मेरी समझ में विरोधी दल की मान्यता उसको देना उचित होगा और इसीलिये मैंने जो निर्णय पहले हो चुका था उसको अभी तक बदला नहीं है।

अब प्रश्न यह है कि अगर बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां हो जाती हैं तो पार्टियों को मान्यता देने के सिद्धांत से जो लाभ हो सकता है वह नहीं हो सकेगा। यह बात सही है लेकिन ऐसी बहुत सी पार्टियां हमारे सदन में नहीं हैं। हमारे सदन में तो केवल मुख्य दो ही पार्टियां दिखलाई देती हैं। एक पार्टी तो सिद्धांत से ही मालूम पड़ती है और दूसरी यद्यपि ग्रुप सी ही है लेकिन उसको भी पार्टी की मान्यता दी गई है। अगर विरोधी दल की आवश्यकता सदन के सदस्य समझते हैं और वह समझते हैं कि विरोधी दल सदन का काम चलाने के लिये आवश्यक है और वह दल इस मशहूर पार्लियामेंट्री पद्धति का अंग होना चाहिये तो हमें मान्यता देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये। द्विदल पद्धति इंगलैण्ड की पार्लियामेंट की एक बड़ी खूबी समझी जाती है, अगर हम उसका अनुसरण करना चाहते हैं तो जो वैधानिक पार्टियां हैं, जो किसी तरह की गड़बड़ करना नहीं चाहती हैं और पार्लियामेंट्री पद्धति की उन्नति करना चाहती है उनको थोड़ा बहुत प्रोत्साहन पार्टी की मान्यता मिलने से यदि होता है तो वह मान्यता देना उचित है और उसकी वजह से और पार्टियां या ग्रुप भी ठीक वैधानिक ढंग से काम करने को उत्तेजित होते हैं। तो ऐसी अवस्था में ऐसी पार्टी को विरोधी दल मानना ही अच्छा होगा।

दूसरी चीज़ यह भी है कि कुछ उदारता का भी तकाजा होना चाहिये। एक और यह अल्पमत पार्टी है जिसका भवन में अल्पमत उल्लेख किया जा रहा है और दूसरी ओर सरकारी पक्ष की पार्टी है जो बहुत अधिक तादाद में है। यह देखते हुये कि एक दफा निर्णय हो चुका है—जिससे मैं समझता हूं भवन में अच्छा वातावरण पैदा हुआ है—यही मुनासिब है कि हम अपने उसी निर्णय को ही मानें। उचित यही है कि इतना बहुमत रखने वाली पार्टी अपनी ओर से उदारता दिखाये और विरोधी दल को एक दल माने और उसके नेता को पार्टी का नेता

[अध्यक्ष]

कहने का सम्मान प्रदान करे और इस तरह से इस सदन का वातावरण अच्छा बनाने में सहायक हो। इस दृष्टिकोण से भी हमें इस प्रश्न को देखना चाहिये। मैं समझता हूं कि यहां का वातावरण बहुत सुन्दर और अच्छा है। मैं भवन के सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि इस दल की इतनी तादाद है, उतनी तादाद है इस बात का ख्याल न करके यहां का वातावरण अच्छा हो इस हेतु को सामने रखकर जो फैसला हुआ है उसको हृदय से स्वीकार करें। केवल मैंने यह फैसला दिया है, इस दृष्टि से नहीं बल्कि यहां की तहजीब के नाते यह ठीक होगा। लखनऊ की सभ्यता तो यही रही है कि हम हर एक को प्रतिष्ठापूर्वक "श्रीमान्" या "माननीय" कहते हैं।

"माननीय" शब्द मंत्रियों के लिये कायदे से बन्द कर दिया गया है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमारे यहां की यह प्रथा रही है कि हर एक माननीय सदस्य को "माननीय" कहना चाहिये और हम सभी सदस्यों और मंत्रियों को "माननीय" शब्द से संबोधन करते हैं। तो जब हम सबको "माननीय" कहने को तैयार हैं और अच्छे शब्दों में सबको संबोधित करते हैं तो यदि विरोधी दल स्वीकार करने में अगर किसी दल को प्रतिष्ठा और इज्जत मालूम होती है तो उसे उतनी प्रतिष्ठा देने में जो बहुमत पार्टी है उसको कोई कोताही नहीं करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि उसको यह बात सहर्ष स्वीकार करनी चाहिये; यह मेरा इस सिलसिले में निश्चित मत है।

श्री राजनारायण द्वारा सदन के लिए "तमाशा घर" शब्द के प्रयोग पर आपत्ति

श्री देवदत्त मिश्र--(जिला उन्नाव) मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस सदन का कोई माननीय सदस्य क्या इस सदन को "तमाशा घर" कह सकता है?

अध्यक्ष--जी नहीं, "तमाशा घर" ऐसा शब्द है जिसे सदन के लिये उपयोग में लाना "ब्रीच आफ प्रिवेलेज" हो सकता है।

श्री देवदत्त मिश्र --मैं कल के नैशनल हेराल्ड में प्रकाशित एक रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया है कि हमारे विरोधी दल के माननीय नेता श्री राजनारायण ने यह कहा कि यह सदन क्या है, यह तो तमाशा घर है। मैं इस संबंध में चाहूंगा कि आप अपना मंतव्य प्रगट करें।

अध्यक्ष---जहां तक अखबार में कोई चीज छपी है, मैं यह कह चुका हूं कि अखबार में कोई खबर छपी है, उसकी बुनियाद पर मैं कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज या ऐजर्नमेंट मोशन स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि प्रत्यक्ष एक सदस्य के भाषण के संबंध में यह एक प्रश्न है और वह यहां पर मौजूद हैं तो मैं उनको मौका इस बात का देता हूं कि जो अखबार में छपा उसको स्पष्ट करके वह भवन में कहें कि कहां तक सही है और फिर भवन विचार कर सकेगा कि आया ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है या उन्होंने कोई आफेंस किया है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आदर्णीय स्पीकर महोदय, यद्यपि अखबार की कटिंग आपके द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है कि उसमें क्या छपा है और उसके ऐक्चुअल वर्डिंग क्या हैं। यह सही है कि जब एक प्रोसेशन, किसानों का प्रदर्शन यहां आया था तो उसमें मैंने भाषण किया था और उसमें मैंने यह बात कही थी कि सदन कोई तमाशा नहीं है और सदन को कोई टाकिंग शाप नहीं बनाना चाहिये और यह भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी, जो विशाल बहुमत रखती है वह चाहती है कि विरोधी पार्टी अपने मत का स्पष्टीकरण अच्छी प्रकार न

कर सके। इसलिये वह हमें बांध देना चाहती है कि हम कम समय पायें और अपने विचारों को अच्छी प्रकार प्रगट न कर सकें।

अध्यक्ष—(श्री देवदत्त मिश्र से) अब आपके पास कोई दूसरा सबूत है? माननीय राजनारायण जी कहते हैं कि इस तरह के शब्द "तमाशा घर" उन्होंने नहीं क ।

श्री देवदत्त मिश्र—मेरे पास इसका और कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि वह अखबार उपस्थित नहीं किया गया। तो वह मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था।

अध्यक्ष—यह प्रश्न अब उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह बात रह ही नहीं गयी।

सभा में विचार प्रकट करने के लिये अवकाश न मिलने के कारण अध्यक्ष पर आक्षेप

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—एक बात राजनारायण जी ने कही। मैं कोई प्रिविलेज वगैरा की बात नहीं उठाता और न कोई प्वाइण्ट आफ आर्डर (वैधानिक प्रश्न) उठाता हूं मगर जो उन्होंने कल भी कहा था और अब भी दोहराया है कि कांग्रेस पार्टी वाले उनको अपना विचार प्रकट करने से रोकते हैं। मैं समझता हूं कि यह आक्षेप स्पीकर पर है, क्योंकि इस भवन की तमाम कार्यवाही तो स्पीकर करते हैं, वे जिसको चाहें उसको बुलावें, जितनों को चाहें उतनों को बुलावें। अब अगर इसमें कोई बात ऐसी होती हो जिसमें उनको आपत्ति हो तो वे स्पीकर से कह सकते हैं। मगर यह कहना कि इस भवन में कौन बोले, कौन न बोले, कितना समय किसको मिले, किसको न मिले, यह अगर कोई पार्टी वाला कहता है तो यह उचित बात नहीं है और इसको कहना मेरी समझ में नियमानुकूल नहीं है। मैं इस पर कोई वादविवाद नहीं चाहता। अगर उनको मेरी सलाह मंजूर हो तो वे इसको मान लें।

अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री ने केवल सलाह के लिये यह बात कही है। प्वाइंट आफ आर्डर रेज नहीं किया है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है मैं उसका स्वागत् करता हूं और मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरे दिल में कभी भी यह इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती कि हमारी किसी बात से आदर्णीय स्पीकर महोदय पर कोई आक्षेप पहुंचे। इतना मैं अवश्य फील करता हूं और अब भी आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि बजट का समय जिस तरीके से निर्धारित किया गया, मैंने रूल की कापी को अच्छी तरह से देखा, उस रूल की कापी में कहीं नहीं लिखा हुआ है सिवाय बजट के अनुदान के संबंध में। रूल में लिखा हुआ है कि "अध्यक्ष महोदय सदन के नेता से परामर्श करके समय का बंटन करेंगे"। तो मैं इस संबंध में आदर्णीय स्पीकर महोदय के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से आगे के लिये निवेदन करूंगा कि जब कभी बजट जैसा मुख्य विषय सदन में प्रस्तुत हो तो उसमें इतना काफी समय मिलना चाहिये कि हम लोग हर अनुदान पर अपने विचार व्यक्त कर सकें।

अध्यक्ष—इस संबंध में मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि जो शब्द माननीय राजनारायण जी कल उपयोग में लाये थे, उनके दो अर्थ हो सकते थे, और मुझे भी यही प्रतीत हुआ कि उसमें अध्यक्ष के ऊपर कुछ आक्षेप सा प्रतीत होता है। ऐसा उसका अर्थ लगाया जा सकता है। कल राजनारायण जी बाद में मुझसे मिले थे और मैंने यह स्पष्ट कहा था कि उसके दो अर्थ हो सकते हैं और ऐसी अवस्था में आप को शब्द को तौल करके कहना चाहिये। जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने सलाह दी, उसी प्रकार मैंने भी दी थी। राजनारायण जी ने कहा

[अध्यक्ष]

कि उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। इसलिये मैंने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया, वह बात यहीं खत्म होती है।

अब जहां तक बजट का संबंध है मैं यह स्पटीकरण दे देना चाहता हूं कि रूल में १० मई की बात थी परन्तु इसके बारे में सदन ने पहले ही निश्चय किया था कि जुलाई में बजट का कार्यक्रम खत्म होना चाहिये। ऐसी परिस्थिति इस साल उत्पन्न हो गयी जिसमें कम दिन ही हम को मिल सके हैं। यही परिस्थिति हर साल नहीं उत्पन्न होगी। मैं समझता हूं कि आइन्दा जितना उचित समय होगा सरकार भी, बहुमत पार्टी भी और सदन के नेता भी इस बारे में लिहाज़ करेंगे और सदन को काफ़ी मौका बहस का देने का प्रयत्न करेंगे।

१९५२-५३ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

अध्यक्ष--वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव।

इसमें समय निर्धारित करने की आवश्यकता है। जो माननीय सदस्य सुझाव देना चाहें, दे सकते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि अनुदान संख्या ४२ पर २ घंटे, अनुदान संख्या १ पर १५ मिनट, अनुदान संख्या २ पर १ घंटा और अनुदान संख्या ३६ पर १ घंटा। अनुदान संख्या १ पर आधा घंटा कर दिया जाय इस प्रकार ये साढ़े ४ बजे खत्म हो जाते हैं।

अध्यक्ष--साढे चार बजे यह खत्म हो जायगा। कुल साढे चार घंटे हैं और उनका बटवारा इस प्रकार होगा। पहली के लिये मैं पौने दो घंटे रखता हूं, दूसरी के लिये १५ मिनट, तीसरी के लिये सवा घंटा और चौथी के लिये पौन घंटा काफी होगा।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान-संख्या ४२-लेखा शीर्षक ६३-क-युद्धोतर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२-योजना और एकीकरण (लेखा शीर्षक: ६३-क-युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय) के लिये ३७,२४,६०० रुपये स्वीकार किये जायं।

मुझे तो यह आशा थी कि इस अनुदान के लिये यह भवन ज्यादा समय लेना चाहेगा ताकि इस विषय पर अच्छी तरह हम लोग विचार कर सकें। मुझे तो जितनी आवश्यकता इस बारे में हमारे इस विषय को अच्छी तरह से समझने और इसके कार्यक्रम को अच्छी तरह निर्धारित करने को होती है उतनी शायद इस सदन के प्रत्येक सदस्य को मालूम न हो। मैं अपने देश के भविष्य के विकास और विस्तार के लिये यहां की जनता का स्तर ऊंचा करने के लिये इस संबंध में जो मैंने आपके सामने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर भारी भरोसा रखता हूं। हमें योजना के अनुसार कार्य करना है। इस संबंध में इस बीच काफ़ी चर्चा सारे देश भर में हुई है।

हाल ही में आपको मालूम होगा, भवन के सदस्यों को भी, कि कुछ ही दिन हुये, इसी सप्ताह में हमारे प्रधान मंत्री, जवाहरलाल जी ने, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स का ट्रेनिंग सेंटर का

उद्घाटन करते हुये एक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने कहा कि इस इस विषय की गम्भीरता को हर एक को समझना चाहिये। क्योंकि देश का भविष्य इस पर निर्भर है। हमारी अवस्था जो कुछ है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। हमारे यहां ग़रीबी है, हमारे यहां विद्या का प्रचार काफ़ी नहीं है, हमारे वहां रहन-सहन का ढंग ऐसा ही है जैसा कि ग़रीब से ग़रीब लोगों का हो सकता है, दीन से दीन आदमी जैसे रह सकते हैं। आज भी लाखों आदमी ऐसे हैं, विशेषकर इस समय पूर्वी ज़िलों में, जिनको पेट भर भोजन मिल नहीं रहा है और शायद एक समय भी पूरा ना खा सकने वाले आदमियों की संख्या काफ़ी हो सकती है। ऐसी अवस्था में जब कि एक तरफ से तो बातें, हैं दूसरी तरफ़ हमारे देश में काफ़ी ऐसे साधन मौजूद हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। हमारे पास धन की कमी है, यह सही बात है। मगर धन तो आखिर श्रम को व्यवहार में लाने और उसका उपयोग करने के लिये ही मुख्यतः काम में आता है। धन के द्वारा जन बल का उपयोग किया जाता है और जन बल के सदुपयोग से धन उत्पन्न हो सकता है। हमारे देश में भूमि हमारे पास है और हर एक नागरिक के हिस्से में चीन के मुकाबिले में अधिक रक़बा आता है, चाहे हमारे यहां के खाते छोटे हों। और हमारे देश में ऐसी पुरानी संस्कृति है जिसके अनुसार लोग बहुत सी बातों को अच्छी तरह जानते हैं और जिसके अनुसार अब भी हमारी भोली भाली जनता को, जो कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में रहती, है अपने कामों को सच्चे ढंग से करने का अभ्यास पड़ा हुआ है।

एक तरफ़ तो देश की यह कमियां हैं जो पूरी करनी हैं और दूसरी तरफ़ ऐसे साधन भी हैं जिनका पूरा उपयोग नहीं होता और सरकार की तरफ़ से जो कुछ काम होते हैं उनमें और जनता में जितना भी पूरा सहयोग हो कर उनका अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिये वह पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है। इसलिये इन सब बातों का उपाय निकालना है और जो काम किया जाय उसे इस ढंग से करना है कि उसके करने में किसी किस्म की त्रुटि न हो। जो हमारे साधन हैं उनका सबसे अच्छा उपयोग हो, जो हमारी शक्ति है उनको अच्छी तरह से सम्बद्ध करके प्रयोग किया जाय। जो हमारे यहां कार्य करना है वह इस ढंग से हों जिसमें सरकारी लोगों की जो कुछ भी काम करने की नीति हो वह जनता के सहयोग को पूरी तरह से प्राप्त कर सके और जनता और सब मिल कर अपने देश को ऊंचा करने में सफल हो सकें।

यह मौलिक बातें है जिनके आधार पर योजनायें बन सकती हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पहले एक सब कमेटी प्लानिंग के बारे में बनायी थी जिससे मेरा भी संबंध था और मेरी अध्क्षता में ही सबसे पहले उसने कुछ सुझाव रखे थे। इसके बाद तमाम देश भर के सरकारी, प्रतिनिधियों, मंत्रिमंडलों ने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पर विचार करके जो सुझाव दिये थे उनको स्वीकृत किया था। उनके आधार पर ही पंच वर्षीय योजना हमारे देश में बनाई गई और इन योजनाओं में इस बार प्रयत्न किया गया कि हम अपने-अपने, प्रदेश की परिस्थिति को देख कर कार्य करने का उपाय करें।

मैं आपके सामने उनकी बहुत तफ़सील रखना नहीं चाहता हूं। आपको कुछ रिपोर्ट्स दी गई हैं और कुछ काग़ज़ात भी यहां पर वितरित हुये हैं। उनसे आप को कुछ इस ढांचे का बोध हो गया होगा। लेकिन अपने यहां किस ढंग से काम करना है उसको निश्चय करना है। हमें जनता में इस भावना को उत्पन्न करना है कि उन्हें अपने ही स्वावलम्बन द्वारा अपनी उन्नति करना है। जब तक इस बात को हम पूरी तरह से उनमें उत्पन्न नहीं कर सकते हैं तब तक उनकी पूरी शक्ति को हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। असल में सभी सवालों के पीछे एक साइकोलाजीकल (आध्यात्मिक) दृष्टि से हुआ करती है और उसी आधार पर काम करते हैं। इसलिये हम जनता को इस प्रेरणा द्वारा ही कि उन्हें उन्नति करना है और वह इस तरह के जीवन का सुधार करने के लिये कटिबद्ध हो जांय। यह हमें नई स्फूर्ति भर देनी है और हम सबको एक हो कर काम करना है।

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

मैं समझता हूं कि जहां तक हमारे यहां त्रुटियां हैं उनको दूर करना है, गरीबी, भूख, रोग यातायात के साधन न होना, इन सब बातों को दूर करना है और कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है , देश में उद्योग धंधों का प्रचार करना है, जहां तक इन सब बातों का संबंध है, कोई मतभेद नहीं होना चाहिये और न हो सकता है और इन बातों को करने के लिये ही योजनायें बनायी जाती हैं योजनाओं के बनाने में तो दो-तीन बातों का खयाल करना पड़ता है । एक तो साधनों का, कितने ही हों, उनका सबसे अच्छा उपयोग कैसे हो। इसे सोचना पड़ता है । इसके लिये कुछ प्रायोरिटी (प्राथमिकता) देनी पड़ती है कि किन कामों को सबसे पहले प्रधानता देश में दी जाय।

दूसरी बात जरूरी होती है कि जितने भी काम करने वाले हैं उन सब को आपस में संबद्ध हो कर काम करने का ढंग हो। उसके लिये कोआर्डिनेशन की जरूरत होती है । इसके लिये भी सरकारी जो मुहकमे हैं वह बहुत हैं और उन मुहकमों का काम पहले से अलग-अलग होता आया है । मगर उनका काम जहां तक कम से कम फील्ड वर्क (क्षेत्र कार्य) की बात है सबको मिल-जुल कर करना है जिसमें हमारे सरकारी लोग जो काम करने वाले हैं उनके द्वारा अधिक से अधिक लाभ जनता को पहुंच सके। कोई बात वृथा दोहराई न जाय और इसी तरह से सब कोलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हों ताकि सारी गाड़ी अच्छी तरह से चल सके और इसके द्वारा अधिक से अधिक लाभ मिल सके ।

तीसरी बात यह जरूरी होती है कि अपनी आवश्यकताओं को देखते हुये जो कुछ भी मेटीरियल , मनी और मेन पासवर हमारे पास है उसका सदुपयोग अच्छी तरह से किसी न किसी तरह से होना चाहिये, इसको ध्यान में रखते हुये उसका बटवारा किया जाय । इन चीजों के साथ-साथ इस बात की परमआवश्यकता है कि जनता सरकार के कामों को अपने काम से कम न समझे, कोई चीज उस पर इम्पोजन न हो बल्कि हर चीज के बारे में उसका ऐसा ख्याल रहे कि यह तो हमारा ही काम है, हमें इसे करना है । इस प्लानिंग के काम में जहां तक हो पापुलर (जनप्रिय) और ह्यूमेनिटेरियन (मानवदयावादी) वृत्ति होनी चाहिये ताकि काम करने वाले इस ढंग से काम करें ताकि जनता और सरकार एक हो । जनता और सरकार के बीच में किसी किस्म का कोई भेद न समझा जाय । जो कुछ काम किया जाय तो जनता उसे अपना ही काम समझे । अगर कहीं सड़क बनायी जाय तो वहां के निवासियों को उसमें दिलचस्पी हो। वे यह समझें कि उनकी अपनी सड़क है, वही उसे बना रहे हैं। सरकार जो कुछ कर सके करे मगर उनकी भावनायें ऐसी रहें और इसी को लेकर वह आगे बढ़ें। इसी तरह से अगर कोई वाटरलाक्ड एरियाज हैं और वहां पानी निकाल करके कुछ जमीन ठीक खेती के लिए करनी हो तो उस के लिये भी यह भावना हो कि हमारी ही जमीन ठीक हो रही है। इस स्फूर्ति, इस प्रेरणा, इस महत्वाकांक्षा को ले कर काम करना चाहिये, । यह प्लानिंग ऐसी चीज है कि इसमें सभी समझदार आदमियों का आपस में सहयोग होना वांछनीय है, क्योंकि प्लानिंग के काम में एक दूसरे के विरुद्ध हो कर योजनाओं में बाधा डाली जाय तो इसमें जनता को भ्रम हो सकता है और उस भ्रम को इसमें गुंजाइश नहीं है ।

हमको आपस में समझ कर इन बातों को करना चाहिये और इस ढंग से करना चाहिये जिससे जो जनता है, उसका जो जनबल है, जो खराब हो रहा है, उसका अधिक से अधिक उपयोग हो सके । हमारे प्रदेश में सवा ६ करोड़ स्त्री और पुरुष रहते हैं । उसमें ३ करोड़ से अधिक संख्या बालिगों की है । अगर हर एक गांव में एक बालिग पखवारे में या महीने में एक दिन अपनी कम्युनिटी की सर्विस में या ऐसे कामों के करने में जिससे ग्राम या उसके पड़ोस का सुधार हो सके, दे दे, तो हम बहुत कुछ इससे कर सकते हैं । देश की सड़कें और नहरें बन सकती हैं । पंचायतें वगैरह सब ठीक हो सकती हैं। इन बातों को लेकर हमें इन योजनाओं को चलना है और योजनाओं में जो क्रम रखा गया है और जितनी बातें रक्खी गयी हैं उनसे बहुत अधिक काम हो सकता है ।

अगर जनता इन कामों को ले कर स्वावलम्बन के आधार पर खड़ी हो, स्वयं उन्हें करने लगे और मैं समझता हूं कि उनको करने का अब आभास भी होने लगा है, जहां भी इस भावना का अच्छी तरह से फैलाने का उपयोग किया गया वहां उन्होंने सड़कों को बनाना है, उन्होंने पंचायत घरों को बनाया है, और तरह-तरह के बहुत से काम किये हैं, जिससे वहां के जीवन में काफ़ी फ़र्क पड़ा है ।

इटावा जिले के अन्दर स्कूलों को बनाया गया है । अगर वह दूसरी तरह से बनाये जाते तो करीब करीब ७-८ लाख रुपया उनकी इमारतों के बनाने में खर्च होता । यह सब बातें अच्छी तरह से हो सकती हैं । इस काम को करने के लिये जो हमने अभी तक उपाय किये हैं उनका संकेत इस रिपोर्ट में दिया गया है । हमने अपनी सारी स्टेट के लिये एक प्लानिंग बोर्ड बनाया है , जिसमें गैरसरकारी लोग भी हैं उसमें एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) भी काफी हैं और और भी लोग हैं । उस प्लानिंग बोर्ड का जो कुछ भी संगठन रहा है सम्भवतः उसमें और कुछ परिवर्तन हो । मैं चाहता हूं कि यह सदन इस बारे में अपनी राय दे कि वह प्लानिंग बोर्ड भविष्य के लिये कैसे बने और किस तरह कार्य से कार्य करे । उसकी संख्या ऐसी न हो कि जो कार्य करने में कठनाई हो और उसके काम को करने में लोगों के सामने जो आदर्श है वह ठीक-ठीक रहे और सब अपनी बातें भुला कर उसके पीछे काम करेंगे वह काम होता रहे । उसके पीछे एक प्लानिंग कमेटी है जिसमें सेक्रेटरी और चीफ़ सेक्रेटरी वगैरा हैं । डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हैं और उसके बाद हर इलाकें में जो पंचायती अदालत का रक़बा है उसके अन्दर एक एक ब्लाक कमेटी कायम करने का निर्धारण किया है और उसके अनुसार बहुत सी ऐसी कमेटी कायम हो चुकी हैं और काम भी उसमें कुछ हुआ है । परन्तु अभी तो हमें और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिये हम सबको इस योजना को जो कुछ भी हो अंगीकार करके चलना है । उसमें परिवर्तन की जो आवश्यकता हो वह भी हमको समझनी चाहिये । यदि सदन की यह इच्छा हो कि इसमें परिवर्तन किया जाय और उसके लिये कोई विशेष सुझाव हो तो उन पर ध्यान दिया जाय और वह भी देखा जाय और इस बात का पूरा-पूरा उद्योग किया जाय कि जनता में इस योजना का पूरी तरह से प्रचार हो । जो भावना, जो सिद्धांत, जो स्वावलम्बन का आधार हमारे कार्य का हो सकता है उसकी पूरी जानकारी उनमें हो और उसके लिये पूरा पूरा उत्साह हो । इस कार्य को इस सदन के सदस्य सबसे अधिक खूबी के साथ कर सकते हैं । उनके द्वारा जनता में एक नयी भावना, नया उत्साह , नया आदर्श और नयी कार्यक्षमता पैदा हो सकती है । इसलिये हमें इस मौलिक आधार पर आगे का काम करना है और इसके लिये हमने जो कुछ योजना बनायी है वह पंच-वर्षीय है, एक साल की भी है और दो साल की भी है ।

इस समय जो सबसे मुख्य स्थान हमने अन्न उत्पादन को दिया है, और इसके लिये नहरों का बनाना , अन्य स्कीमों का बनाना, बिजली और पानी को फैलाना और कुओं का बनाना ट्यूब वेल्स का बनाना, मेसनरी वेल्स का बनाना, बन्धो का बनाना, जो हमारे यहां जमीनें हैं उनको और अच्छी तरह से काम में लाना, जो भूमि खेती के योग्य हो सकती है उसका सुधार करना, हमारे यहां पैदावार कई देशों में आधी भी नहीं होती है । उसमें पूरी पैदावार होने का यत्न करने की जो हमने योजना बनायी है उसको पूरी तरह से अमल में लाना है । इस समय हमारे यहां कई जगहों पर ३७ मन गेहूं पैदा हुआ है और कई सौ मन आलू भी पैदा हुआ है । इस प्रकार जो साधन हैं उनको विस्तृत किया जाय तो बहुत ज्यादा चीजें पैदा हो सकती है ।

हम चाहते हैं कि ये काम हों और इसके अतिरिक्त छोटे-मोटे काम जो भी जनता के बल से हो सकते हैं अपने यहां के लोगों को सुखी करने के लिये, उनको खूबी के साथ करना चाहिये । मलेरिया को दूर करना और इन्फैक्शस डिजीज को अपने यहां से बिलकुल हटा देना है। इसके लिये हमने कई और इन्तजाम भी किये हैं । हम समझते हैं कि मलेरिया हमारे इस प्रदेश के लिये

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

बड़ी घातक बीमारी है । इसमें हम चाहते हैं कि इन ५ सालों के भीतर तमाम ऐंटी मलेरिया कैंपन करके मलेरिया को इस प्रान्त से हटा दें। इसके लिये हमें पूरी ताक़त लगा देना है । इसके लिये हम एक-एक साल में १०-१० ज़िलों को लेकर उस रोक से अपने प्रान्त को छुटकारा दिला सकते हैं जिससे सब से ज्यादा मौतें होती हैं और आदमी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है । जिससे लोग खेती के कार्य करने में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकते।

इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे यहां पशुओं की उन्नति हो क्योंकि हमारी सारी खेती उन्हीं पर निर्भर है । दूध घी के जरिये ही हमको वे साधन मिल सकते हैं जिससे हम उनके जीवन को अच्छा बना सकते हैं । हम चाहते हैं कि अपने कैंपेन के लिये हम कुछ ज़िलों को एक एक साल में लें जिससे सब ज़िलों के भीतर बेकार जानवरों को कैस्ट्रेट करा सकें तथा आर्टिफिशियल (कृत्रिम) उपायों के जरिये से अच्छे पशुओं से वंश को सुधारें जिससे आगे के लिये कार्य ठीक हो। उसके लिये भी हम समझते हैं कि एक-एक साल में काफी हिस्से में यह कार्य किया जाय।

इसके साथ ही साथ खेती वगैरह के सुधार के लिये हम समझते हैं कि जगह-जगह पर हमको ऐसी प्रयोगशालायें खोलना चाहिये जहां लोगों को अच्छी शिक्षा मिले और उसी के साथ हम उनके लिये सामान का भी प्रबंध कर सकें, जिससे वे सीखी हुई बातों का उपयोग कर सकें और देश के सामने अपने पैरों पर खड़े होने का नमूना बन सकें । ऐसे एक्स्ट्रा सर्विस केन्द्र भिन्न-भिन्न विभागों में खोले जायं।

इस तरह इस बात की काटेज इंडस्ट्री में भी जरूरत है कि जो लोग वहां पर काम सीखते हैं वे उसको उसके पश्चात् करें। वे जो प्रेक्टीकल काम वहां पर सीखें उस काम को स्वयं करें। उसके साथ ही साथ थियरी को पढ़ कर पूरे उस काम के पंडित हो जायं । इस तरीके से हम चाहते हैं कि अपने प्रदेश का संगठन करें।

आप जानते हैं कि कई जगहों में इस समय इस प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं। इटावा प्लान के बारे में काफी कहा गया है और उसके विरुद्ध भी उसकी समालोचना की गयी है । इस तरह से इटावा में काफ़ी पैदावार बढ़ गयी है । गेहूं औसतन बहुत ज्यादा होता है, आलू बहुत ज्यादा होता है । १५-१६ के करीब वहां ब्रिक किल्न कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं जिनको १०-१०, १२-१२ हजार का फायदा होता है । सैकड़ों मकान पक्के बनते जा रहे हैं । इन सब योजनाओं को लेकर हमारा आगे बढ़ने का उद्देश्य है । ऐसी योजानायें हमने पूर्वी ज़िलों में भी बनायी है । कम्युनिटी प्राजेक्ट्स ५ ज़िलों में हो रहे हैं जिनका लाभ करीब-करीब १२ जिलों का होगा जिनके जरिये से इंटेंसिव वर्क होगा । लेकिन इसके साथ ही साथ ऐक्स्टेंसिव वर्क की भी आवश्यकता है । क्योंकि बिना उसके हम उतना आगे नहीं बढ़ सकेंगे जितना कि हम बढ़ना चाहते हैं। हमें अपने नवयुवकों का पूरा सहयोग चाहिये, जनता में पूरी जागृति की आवश्यकता है और जो सरकारी अहलकार हैं उन सबको मिलजुल कर काम करना है । कई विभाग यानी ऐग्रीकल्चर विभाग, ऐनीमल हजबंडरी विभाग पंचायत विभाग और कोआपरेटिव विभाग को तथा कुछ और विभागों को एक प्लानिंग आफीसर के नीचे रख दिया गया है ताकि वे सब मिल कर एक साथ चल सकें । अब हमारा प्लानिंग कमिश्नर, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज, डायरेक्टर पंचायत, डायरेक्टर पी० आर० डी० एक ही आदमी हो यह सोचा जा रहा है ताकि ऊपर से नीचे तक वे सब विभाग एक साथ मिल कर कोआर्डीनेशन की भावना से काम कर सकें और उनके बीच में अलग-अलग डिपार्टमेंट की वजह से भेदभाव न बढ़े ताकि हमारे और काम अच्छे ढंग से हो सकें । ऐसे ही सेक्रेटेरिएट में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन की आवश्यकता आलूम होती है और जो किया जायगा। मैं चाहता हूं कि जो भी विषय हमारे सामने है उसमें हमको सलाह मिले, परामर्श मिले और बतलाया जाय कि किस ढंग से काम अच्छे से अच्छे ढंग से हो सकता है ।

आप जानते हैं कि भारत सेवक समाज बना है जिसमें सब लोग जो इस प्लानिंग , इस रचनात्मक योजना को सफल बनाने में सहयोग दे सकें, वे सब शरीक होकर उसका पूरी तरह से प्रयोग करें । मैं चाहता हूं कि इस सदन के सदस्य इस योजना को अपनावें, इसके जो दोष हैं उनको दूर करें और फिर सब मिल कर इस ढांचे को आगे बढ़ावें ताकि हम व्यवहारिक रूप से इसको सफल बना सकें । त्रुटियां तो हम सब को मालूम हैं और उन त्रुटियों को दूर करने में उनके साधन भी हैं, अभिलाषा भी है और उसके तरीके भी हैं तो फिर हम सफल क्यों न होंगे । इसलिये मुझे पूरी आशा है कि यह सदन इस मांग को तो मंजूर करेगा ही परन्तु उसके साथ ही साथ यह भी संकल्प करेगा कि अब सब भेदभावों को छोड़ कर , स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अपने देश के निर्माण कार्य में हम सबको जुट कर लगना है, जिससे साधारण नागरिक, जो एक ज्योति है, स्वतंत्रता की चमक है, उसकी झलक देखते हुये वे भी अपने जीवन के संगठन को भरपूर कर सकें ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सोशलिस्ट एकोनामी और योजना और एकीकरण का बहुत गहरा संबंध है । इस प्रकार एक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य द्वारा इस अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश किया जाय, यह आश्चर्यजनक बात है । लेकिन चूंकि आज जो सरकारी दल यहां मौजूद हैं उसकी और हमारी योजना में मौलिक अन्तर है इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि इस अनुदान में कटौती का प्रस्ताव पेश किया जाय । अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है । मैं इस बात का निरन्तर प्रयत्न करता रहा हूं कि समय के अन्दर अपनी बात कह सकूं लेकिन ऐसा करने पर भी यदि थोड़ी बहुत समय की आवश्यकता हो तो आप दे देंगे।

जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में अपने उद्देश्य और लक्ष्य का बयान किया, साथ ही साथ जिन भावनाओं को उन्होंने भवन के सामने रखा, हम उनकी क़दर करते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय , साथ ही यह हम बात ईमानदारी के साथ महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत द्वारा योजना और एकीकरण का जो काम है उसके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी मुल्क के जीवनकाल में एक या दो बार ऐसा समय आता है जब जन-जागरण होता है, कोई मुल्क करवट बदलता है और उस वक्त जनता के विशाल समूह में महान जनशक्ति का प्रदुर्भाव होता है । हमारे मुल्क में भी १५ अगस्त सन् ४७ को ऐसा मौका मिला जिसकी हम दो सौ वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे । उस दिन जो उल्लास जनता में था, जो आशा कांग्रेस हुकूमत से थी, वह एक मौका था जब हमारा कांग्रेसदल चाहता तो वास्तविक मानें में वह जनता का सहयोग प्राप्त कर सकता था । मैंने तमाम रिपोर्टें देखीं, माननीय मुख्य मंत्री का भाषण भी सुना लेकिन सब जगह एक ही कामन रोना है कि हमें जनता का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है । जनता का एक मनोविज्ञान होता और उसका एक समय होता है और इसीलिये वह अंग्रेजी की कहावत कही गयी है, "स्ट्राइक दि आइरन व्हेन इट इज़ हाट (ठीक समय पर कार्य करना चाहिये)।" १५ अगस्त, सन् १९४७ ई० को लोहा गरम था। उस समय यदि ठीक रास्ते पर हथौड़ा चल जाता तो हमारा देश अब तक बहुत आगे बढ़ जाता ।

कल इस सदन में डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं और यह लफ्ज़ इतनी ग़लत-फहमी पैदा करने वाला है। इसमें बड़े बड़े पंडित उलझे हुए हैं । लेकिन मैं अपनी मामूली सी बुद्धि में जिस किस्म की डेमोक्रेसी समझता हूं वह आपके सामने रखना चाहता हूं । आज मोटे तौर पर दो तरह की डेमोक्रेसी संसार में चल रही है । लेकिन हमारी पार्टी जिस

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

प्रजातंत्रवाद को लाना चाहती है वह अब तक दुनिया में सम्भव नहीं हो सका । एक तरफ़ इंपीरियलिस्ट या कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीहै, जो इंग्लैंड या अमेरिका में है । दूसरी तरफ रूस और चीन इस बात की कोशिश में हैं कि अपने को डेमोक्रेटिक कह सकें । लेकिन वहां मानव मूल्यों का समावेश नहीं है । लोगों को अपने भावों को व्यक्त करने की आजादी नहीं है । इसलिये हम उनसे भी सहमत नहीं हैं। हम सही मानों में डेमोक्रेसी उसे मानते हैं जिसमें जनता में आर्थिक समानता हो । जब तक जनता में आर्थिक समानता नहीं होगी वह डेमोक्रेसी कैपिटलिस्ट या इम्पीरियलिस्ट डेमोक्रेसी होगी।

हमारे देश या प्रान्त में जो डेमोक्रेसी चल रही है वह कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है । १५ अगस्त, ४७ को एक मौका था जब कि काम बहुत बड़ा शुरू हो सकता था। योजना को हम लेते हैं तो साधन का भी समावेश हो जाता है । १५ अगस्त, ४७ का मौका था कि हमारी प्रदेशीय सरकारें देखतीं कि देश में धन उत्पन्न करने के कौन-कौन से प्राकृतिक साधन हैं, कितनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, कितनी जमीन है और चूंकि हमारी सरकार का यह दावा है कि वह बालिग मताधिकार द्वारा चुनी हुई है । मैं तो अपने मन में यही समझता हूं कि बालिग मताधिकार में हर व्यक्ति का वोट बराबर है। जहां हमारे पं० जवाहर लाल नेहरू का एक वोट है वहां एक साधारण नागरिक का भी एक वोट है । तो एक प्रश्न है जिसका जवाब हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को देना होगा। अगर इस प्रजातन्त्र में बालिग मताधिकार द्वारा सब का वोट बराबर है तो हक बराबर करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। अगर हमारी कांग्रेसी सरकार १५ अगस्त, ४७ को सिर्फ दो ऐलान कर देती हम जमींदारी बिना मुआविजा खत्म करेंगे और जमीन का बटवारा करेंगे, साथ ही साथ इंडस्ट्री का भी समाजीकरण करके तमाम जनता में जो उल्लास उठा हुआ था उसको प्रापर चैनेल में चलाते । लेकिन इन दो बातों पर गौर नहीं किया गया । इसकी जानबूझ कर उपेक्षा की गयी । इसलिये जनता के दिल का चिराग़ बुझ सा उठा है ।

आज माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सारा कर्मचारी वर्ग पिछले पांच वर्षों से इस बात के प्रयत्न में हैं कि जनता का उल्लास फिर से उठे । मैं बराबर निवेदन करता आता हूं कि देश में मनोवैज्ञानिक ढंग से जन-जागरण बार-बार नहीं हुआ करता है । हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय और कांग्रेसी सरकारोंने बस को मिस कर दिया। पहली जुलाई को आपने जमींदारी को आंशिक रूप में खत्म किया । सन् १९४६ ई० में आपने पूंजीवाद को खत्म करने के सिद्धांत को माना था । लेकिन आज तक इस ओर कोई क़दम नहीं उठाया गया । अगर माननीय मुख्य मंत्री सचमुच जनता का सहयोग चाहते हैं तो जब तक आर्थिक समानता न हो, ऐसा नहीं हो सकता । जब तक एक तरफ बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है, दूसरी तरफ गरीब आदमी जिनके परिवार में दस-दस, बारह-बारह व्यक्ति हैं और उनके पास कोई साधन नहीं है, एक बीघा भी जमीन नहीं है ऐसी दशा में डेमोक्रेसी की बात करना और साथ ही साथ महात्मा गांधी जैसी महान् विभूति का नाम भी सम्मिलित करना यह श्रेयस्कर चीज नहीं है । यह आत्म प्रवंचना हो सकती है ।

हमारे लीडरों की तरफ से कई बार सुझाव दिया गया कि आपने इतनी बड़ी-बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया है उसका हम स्वागत करते हैं । लेकिन साथ ही साथ अन्न सेना भरती करें। लेकिन जब-जब जन-जागरण हुआ तब-तब वह सरकार द्वारा कुंठित कर दिया गया । पंचायतों के बारे में पहले मैं बयान कर चुका हूं । दस लाख से ऊपर सेवकों की एक सेना तैयार हो गयी थी। लेकिन उसको सरकारी कर्मचारियों के जाल से कुंठित कर दिया गया उसकी भावना को कुंठित कर दिया गया । प्रान्तीय रक्षा दल का संगठन हुआ उसने भी खुद जब कुछ काम करना शुरू कि तब उसको भी कुंठित कर दिया गया। उसके बाद प्लानिंग

योजना में रक्षा दल को रख दिया गया लेकिन हमें देखना है कि उससे सही मानों में काम लिया भी जाता है या नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां १५ अगस्त को आजादी हमारे देश में आयी थी जनता में बड़ा उल्लास था । सारे देश के सरकारी कर्मचारी और पूंजीपति भयभीत थे अब सही मानों में उस जन-जागरण का कैनलाइजेशन हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज होता क्या है कि हमारे प्रान्त में एक कैबिनेट है और एक सुपर कैबिनेट है । मैं भारत का एक नागरिक हूं और भारत की जनता से पूरी मेरी हमदर्दी है । इसलिये एक विशेष दल के संगठन में मैं शामिल हुआ हूं । जब देखता हूं कि यहां कैबिनेट के अलावा एक सुपरकैबिनेट भी है तो बड़ा दुख होता है । मैं दूर नहीं जाना चाहता अभी माननीय मुख्य मंत्री नैनीताल में थे। वहां सेक्रेटरीज का एक जमाव हुआ था और हमारे एक मित्र सेक्रेटरीज के पास ही लेटे हुए थे और उनमें से किसी को उनके होने की खबर न थी । उस मीटिंग में एक ऊंचे अधिकारी ने कहा कि हम तो मुख्य मंत्री से यह करा लेंगे । दूसरे ने कहा कि हम यह करा लेंगे । जो प्रधान थे उसमें, उन्होंने एक वाक्य का इस्तेमाल किया जिसको सुन कर मैं भी घबरा उठा । उन्होनें कहा कि—

"I have to preside over the distribution of empire that I have created."

[मुझे तो उस साम्राज्य के वितरण के ऊपर अध्यक्षता करनी पड़ रही है जिसका मैंने सृजन किया था ।]

तो इस सेक्रेटेरियट में इस प्रकार की सुपर कैबिनेट चल रही है और वह हमारी सरकार की सारी योजनाओं को असफल करने का प्रयत्न करती है । मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आप तो ऐसी अवस्था में पड़ गये हैं कि जहां सरकारी कर्मचारी आपके ऊपर छा गये हैं और आप उस रट से नहीं निकल पाते । आपको चाहिये कि इस सुपर कैबिनट की जांच करें और कोई सख्त क़दम उस संबंध में उठायें ।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा था कि रिहैंड डेम की योजना हम चला रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि बिहार और मध्यप्रदेश की सरकार से भी आपने सहयोग के लिये लिखा है तो उन्होंने कहा कि योजना पूरी हो जाने पर वह उनसे पूछेंगे कि बिजली या पानी उनको लेना है या नहीं । तो यह हमारी प्रदेशीय सरकार और केंद्रीय सरकार का सहयोग है । यह कितनी खतरनाक बात है । दूसरी तरफ सहयोग की बात कही जाती है । मैं माननीय मुख्य मंत्री को बतलाना चाहता हूं कि जितने इस विधान सभा के सदस्य हैं वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज में थे उनको अलग कर दिया गया और दूसरे लोग उसमें ले लिये गये । यह तो एम० एल० एज० के सहयोग की बात रही । अब प्लानिंग विभाग में देखिये कि भाटिया साहब को ७ साल तक इस विभाग की ट्रेनिंग दी गयी और उसके बाद दूसरे अफसर को वह विभाग दे दिया जाने वाला है । ७ साल तक जो अपव्यय हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा।

मैं आपके सामने ए० डी० गोरवाला के कुछ शब्द पढ़ना चाहता हूं, जो उन्होंने प्लानिंग कमीशन के सुझाव के लिये कहे थे कि—

"In a democracy, it has been said, the Government leads and the people co-operate. If the Government is not to attempt to lead at all and is always to follow, it may be a laissez-faire Government but it certainly cannot hope to plan."

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

[जनतंत्र में यह कहा गया है कि सरकार नेतृत्व करती है और जनता सहयोग देती है । यदि सरकार नेतृत्व करने का प्रयत्न ही नहीं करती और सदैव अनुसरण करती है तो यह हस्तक्षेप न करने वाली सरकार होगी, किन्तु वह कदापि योजना बनाने की आशा नहीं कर सकती ।]

अध्यक्ष महोदय: इसके आगे मैं यह बढ़ा देना चाहता हूं ।

"But this bourgeois democratic Government has miserably failed to lead the people."

[किन्तु यह बर्जुआ जनतंत्र सरकार लोक नेतृत्व में सर्वथा विफल रही है ।]

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, उद्योग के संबंध में मुझे एक कहावत की याद आती है । कहा गया है कि—

The maximum speed at which a convoy can travel is limited by the maximum speed of the slowest vessel in the convoy.

[वह अधिक तम गति जिससे अनुरक्षक पोत चल सकते हैं अनुरक्षक पोतों में न्यूनतम गति वाले पोत की अधिकतम गति से सीमित है ।]

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का कठिन काम उद्योग के सिलसिले में यह है कि वे इस उत्तर प्रदेश के काफ़िले को सही सलामत उन्नति के पथ पर ले जायं । यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी को याद रखना चाहिये कि सही सलामत यह काफिला तभी पहुंचाया जा सकता है जब कि इस काफिले के हर एक अंग के ऊपर ध्यान दिया जाय, और विशेष कर इस उत्तर प्रदेश के काफिले के सबसे पिछड़े हुये अंगों पर ध्यान देते हुए पूरे काफिले की रफ्तार निश्चित की जाय । अगर इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जाता है और कदाचित् काफिले के रफ्तार बहुत तेज की जाती है तो यह संभव है कि शायद पूरे उत्तर प्रदेश के काफिले से एक या कुछ अंग पीछे छूट जायं और यह भी संभव है कि पीछे छूटने के बाद अपने नेता को आगे न देखते हुए शायद ये अंग किसी ग़लत रास्ते पर लग जायं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर बार-बार अपने ही ज़िले के बारे में बोला करता हूं । इस विषय पर मुझे कुछ माननीय सदस्यों ने टोका । मैं आपके सामने यह कहना चाहूंगा कि हालांकि मुझे इस सदन का समय सदस्य बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर एक प्रकार में हुकूमत करने का अवसर मिला, परन्तु चूंकि मुझे टेहरी गढ़वाल के लोगों ने यहां भेजा है मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि आज़मगढ़, बलिया, देवरिया, नैनीताल या अल्मोड़ा के बारे में यहां पर कुछ कहूं । साथ ही साथ मेरी इस सदन के सदस्यों से यह प्रार्थना है कि क्योंकि लाचारी के कारण या ज़माने के तक़ाज़ा के कारण टेहरी गढ़वाल की ज़िम्मेदारी इस सदन के ऊपर पहुंचती है तो इस विषय पर यह याद रखा जाय कि जो माननीय सदस्य बलिया से आये हैं या किसी और दूसरे ज़िले से आये हैं हालांकि उनको हमारे भाग्य का निश्चय करने का पूर्ण अधिकार है, किन्तु टेहरी गढ़वाल के निवासी यह आशा करते हैं कि उनके भाग्य का निश्चय करने से पहले माननीय सदस्य उनकी कठिनाइयों और उनकी सच्ची परिस्थिति से परिचित होने का कष्ट करेंगे ।

मैंने जैसा कहा कि यदि मैं बार-बार टेहरी गढ़वाल की समस्या यहां पेश करता हूं इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सहानुभूति की प्रार्थना करता हूं और जैसा मैंने कहा कि जब मैं टेहरी गढ़वाल का ही विषय बार-बार उठाता हूं यह कोई अनुचित बात भी नहीं है । मेरी सीमा केवल एक ज़िले की है परन्तु जिनके हाथों में सम्पूर्ण प्रदेश की ज़िम्मेदारी है

उन पुरुषों का यह कर्तव्य है कि वे किसी हालत से भी केवल एक या कुछ जिलों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि उनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी डाली गयी है । हमारी उनसे यह प्रार्थना है कि किसी कारण भी यह न हो कि उनकी निगाह एक ही तरफ पड़ी रहे और बाक़ी जिलों पर उनका ध्यान न पड़े ।

बैठने से पहले मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं ! यह भी सही कहा गया है कि--

"Planning has not merely to serve the needs of the majority but it has to continue to serve the needs of the society.

[योजना का उद्देश्य बहुमत वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है, अपितु उसे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहना भी है ।]

अर्थात् जिन पुरुषों के हाथ में प्रदेश की प्लानिंग का विषय है, उनसे यह आशा की जाती है वे अपनी निगाह जरा दूर डालें, केवल पांच वर्ष की योजना काफी नहीं है । हालांकि हमारी पंचवर्षीय योजना एक प्रशंसनीय चीज है परन्तु क्योंकि पांच वर्ष के अन्दर में एक और मसविदा हमारे सामने आने वाला है, यह सम्भव है कि कुछ लोगों में इस कारण ग़लतफ़हमी हो सकती है, प्लानिंग अभी से दूसरे जनरेशन के लिये करना पड़ेगा ये सब बातें हमारे मुख्य मंत्री जी को मालूम हैं और यदि मैंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि केवल दोहराना ही हुआ तो मैं उनसे और आपसे क्षमा चाहता हूं ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से जब कोई बात इस सदन के समक्ष कही जाती है तो उसका एक रोचक अंग भी होता है । बहुत बार बहुत सी बातें इस सदन के सामने दोहरा-दोहरा कर रखी जाती हैं और अन्त में सोशलिस्ट एकोनामी और जिस नीति को हम बरतते हैं उसका आपस में विरोध दिखा कर बहुत सी बातें यहां रख दी जाती हैं । सोशलिस्ट एकोनामी के संबंध में उनसे क्या कहूं जनता ने उनको उत्तर दिया, उसने उसको स्वीकार नहीं किया । हम अपनी ओर से उन्हें स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि हमारा स्वयं उसमें विश्वास नहीं है, आप उसे एक बार कहिये, दो बार कहिये, हजार बार कहिये । हम बार-बार आपको यही उत्तर देंगे कि हमारा आप से इस संबंध में मतभेद है । जिस मार्ग का आप हमसे अवलम्बन करने के लिये कहते हैं उस मार्ग का अवलंबन संसार ने किया है ।

साम्य का अवलम्बन साम्यवाद के नाम पर किया गया और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि संसार निश्चय ही आज एक कगार पर रुका हुआ है जिसमें मानव स्वतंत्रता की चीत्कार चारों ओर गूंज उठी है । साम्य के नाम पर मानव स्वतंत्रता कुचल दी गयी है, रक्तपात और युद्ध की पुकार मची हुई है । और इस सबको जन्म साम्यवाद की उस गूंज ने दिया है जिसको हमारे मित्र इस सदन में उठाना चाहते हैं। जिस चीज को वे बार-बार इस सदन के समक्ष बताते हैं निश्चय ही आज की जनता उसको स्वीकार नहीं करती है । आज का संसार उससे कुछ आगे बढ़ने की इच्छा रखता है । जिस क्रांति की वह बात करते हैं संसार उसको नहीं चाहता है । वह तो चाहता है सचमुच एक ऐसा शान्ति का संदेश जिसमें मानवता की गूंज हो, जिसमें कि मानवता का एक संदेश गांधी जी ने आने वाली पीढ़ियों के के लिये सदा के लिये दिया है । यों तो इस सोशलिस्ट एकोनामी के संबंध में जब जब इस बात को दोहराया जाता है मैं निश्चयरूप से यह कह देना चाहता हूं कि यह सदन, यह देश उसको स्वीकार नहीं करता । किन्तु आपकी जो बातें हैं इस सदन के सामने आप बार बार उनको कहते हैं। उनके संबंध में भी हमारा यही कहना है कि हम निश्चित रूप से उनको स्वीकार नहीं कर सकेंगे । जहां तक की निति का संबंध है, कितनी ही बातें बहुत रोचक रूप से कही गयीं ।

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

कहा गया कि १५ अगस्त, १९४७ का दिन एक जागरण का दिन आया था । उस दिन जनता के मनोविज्ञान को यह सरकार चाहती तो एक दूसरा रूप दे देती । अब मैं कैसे उनसे कहूं, श्रीमान्, १५ अगस्त , १९४७ के दिन इस देश में खून की नदियां वह रही थीं, मानव पागल हो रहा था साम्प्रदायिकता के नाम पर, हैदराबाद आने को बढ़ रहा था, पाकिस्तान ऊपर मंडरा रहा था , जनता के पास पैसा नहीं था, हजारों और लाखों शरणार्थी इस देश में भूखे और नंगे आ रहे थे और उस दिन को हमारे मित्र याद दिलाते हैं हमको और हमसे कहते हैं कि उस दिन हम न जाने क्या कर देते । मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा कि इतिहास के अन्दर जिस दिन १५ अगस्त, सन् ४७ का इतिहास लिखा जायगा तो इतिहास का यह पन्ना सब से गौरवमय भारतीय इतिहास का अंग होगा । जिस दिन इन तकलीफ़ों, इन कष्टों और इन कठिनाइयों के बावजूद इस सरकार ने इस देश की बागडोर अपने हाथ में खींची और आज का दिन इस सदन के समक्ष उपस्थित कर दिया । मैं तो कहता हूं, श्रीमान् जी, कि आज का दिन इस सदन के लिये बहुत बड़ा दिन है इन पांच वर्षों में देश की स्वतंत्रता के लिये , देश ने स्वतंत्रता पायी, एक दीवार पर लिख कर स्वतंत्रता नहीं आती है । आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मुख एक आदर्श था स्वतंत्रता का कि वह इस देश की भूख, गरीबी और कंगालों को दूर करे और इस देश में ऐसे समाज की स्थापना की जाय जिसमें रह कर के सब के अधिकार समान हों और हम उस दिन की कामना लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं । यह जो स्वतंत्रता आयी उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा की नीव डाल चुके हैं और हमने इसकी इमारत बनाने की तैयारी की है, देश में शान्ति रखी है, और देश में खून की नदियों को सदा के लिये समाप्त किया है और हमें कुछ स्थान प्राप्त हुआ है जिससे हम आगे बढ़ते चले जायंगे ।

श्रीमन्, आपके द्वारा मेरे मित्रों से मेरी प्रार्थना यह है कि हम आपकी बातों से सकेंगे नहीं और अगर हम रुकना भी चाहेंगे तो इस देश की वह शक्ति जो हमें अभी मिली थी उसके भावों की व्यंजना हमको रुकने नहीं देगी और हम आगे बढ़ते चले जायंगे । चाहे हमारे मित्र लाल टोपी लगायेंगे या हम सफेद टोपी लगायें ।

अब समय बहुत कम है इसलिये मैं दो शब्द में ही अपना कथन समाप्त करना चाहूंगा । आज जो समाज आप देखते हैं वह हमारे स्वप्नों का समाज नहीं है । हमारे स्वप्न में तो एक ऐसे ग्रामीण समाज की स्थापना थी जिसमें ग्राम-ग्राम में पक्की सड़कें हों, ग्राम-ग्राम में पक्के मकान हों, कुछ कल कारखाने हों, कुछ स्वावलम्बित अपने रूप में स्वनिर्भर कुछ इकाइयां हों जिससे जीवन सुखी हो और हरा-भरा हमारा देश हो, शस्य श्यामला भूमि हो । इसका क्या उपाय है ? इसका उपाय है हमारे निर्माण की योजना । लेकिन इसको हमारी निर्माण समितियां पूरा नहीं कर सकती हैं । उनके सामने एक बहुत ही पुराना इतिहास है जब कभी कोई सरकारी अफसर गांव में जाता है तो वहां के लोगों को याद आ जाती है कि किस प्रकार जबर्दस्ती जुरमाना और चन्दा वसूल किया है और भारतीय ग्रामीण जनता का कोई साम्य उसमें नहीं आता है । यही कारण है जिसका आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया जनता के एकी-करण का और जिक्र किया कि जब तक सारी जनता कार्य नहीं करेगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं ।

मैं अपने मित्रों से श्रीमान् आपके द्वारा एक बार फिर अंतिम प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है, देश के निर्माण का प्रश्न है, हमारे देश के निर्माण की नीव तैयार है, इमारत तैयार करनी है , इमारत बुलंद हो यह मेरा निश्चय है और निश्चय रूप से वह बनेगी । मुझे अपने मित्रों से कहना है कि गीता के अंतिम उपदेश के समान वह भी अपना कुछ योग इसमें दे दें तो अच्छा है । हम ऐसा स्थान बना सकें जिसमें जनता की भावनायें सम्मिलित हों और इस देश को हराभरा बनाया जा सके । जिस चीन का जिक्र हमारे दोस्त किया करते हैं वहां के किसानों का जो सबसे बड़ा प्रकरण है वह यह है कि गैरसरकारी तौर पर वहां तीन चौथाई कार्य जनता करती है । उसके लिये वह क्या करना

चाहते हैं। क्या केवल वादविवाद से ही कोई चीज हो सकेगी। मैं कहता हूं कि वह कभी नहीं हो सकेगी।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने स्वतंत्रता प्राप्त की और इसलिये प्राप्त की कि हमारा देश और हमारा प्रदेश सुखी हो और हमारे देश के रहने वाले धनधान्य से पूर्ण हों, बीमारी से रहित हों और यहां पर शोषित और शोषक का नाम बाक़ी न रहे "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुःखभाग्भवेत्" (सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब का कल्याण हो, कोई दुःखी न हो,) यह हमारा उद्देश्य और सिद्धान्त होना चाहिये।

इसी उद्देश्य को लेकर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की और उसी उद्देश्य पर आज हम चलना चाहते हैं। यहां पर प्रायः सोशलिज्म, गांधीज्म, फासिज्म आदि की बहुत सी बातें कही जाती हैं। यह इज्म जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं उसमें में कोई रोड़ा नहीं अटका सकते है बल्कि जितने इज्म होते हैं वे हर देश के काल और परिस्थिति को देख कर काम में लायें जाते हैं। जो देश जिस परिस्थिति में होता है वैसे ही इज्म का वह अनुकरण करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हमने भी अपने देश को ऊंचा उठाने की कोशिश की है। हमारे देश में भी बड़े-बड़े कार्य हो रहे हैं, जो दूसरे देशों के मुकाबले में कहीं ज्यादा ऊंचे काम हैं,। कहीं ज्यादा मान व इज्जत रखते हैं और हमारे वे कार्य जब पूर्ण हो जायंगे तो शायद संसार में अपनी अलग प्रख्याति रखेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस सिलसिले में कुछ और भी निवेदन करना है।

इस बात को देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़ी-बड़ी बातें हमारे प्रदेश में होती हैं, किन्तु हमारी जनता की रुचि उनमें कम होती है, हमारी जनता का सम्पर्क और सहयोग उनके साथ कम होता है। अधिकतर जो लोग उसमें कार्य करते हैं, जिन लोगों की प्रायः ऐसे कार्यों में जिम्मेदारी होती है वे तो कार्य करते हैं लेकिन जनता का सहयोग उनमें कम होता है। इसकी ओर हमें अवश्य देखना होगा। कारण जानना होगा क्योंकि ऐसी अवस्था में हमारा देश अधिक आगे नहीं बढ़ सकता।

चीन और रूस में जब यह प्लानिंग किया जाता है तो वहां पर लोगों में जोश होता है लोगों के दिलों में गुदगुदी है और जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट उनके देश के अन्दर बनते हैं वे उसमें पूरी सहानुभूति के साथ, लगन के साथ काम करते हैं लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे जो धुरन्धर पंडित, जिनके हाथ में देश की बागडोर है, जो देश के कर्णधार हैं उनको सोचना होगा और यह खुशी की बात है और हमें गर्व है कि देश के जो प्रख्यात व्यक्ति हैं जिनको देश मानता है, जिनके ऊपर देश आश्रित है, जिनके हाथों में देश की बागडोर उन्हें इस चीज को सोचना होगा। मैं तो यह सोचता हूं कि अवश्यमेव इसमें कमी है और वह कमी यह है कि हर इकाई जो ग्राम या शहर के रहने वालों की है उनकी पस्थितियां और उनकी आवश्यकताएं अपनी आंखों के सामने नहीं रक्खीं। हमें यह कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाते वक्त यह एलान कर देना चाहिये, सारे प्रदेश में एक साथ न कर सकें, ५ साल में पूरा न कर सकें. लेकिन जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट हम देहातों में लिये जा रहे हैं हम यह ऐलान करें, इस बात का विश्वास दिलायें कि इस ५ साल के अन्दर वहां कोई ऐसा मनुष्य नहीं रहेगा जो कि बेकार रहेगा। बल्कि इन ५ साल के अन्दर हम वहां ऐसी अवस्था करेंगे कि हर एक आदमी को काम देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार पर होगी। अगर इस तरह का आश्वासन और इसके साथ हम यह भी आश्वासन दें कि वहां पर शोषित और शोषक नहीं रहेंगे तो मैं आशा करता हूं कि एक स्फूर्ति, एक लहर उनके दिलों में भर जायंगी और सब लोग हमारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अन्दर पूरी उमंग के साथ काम करने लगेंगे।

[श्री केशव गुप्त]

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी प्लान हम करते हैं या कोई मकान बनाते हैं तो हमें भूमि समतल बनाना होता है ताकि उसके ऊपर इमारत अच्छी तरह से बन सके। हमें इसी तरह से समाज को समलत बनाने के लिये उसमें जो विषमतायें हैं उनको दूर करना होगा, अगर विषमता को दूर किये बगैर वहां पर समतल किया गया तो वहां पर जो कार्य करेंगे तो मुझे भय है कि हमारी इमारत अच्छी न बन सकेगी, स्थायी और टिकाऊ न बन सकेगी, सुन्दर न बन सकेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अन्दर इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि वहां पर उन गांवों में जो विषमतायें हैं वह जल्द से जल्द दूर हों और सभी लोग कार्य करें। इसके साथ साथ जिन लोगों को उद्योग में लगाया जाय उनको इस बात का आश्वासन दिलाया जाय कि जो चीज वह तैयार करेंगे, शिक्षा पाने के बाद जो उद्योग धन्धा वह शुरू करेंगे और उसमें जो भी चीज वह तैयार करेंगे उनकी बिक्री की जिम्मेदारी उनके बाजार को ढूढने की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। उन चीजों को सरकार खुद खरीदेगी या कोई उनकी बिक्री का इन्तजाम करेगी वरना उद्योग पाने के बाद वह बेकार हो जायेगें। उनके लिये बिक्री का इन्तजाम करने का सरकार का पूरा फर्ज है। टैक्नीकल स्कूल से निकलने के बाद बहुत से नौजवान बेकार फिरते हैं। मैक्नीकल इंजीनियर बहुत से मौजूद हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी ओर ध्यान करने की जरूरत है कि वह लोग जो भी चीजें तैयार करें उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर हो। उनकी बिक्री कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर हो। इसके ऊपर आप पूरी अपनी नजर रखें ताकि उनके अंदर सहयोग की भावना पैदा हो, और उमंग पैदा हो और इस बात का भरोसा हो और आश्वासन हो कि जो कुछ भी वह पैदा करेंगे उसकी बिक्री की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर होगी और वह स्वयं इससे मुक्त होंगे। यही सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहता था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (ज़िला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का निर्माण ही केवल ऐसा प्रश्न है कि जो प्लानिंग के विषय में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाई रामनारायण जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद जो अपना व्याख्यान दिया उसको सुनकर कुछ खेद सा हुआ क्योंकि मेरे दिमाग में यह सवाल था कि आज इस विषय में दो रायें नहीं हो सकतीं और इस सदन के हमारे माननीय सदस्य चाहे वे सफेद टोपी, या लाल टोपी, या पीली टोपी, पहनते हों आज इस विषय में अपने कुछ न कुछ सुझाव पेश करेंगे जिससे कुछ निर्माण कार्य हो सके कि जिसकी इस समय देश को जरूरत है। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद प्रत्येक प्रदेश और समूचे देश के सामने निर्माण के कार्य का एक सब से बड़ा प्रश्न रहा करता है। उस निर्माण-कार्य में सब लोगों के और जनता को सामूहिक सहयोग की आवश्यकता हुआ करती है, चाहे वह किसी पोलिटिकल पार्टी से संबंध रखता हो, चाहे किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन उस कार्य में हरएक विचारधारा के सहयोग की आवश्यकता हुआ करती है। उसी के लिये इस सदन के नेता जी ने सब भाइयों से प्रार्थना की थी कि इसमें अपने सुझाव पेश करें। रामनारायण जी एक भी सुझाव पेश न कर सके, सिवाय इसके कि जो उनकी आदत सी बन गई है नुक्ताचीनी करना जिसका कि इस प्लानिंग विभाग से कोई भी विशेष संबंध नहीं था शुरू से आखिर तक जिक्र करते रहे। खैर यह तो उनकी अपनी आदत रही।

अब मैं इस प्लानिंग के विषय में कुछ सुझाव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब से पहले जितनी योजनायें हुआ करती थीं वे सब गवर्नमेंट के ऊपर अथवा गवर्नमेंट के धन के ऊपर आश्रित रहा करती थीं। मैं समझता हूं कि आइन्दा जितनी भी योजनायें होंगी वह सब जनता पर आश्रित होंगी। जनता के सहयोग से हमारा सब कार्य हो सकता है इसलिये जनता के सहयोग की उसमें सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं आपके जरिये से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की उनमें यदि सफलता प्राप्त हो सकती है तो वह केवल जनता के सहयोग पर निर्भर करती है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जिस

प्रकार आज से पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये मुख्तलिफ़ किस्म के आन्दोलन उत्पन्न किये गये उसी प्रकार से आज इस निर्माण के लिये आन्दोलन पैदा करने की आवश्यकता है। जितना भारी आन्दोलन उठाया जायगा, जितना भारी सहयोग जनता का प्राप्त हो सकेगा उतनी ही भारी सफलता हमें प्राप्त होगी और उतनी ही सफलता की आशा होगी। कल जब मैं श्रीमती विजय लक्ष्मी जी का व्याख्यान सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि चीन में वहां की जनता द्वारा जो निर्माण कार्य हुआ है वह आंखों से मालूम होता है। मैं यह निवेदन करता हूं कि हम लोगों के सामने सबसे बड़ा कार्य यही है। मैं यह कह सकता हूं कि जितने भी अनुदान हमारे सामने उपस्थित किये गये उनमें आज इस अनुदान को मैं महत्वपूर्ण स्थान देता हूं। इसलिये जितना बहस मुबाहसा इस विषय के ऊपर होता उतना ही गवर्नमेंट के लिये अच्छा था और जितना टाइम अधिक दिया जाता उतना ही सबके लिये अच्छा था। लेकिन इसमें टाइम की कमी रही फिर भी इस कारण सुझाव भी कम ही दिये जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यह जरूर अनुभव करता हूं कि जो कार्य हजारों वर्ष में नहीं हो सकता था, जो कार्य सैकड़ों वर्ष में नहीं हो पाता था और जनता डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड अथवा गवर्नमेंट पर आश्रित रहा करती थी वह स्वावलम्बन की योजना के आधार पर उन्होंने स्वयं कर दिया। ५ साल का कार्य तो बहुत बड़ा है। मैंने अपने जिले मुजफ्फरनगर में गत वर्ष जनता के सहयोग से कुछ कार्य किया था। और एक एक गांव की एक एक सड़क को, बरसाती पानी के नालों को, खरंजों को जनता ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। गांव के स्कूलों को जनता ने अपने सहयोग से दिनों में बनाया है। इसके साथ ही साथ अगर सरकारी आफीसरों का भी सहयोग इसमें प्राप्त हो तो इस कार्य में और भी उत्साह पैदा हो जाता है। तिवारी जी ने माननीय पंत जी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा था कि प्लानिंग आफीसर्स और जिलाधीश जनता के संपर्क में नहीं आते हैं। वे जनता के संपर्क के लिये किसी भी स्थान पर नहीं जाते हैं। लेकिन मैं उनसे इस समस्त हाउस के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे मुजफ्फरनगर तथा मेरठ आदि जिलों में जाकर देखें तो उनको मालूम होगा कि वहां पर जितने भी अफसरान हैं, चाहे वह प्लानिंग आफीसर हों, चाहे और और दूसरे आफीसर हों उन सबों ने देहात के निर्माण की भावना हेतु कार्य किया है। उन्होंने अपने हाथों से बरसाती नाले बनाये हैं, अपने हाथों से सड़कें तैयार की हैं, अपने हाथों से खाद के गड्ढे खुदवाये हैं। मैं आपके सम्मुख यह बता देना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार से हमारे प्रदेश के और भी आफीसरान जनता के साथ संपर्क रख कर पब्लिक वर्क्स और पब्लिक योजनाओं में हाथ बटायेंगे तो अवश्य ही वे देश को आगे बढ़ाने में सफल हो सकेंगे। इसके साथ ही साथ अगर सब लोग मिलकर चाहें वे किसी भी विचारधारा के क्यों न हों. इस कार्य में हाथ बटायेंगे तो इस महान देश का भविष्य भी महान और उज्जवल होगा। परन्तु इस महान देश के महान भविष्य के लिये महान् सहयोग की आवश्यकता है, नुक्ताचीनी को छोड़कर पूर्ण सहयोग देने की आवश्यकता है।

मैं एक बात और भी निवेदन कहना चाहता हूं कि हमें ग्रो मोर फूड (अधिक अन्न उपजाओ) को प्राथमिकता देनी चाहिये। हमें इसके लिये जनता में उत्साह पैदा करने की जरूरत है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बैकवर्ड इलाकों के लोगों ने जैसे गोर्धनपुर परगने में १० हजार एकड़ के करीब जमीन तोड़ी है लेकिन वे उसका डेवलपमेंट बिना सड़कों और पुलों के नहीं कर सकते हैं। जो वे पैदा करेंगे उसको भी वे मारकेट में न ला सकेंगे जिसका नतीजा होगा कि वह जमीन फिर छोड़ कर भागना पड़ेगा। इसके लिये उन्हें सरकार को सहायता देनी होगी और वहां की जो सड़कें हैं, जो पुल हैं उनको सरकार को बनवाना होगा।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष, महोदय माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय को प्रारम्भ करते हुये जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने इस योजना का एक लक्ष्य बतलाया था और उस लक्ष्य पर पहुंचने का कुछ तरीका बतलाया था। मेरा ख्याल था कि उस अंतिम लक्ष्य के साधनों और तरीकों के संबंध में इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य को मतभेद

[श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा]

न होगा। इसलिये जब मैंने विरोधी दल के नेता का भाषण इस संबंध में सुना तो मुझे हैरत हुई। मैं सुनना चाहता था और मुझे यह आशा थी कि जब वह माननीय मंत्री के बाद भाषण देंगे तो वे उनको बधाई देंगे और यह आश्वासन देंगे कि इस निर्माण-कार्य में समाजवादी दल उनके साथ है और समाजवादी दल समस्त राजनीति और दलबन्दी को छोड़ कर इस कार्य में सरकार को पूरा सहयोग देगा, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। मैं नहीं जानता कि उनका क्या उद्देश्य और दृष्टिकोण है। मैं तो समझता हूं कि इस तरह की जितनी भी योजनायें हैं वे सब हमारे देश के खंडहर को एक आलीशान इमारत बनाने के लिये हैं। आज जितने भी कार्य हो रहे हैं वे हमारे उजड़े हुये देश को एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिये हो रहे हैं। जितने भी कार्य हो रहे हैं, उनकी कामयाबी पर हम समझते हैं कि इस देश का भविष्य और इस देश की स्वतंत्रता निर्भर है। अगर वह काम सफल हो जाते हैं तो देश की कामयाबी होती है, अगर नहीं सफल होते हैं तो यह समाजवाद के नारे और बड़े-बड़े सिद्धांत सारे के सारे रखे ही रह जायेंगे और देश की स्वतंत्रता खत्म हो जायगी। इसलिये मैं आशा करता था कि वे जरूर इस बात का आश्वासन देंगे, मैं अब भी उनसे पूछना चाहता हूं कि इस संबंध में उनकी पार्टी का दृष्टिकोण क्या है। अगर उनका यह ख्याल है कि दूसरे दलों की भांति, कम्युनिस्ट पार्टी की तरह वह भी प्रत्येक उस कार्य का जो सरकार द्वारा प्रारूढ़ हो, चाहे उसका उद्देश्य कितना ही पवित्र हो, विरोध करेंगे तो इस बात को उन्हें साफ कह देना चाहिये और यदि उनका यह लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है तो इस बात की घोषणा करनी चाहिये कि वह इस निर्माण-कार्य के साथ हैं और इसके लिये वह एक, दो या पांच साल के लिये अस्थायी संधि करते हैं जिससे कि यह निर्माण-कार्य की योजना सफल हो सके, कामयाब हो सके। मैं यह बात एक खास दृष्टि से कहता हूं।

समाजवादी दल जनता की बात करता है, जनता की बहुत सी बातें कहता है, मैं कहता हूं कि ठीक है, लेकिन यदि यह योजना जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं रहती है, अगर उनका प्रभाव इसे कार्यान्वित करने में नहीं पड़ता है और यह योजना आफिसरों के हाथ में रहती है तो उस योजना को वे अपने दृष्टिकोण के हिसाब से ही कार्यान्वित करेंगे और उससे जनता का लाभ नहीं होगा। इसलिये यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के साधन पैदा करें, तरीके तैयार करें जिससे यह योजना कार्यान्वित करने में जनता के लोग और जनता के प्रतिनिधि ज्यादा हिस्सा ले सकें।

मैं माननीय मुख्य मंत्री से भी इसी ख्याल से प्रार्थना करूंगा कि जहां उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर है कि जनता स्वयं आगे आवें और इस काम में हाथ बटावें, वहां उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वे किस प्रकार से इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये जनता का या गैरसरकारी लोगों का सहयोग लेंगे। मैं समझता हूं कि अगर इस योजना को कार्यान्वित होना है तो उसके लिये यह बहुत लाजिमी है कि प्राविंशियल लेबिल पर, जिले के लेविल पर, तहसील के लेबिल पर, थाने के लेबिल पर ऐसी मशीनरी हो जो जनता के हृदय में विश्वास और उत्साह पैदा कर सके, तभी जनता का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। मैं इसलिये उनसे प्रार्थना करूंगा कि आज तक जो परम्परायें रही हैं, इस सेक्रेटेरिएट की जो परम्परायें रही हैं, इस मंत्रिमंडल की जो परम्परायें रही हैं, वे पम्परायें समाप्त होनी चाहिये, उनमें तब्दीली होनी चाहिये। उस परम्परा के अनुसार ज्यादा से ज्यादा कार्य फाइलों में ही होता आया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि एक साल के लिये, दो साल के लिये, पांच साल के लिये इस प्रकार के फाइलों के काम को स्थगित या कम से कम कर देना चाहिये और मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का ज्यादा ध्यान प्रदेश के गांवों, कस्बों और देहातों की तरफ जाना चाहिये, उनका दौरा होना चाहिये। उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोगों से मिलना चाहिये, पंचायतों से मिलना चाहिये, यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधियों से मिलना चाहिये, दूसरे लोगों से मिलना चाहिये और तमाम लोगों से सहयोग लेने की कोशिश करनी चाहिये।

मैं यह भी समझता हूं कि इसके साथ ही साथ जहां हम सब जनता का सहयोग चाहते हैं वहां हमें यह भी दृष्टिकोण रखना चाहिये कि जो व्यक्ति चाहे वह किसी भी दल का हो, चाहे वह पूंजीपति हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह शहरी हो कोई भी आदमी हो अगर वह ऐसा वातावरण पैदा करने में सहायक होता है जिससे कि वह निर्माण कार्य में बाधा डाले तो उस व्यक्ति के खिलाफ हमको सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिये भी तैयार होना चाहिये । क्योंकि जैसे-जैसे निर्माण कार्यों के द्वारा हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे इसको असफल बनाने का प्रयास भी उन लोगों द्वारा हो रहा है जो यह समझते हैं कि इस निर्माण कार्य की सफलता से उनका अस्तित्व समाप्त हो जायगा और उनकी स्थिति खतरे में पड़ जावेगी। इसलिये वे इस योजना को नाकामयाब करने पर तुले हैं और इसकी कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे सजग रहें, उनके आफिसर्स सजग रहें, हमलोग सजग रहें और जिनका विश्वास है कि इस योजना को सफल बनाना ही चाहिये वे भी सजग रहें। इस प्रकार के समाज विरोधी दल को शक्ति शाली नहीं बनने देना चाहिये।

श्री काली चरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस राष्ट्र-निर्माण संबंधी कार्यक्रम पर हम बहस कर रहे हैं इस संबंध में मैं समझता हूं कि हमारे भवन के किसी भी दल के सदस्य को इनकार नहीं होगा कि आज हमारे राष्ट्र की और खुसूसन हमारे प्रान्त की जो दशा है उसे सुधारने के लिये जब तक हम अपने प्रान्त के हर एक दल का और एक-एक तरफ के नागरिकों का एक सा सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते तब तक हमें अपनी विकास की योजनाओं में सफलता मिलने में संदेह रहेगा। आज इस विकास की योजना के संबंध में बहस करते हुए अगर हम एक दूसरे पर दोषारोपण करें, एक दूसरे की कटु आलोचनायें करें, और विकास के संबंध में खामियां दिखलायें, जोरदार शब्दों में उन के कार्यों की निन्दा करें तो इससे सिवा इसके कि जो लोग अब तक इस विकास की योजना का मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं, या जिन्होंने अब तक हर तरह से परेशानियों को बर्दाश्त करके भी विकास की योजना में हाथ बटाया है उनको हतोत्साहित होना पड़ता है। उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। इसलिये जरूरी है कि विकास की योजनाओं में हम सब लोग खुले हृदय से हाथ बटायें, निर्णय करें, और उन्हें घोषित करें, एक दूसरे के ईमानदारी के साथ सहयोग दें तभी हम इस योजना को सफल बना सकते हैं। इस तरह अपने प्रान्त की ६ करोड़ जनता की सच्ची सेवा कर सकते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करके आज हम जनता के सेवक बनने का दावा करते हैं।

हमारे सामने जो इस वर्ष का बजट है उसमें सबसे पहले टाइपराइटरों का खर्चा दिखलाया गया है । टाइपराइटरों का खर्चा देख कर मुझे कुछ तकलीफ हुई कि अंग्रेजी टाइपराइटर खरीदे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि विकास योजना का संबंध चूंकि आम जनता के जीवन संबंधी आवश्यकताओं से है इसलिये उससे सम्पर्क को अच्छी तरह स्थापित करने के लिये हमें हिन्दी टाइपराइटरों का ही इस्तेमाल करने के लिये प्लानिंग आफिसर्स से कहना चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि हम अपने प्लानिंग आफिसर्स से विशेष रूप से यह आशा करते हैं कि वे इस राष्ट्र निर्माण कार्य में जनता का, उस जनता का जो अब तक दबी रही है, जो अब तक शोषित की जाती रही है, जो अब तक समाज के निम्न स्तर पर रही है, जिसको सिवा इसके कि उसको कुछ तकलीफ ही पहुंची हो, उसको कुछ परेशान करने की बात ही की गयी हो, उसे देने की बात अब तक कम ही रही, इसलिये वह हिचकिचाती है, डरती है हमारे सम्पर्क में आने से। अपने अन्दर कुछ प्रेरणा प्राप्त नहीं करती। इसलिये जरूरी है कि हम उनके अन्दर जब जायं तो भारतीय वेशभूषा में जायं, भारतीय भाषा और संस्कृति जो सदियों से उनके संस्कार में व्याप्त है उसको प्रोत्साहित करते हुए, पल्लवित करते हुए जायं। इसलिये जरूरी है कि प्लानिंग आफिसर्स कर्मचारी अपनी वेषभूषा और भाषा भारतीय ढंग की रखें।

[श्री काली चरण टंडन]

इसके अलावा हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आज है वह गांव में असंतोष की है, गांवों में अव्यवस्था की है। गांवों में जमींदारी उन्मूलन के बाद जिनके हाथ से शक्तियां छिन रही हैं उनकी ओर से अशान्ति के प्रयत्न करने की, जगह-जगह पेड़ काटने की, खेतों को उजाड़ने की और तरह तरह की कोशिशें करने की जो बातें हो रही हैं उनको रोकने के लिये हमें ग्राम-रक्षक दलों की आवश्यकता है। जैसा कि आप सबको मालूम हो चुका है प्रान्तीय रक्षक दल प्लानिंग विभाग के अन्तर्गत दिया गया है, इसलिये इस बात की निहायत जरूरत है कि प्रांतीय रक्षक-दल अपने सुशिक्षित और सुसंगठित सेवकों के जरिये ग्राम रक्षा के संगठन का भार अपने हाथ में ले। जब अपने ढंग पर वे सुसंगठित सेवक तैयार कर लेंगे तो उनसे योजना संबंधी और विकास संबंधी कार्य बहुत सहूलियत के साथ करवा सकते हैं। हमारे विभागीय अधिकारी उस विभाग को जो प्रान्तीय रक्षक दल के नाम से अब तक रहा है, चाहे किसी नाम से भी उसको उच्चारित करें, लेकिन उसका क म गांव के अन्दर शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ साथ जनता का विकास संबंधी योजनाओं में पूरा-पूरा सहयोग इस प्रांत में प्राप्त हो उस काम में उसको लगाना चाहिये।

एक बात खासतौर से ध्यान में रखनी है कि जो जिस योजना के अन्तर्गत हम चीजों उत्पादन कर रहे हैं, उनकी खपत हम सरकारी विभागों में और खासतौर से विकास संबंधी जो सरकारी विभाग हैं उनमें करना चाहिये, जैसे कपड़ा, स्टेशनरी और कागज है, चमड़े का सामान है, लकड़ी का और दूसरे सामान हैं जो इन शिक्षा के केन्द्रों से, जो विकास योजना के अन्तर्गत गांव में उत्पादित होते हैं उस सब सामान की जब तक अपने विभागों में ही खपत नहीं करते तब तक उनमें अच्छा और बाजार में बिकने लायक सामान तैयार नहीं हो सकेगा। अक्सर देखा जाता है कि अब तक उत्पादन के बावजूद भी जैसी खादी की खपत की हालत हम आज देख रहे हैं उसी तरह दूसरे गृह उद्योगों में भी पूरी-पूरी खपत नहीं हो पा रही है। इस बात की बात की जरूरत है कि हम अपने यहां जो भी चीजें पैदा होती है उन्हींको हम अपने व्यवहार में लाने की प्रवृति खुद स्वयं पैदा करें तभी दूसरे लोगों के सामने हम आदर्श रख सकते हैं।

इन सब चीजों के साथ साथ जब हम अपनी स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो हमें यह भी याद रखना होगा कि उनकी स्थिति अब तक समाज में कितनी निम्नतर रही है। यही कारण है कि वह हमारे बार-बार प्रयत्न करने के बाद भी उन विकास संबंधी योजनाओं में दिलचस्पी नहीं ले पाते। चूंकि समय समाप्त हो गया है इसलिये मैं इतना ही कह करके ही अपना कथन समाप्त करूंगा कि हम आप सबको भवन में और भवन के बाहर इन विकास संबंधी योजनाओं में सहयोग देने के लिये सदैव तत्पर रहना चाहिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अभी हम लोगों के सामने इस सदन में भावुकता को बढ़ाने वाली एक स्पीच दी। मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी स्पीचेज हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में भले ही कारगर साबित हुई हों लेकिन जिस समय प्रदेश भूख की ज्वाला में जल रहा है उस वक्त वह कहां तक कारगर साबित होंगी यह जमाना बतलायेगा।

आज देश में भुखमरी है। लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है। लोगों के पास मकान नहीं हैं। समाज में विषमता फैली हुई है, भ्रष्टाचार है, जर्जरता है। अगर आप नये भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो जनता की मनोवृत्ति को बदलना होगा और यह तभी हो सकता है जब जमींनों का बटवारा फिर से करें।

कहा जाता है कि हम लोग चीन की बात कहते हैं। चीन की बात हमने अपने भाषण में नहीं कही। चीन की बात तो आप ही कहते हैं और माननीय विजयलक्ष्मी पंडित ने भी कही। उन्होंने कहा कि दो साल के अन्दर चीन ने काफी क्रान्तिकारी कदम उठाया है और वहां की जनता इस थोड़े समय में ही सेल्फ सपोर्टर (आत्म-निर्भर) हो गयी है अन्न

के मामले में और विदेशों को भी अन्न भेज रही है। तो आप देखिये कि चीन ने दो ही साल में कितनी प्रगति की है। इतनी उसने प्रगति की और क्यों इतनी विकास की योजनाओं को बढ़ाया? उसके अन्दर क्या कारण था? आज आपको छै साल हुए अपना मंत्रिमंडल काम किये हुए, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाये हैं, इसका क्या कारण है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका कारण महज़ आपकी निकम्मी नीति है। अगर आप चीन की तरफ देखेंगे तो आप को यह मालूम होगा कि वहां जमीन का बटवारा हो चुका है, वहां का प्रत्येक किसान यह समझता है कि देश हमारा है, खेत हमारे हैं, मकान हमारा है, हमारे यहां जो कुछ राज्य कर रहा है हमारे लिये कर रहा है। इसलिये उनके अन्दर एक प्रेरणा है, एक भावना है अपने राष्ट्र को निर्माण करने की मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आज तक इस देश का प्रत्येक नागरिक यह नहीं समझता कि है कि राज्य हमारी रोटी और कपड़े की व्यवस्था करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप की निकम्मी नीति है जो आज...

अध्यक्ष—'आपकी निकम्मी नीति है' इन शब्दों में 'आप' शब्द का आप बहुत प्रयोग कर रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह—उस नीति की वजह से देश आज आगे नहीं बढ़ने पा रहा है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि सोशलिस्ट पार्टी की ओर से सहयोग नहीं दिया जा रहा है। जहां तक सहयोग का ताल्लुक़ है मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि सोशलिस्ट पार्टी का जो पंचमढ़ी का अधिवेशन हुआ है और वहां जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनकी ओर वे अपना ध्यान आकृष्ट करें। इसके साथ ही साथ जहां तक सहयोग का प्रश्न है हमने हमेशा सहयोग किया है। जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी हम आपके साथ थे। आगे भी देश के विकास के जितने प्रश्न हैं हम सहयोग देने के लिये तैयार हैं। जहां तक समाज विरोधी ताक़तों का सम्बन्ध है हम लोगों की बाबत कहा जाता है कि हम समाज के विरोधी तत्त्व हैं परन्तु मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमने हमेशा समाज में निर्माणकारी कार्य किये हैं और आगे भी निर्माणकारी कार्य करते रहेंगे। इस सम्बन्ध में हम लोगों की ओर से आपको बहुत से सुझाव भी दिये गये हैं।

जहां तक विकास योजनाओं का सम्बन्ध है, मैं अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि ज़िलों में हम लोगों का सहयोग नहीं लिया जा रहा है। प्लानिंग कमेटी को जो वहां है उसमें सभी एम० एल० ए० मेम्बर हैं लेकिन हमको कोई रिपोर्ट मीटिंग की नहीं दी जाती है। इसके साथ ही साथ मैं जिस तहसील का प्रतिनिधि हूं वहां भी एक प्लानिंग कमेटी है। वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं उनको उस प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं बुलाया गया। वहां ऐसे आदमियों को उस कमेटी की मीटिंग में बुलाया जाता है जो सरकार की हां हुज़ूरी करते हैं और जिनको जनता का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। आप ऐसे लोगों का तो सहयोग लेते हैं और हमसे यह कहते हैं कि हम सहयोग देना नहीं चाहते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि हम बराबर सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

जहां तक इटावा के विकास कार्यों का वर्णन किया गया, वे इटावा के विकास-कार्य नहीं हैं बल्कि इटावा जिले की कांग्रेस पार्टी के विकास कार्य हैं। वहां जितने विकास कार्य किये जा रहे हैं वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में किये जा रहे हैं।

[श्री गजेन्द्र सिंह]

भुइयांपुर ग्राम में सरकार की ओर से उस ग्राम का विकास करने के लिये हजारों रुपये दिये गये। वह ग्राम जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री का ग्राम है। वहां तमाम रुपये बरबाद किये गये, मकानात अधूरे बने पड़े हैं। उसके साथ ही साथ जो वहां भटठा लगा था, उसमें कई लाख ईंटें बरबाद हो गयीं। इसी प्रकार कौशलपुरी फार्म है जिसका नाम अब अशोकपुरी है। वहां पर मजदूरों ने एक सोसाइटी बना करके उस फार्म को आबाद किया था, वहां पर उन्होंने तमाम जंगल काटा था लेकिन जब वह फार्म बन गया तो कांग्रेस वालों का जी ललचाया और उन्होंने जिले के अधिकारियों से मिल करके उस कमेटी को विध्वंस करवाया, उनके कार्यकर्ताओं को जेल में बन्द करवाया, और फार्म को अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह वे जितने विकास कार्य होते हैं वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में होते हैं और उन पर जितने रुपये खर्च होते हैं वे बेकार जाते हैं। आपने बहुत से अमरीका के एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) बुलाये हैं। हिन्दुस्तान में भी ऐसे एक्सपर्ट मिल सकते हैं। अगर यहां न मिलें तो आप एक या दो एक्सपर्ट बुला सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहां से विद्यार्थी काम सीखने के लिये बाहर भेज सकते हैं। लेकिन अमरीकन एक्सपर्ट पर काफी रुपया खर्च किया जाता है। वे बंगलों में पड़े रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, मोटरों में बैठ करके सैर सपाटे में चले जाते हैं। इस तरह से जनता का रुपया बरबाद किया जा रहा है। पैदावार की बात कही गयी। वहां कुछ चुने हुए गांवों में कुछ चुने हुए किसान हैं, कुछ चुने हुए खेत हैं जिन पर बहुत रुपया खर्च किया जाता है, अच्छी सिंचाई की जाती है, इससे गेहूं और आलू की पैदावार वहां बढ़ी है। लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि प्रत्येक गांव की पैदावार बढ़ी है, प्रत्येक ब्लाक की पैदावार बढ़ी है, प्रत्येक क्षेत्र की पैदावार बढ़ी है। जितने भी काम होते हैं, उनसे केवल धनिक लोग ही फायदा उठाते हैं। ट्यूबवेल्स वहां पर लगाये गये हैं। व्यक्तिगत आदमियों ने ही जिनके पास पैसा था, उन्होंने ही ट्यूबवेल्स लगवाये। जनता के पास पैसा नहीं था। वह नहीं लगवा सकी। लिहाजा पैसे वाले ही फ़ायदा उठाते हैं। इसके साथ साथ इससे सिंचाई भी महंगी पड़ती है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस वाद विवाद से खेद है कि जिन बातों के बारे में मैं कोई रोशनी चाहता था वह रोशनी देखने को नहीं मिली। फिर भी इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि रोशनी दिखलाने का काम कठिन होता है। अन्धकार में कोई पड़ा हुआ हो तो उसके लिये ज्योति दिखलाना और भी कठिन होता है। इसलिये जब तक कि कोई ऐसी ज्योति आदमी के हाथ में न हो उसको उस अन्धकार से निकल कर दूसरे को ज्योति दिखलाना तो असम्भव सी बात होती है।

यहां पर बातें कही गयीं। कहा गया कि १५ अगस्त, सन् ४७ को तो हमें हथौड़ा पीटना था, लोगों को मारपीट कर एक करना था। हमारी नीति हैमरिंग करने की नहीं है। हम लोहे को पीटने का काम नहीं करते। हम तो जनता को एक मानवता की दृष्टि से देखते हैं और उनको लोहा समझ कर हथौड़ा नहीं चलाते हैं। यह तो कम्यूनिस्टों का हथौड़ा होता है या लेनिनिज्म में या मार्कसिज्म में हो सकता है। हमारे पास तो हथौड़ा है ही नहीं। हम तो अहिंसा से काम लेते हैं फिर हथौड़े से लोगों को कैसे पीट पाट सकते हैं? कहा गया कि हम तो बस मिस करते आये। हमारी तो आज सैकड़ों बसें सड़कों पर चल रही हैं। और वे बसें जो दूसरी तरफ बैठे हुये हैं उनको भी ले जाती हैं, उनका भी बोझा ढोती हैं और वह काम तो चलता ही रहेगा। तो इस तरह की बातें करके जहां पर कोई रचनात्मक कार्य करना हो वहां पर लोहा पीटने से काम नहीं चलता। वहां पर हथौड़ा दिखलाने से काम नहीं चलता। वहां पर तो मनुष्य को मनुष्य समझ कर, उसके प्रति एक अगाध

प्रेम लेकर ही काम चल सकता है न कि डराने से, धमकाने से या लोहे के ऊपर हथौड़ा ठोंकने से और न मनुष्य को लोहा समझ कर काम करने से। इसी कारण १५ अगस्त, सन् १९४७ को जब कि खून की नदियां देश में बह रही थीं जिसमें कि जो स्वतन्त्रता मिली थी वह डूबी जा रही थी उनको जो कि हर चीज को लोहे के समान देखते हैं उन खून की नदियों की याद ही नहीं है और शायद उस खून से न कोई उनका ज्यादा सम्बन्ध ही रहा है। परन्तु हमें तो जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है।

जहां तक बस को मिस करने की बात है वह तो मैंने कहा कि कई दफा हमने चाहा कि हमारे साथी साथ-साथ चलें, मगर वे तो बस मिस करने को क्या कहें, उससे सैकड़ों हजारों मील दूर रहते आये हैं। और हाल ही में उन्होंने देखा उन्होंने चाहा कि गाड़ी को कुछ खींचें। मगर खींचना तो दूर रहा कहीं बस के नजदीक भी कहीं नहीं आ पाये, बहुत दूर रह गये, जनता के सहयोग की बात कही जाती है। जनता का सहयोग किसके साथ है और किसके साथ नहीं वह तो टोपियों को गिन कर मालूम हो सकता है और यह लाल टोपी से, हथौड़े से, जनता को लोहा समझ कर पीटने से शायद ही आपस में एक दूसरे का सम्पर्क हो सकता हो, परन्तु जनता की सेवा की भावना से काम करने में, मैं समझता हूं कि हम सब एक हो सकते हैं, राजनीतिक भेदभाव होते हुये भी एक साथ चल सकते हैं। परन्तु मुझे खेद है कि इसकी झलक देखने में नहीं आ रही है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि हमें जनता का और सहयोग प्राप्त करना है, परन्तु सहयोग क्या प्राप्त करना है उनको अभी पुरुषार्थी बनाना है, कर्मठ बनाना है, सहयोग तो उनका हमारे साथ है। लेकिन हमें अपने यहां की अकर्मण्यता को दूर करना है और सबको मिला कर पुरुषार्थी बनाना है जिससे हम आगे चल कर अपने आदर्शों और उद्देश्यों को पूरा कर सकें। इन विचारों से और हथौड़े से काम नहीं चल सकता है। इसकी परख भी हो चुकी है और यही परिणाम निकला है कि हथौड़े से काम नहीं चला करता। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि जहां तक देश का संबंध है हम भी चाहते हैं कि सम्वेदना से काम हो, हम भी चाहते हैं कि विषमता दूर की जाय और आपस में सद्भाव हों परन्तु क्या उत्पादन के कार्य को रोक दिया जाय और कोई उपाय न किया जाय। जब तक जमींन की तक्सीमी न हो तब तक क्या उसका उपयोग न किया जाय। क्या जो काम है उनको पूरा न किया जाय, क्या पैदावार न बढ़ाई जाय ? अगर यही समझा जाय तब तो हम हमेशा उसी स्थिति में रहेंगे जहां कि आज हैं और आगे बढ़ने नहीं पायेंगे।

बार बार यह कहा जाता है कि अगर जमीन तक्सीम हो जाती है तो यह हो जाता, वह हो जाता। कई दफा कहा गया और पहले भी कहा गया और चुनाव के बीच में नेताओं ने कहा कि हर एक के पास ३० एकड़ जमींन, एक गाय और दो बैल चाहिये। लेकिन न तो किसी को तीस एकड़ जमीन मिली, न किसी को एक गाय मिली और न किसी को दो बैल ही मिले। इसलिये हम जनता को तो व्यवहारिक रूप से कार्य करने में आगे बढा सकते हैं। हमें हर रास्ते से आगे बढ़ना पड़ेगा और रास्ते की हर कंकड़ी को उठाना पड़ेगा। उसके लिये उद्योग करना है, श्रम करना है। बार-बार कहा जाता है कि जब तक यह नहीं होता तब तक यह नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता।

आज चीन में क्या हो रहा है! वहां तो अभी तक जमींदारियां भी समाप्त नहीं की गई हैं, कैपीटेलिज्म को खत्म नहीं किया गया है और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज अभी तक कायम हैं। मैं चाहता हूं कि सोशलिस्ट भाई व्यवहारज्ञ हों। उच्च आदर्शों का रखना तो ठीक है लेकिन व्यवहार में न लायें और रास्ता बंद कर दिया जाय तो

[श्री गोविन्द बल्लभ पन्त]

उस आदर्श तक पहुंचा नहीं जा सकता है। लेनिन ने भी बहुत से कम्प्रोमाइज (समझौते) किये हैं। इसलिये कि वह अपना आदर्श रखना चाहता था। वह आदर्श क्या है ? मैं जानता नहीं हूं। लेनिनिज्म है स्टैलिनिज्म है या कौन चीज है जिसके नाम पर यह बातें कही जाती हैं। हमारी तो यह धारणा है कि ऐसा कार्य करें जिससे सब में समता ला सकें, उत्पादन बढ़ा सकें और देश की उन्नति कर सकें।

सोशलिस्ट पार्टी ने तो कई बार इस चीज को कहा है। जब स्वतंत्रता का ऐलान हुआ और १५ अगस्त आया तो उस पर भी इनको भरोसा नहीं हुआ कि स्वतन्त्रता आ रही है और जब कांस्टीटुएंट असेम्बली बनी तब भी इनकी तरफ से यही कहा गया कि इससे स्वतंत्रता नहीं आ सकती है। आज जब योजना रखी जाती है वे समझते हैं कि कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जिन बातों से परिणाम निकला है उनको इन्होंने हमेशा ऐसा ही समझा है और अगर ऐसा समझें जैसा कि उनका अभ्यास रहा है, उसीके अनुसार यह है और मुझे इसमें आश्चर्य नहीं होता है। परन्तु मैं चाहता हूं कि राजनीति और व्यावहारिक बातों में कुछ अन्तर रखा जाय और व्यावहारिक बातों को व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय।

मेरे एक मित्र ने कहा कि हमको कमेटी में नहीं रखा गया। उनको शायद विदित नहीं है कि कोई भी एम० एल० ए०, एम० एल०ए० के रूप में इन प्लानिंग कमेटीज में नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन एक्स आफिशियो मेम्बर की हैसियत से रखे गये हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने भी किसी को नहीं रखा तो यह दोष सरकार का नहीं है। यह कहना कि उनका सहयोग नहीं लिया गया इसके लिये यह सरकार जिम्मेदार नहीं है।

दुबारा पूछा गया कि प्लानिंग कमेटीज किस तरह से बनाई जायं लेकिन कोई सलाह नहीं दी गई। बिना कारण उलाहना दिया गया जिसके लिये कोई बुनियाद नहीं, ऐसी बेबुनियाद बातों से काम नहीं चलता। एक तरफ से कपोल-कल्पित बातें कही गईं कि कोई आदमी सो रहा था, वह सोकर बहुत सी बातें सुनता रहा उसने रिपोर्ट दी और उसने सुपर केबिनेट बनाई। यह सब बेकार की बातें हैं। यह भी कहा गया कि इस योजना से समत्व नहीं, पैदावार बढ़ाने से समत्व होगा या पैदावार घटाने से समत्व होने वाला है ?

फिर कहा जाता है कि सरकारी अहलकार ठीक से काम नहीं करते। अगर बदलने की बात की जाती है तो कहा जाता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, यानी हर तरह से आदमी के ऊपर आक्षेप किया जाता है जिससे हम अगर कोई काम ठीक तरह से करना भी चाहें तो सरकारी कर्मचारियों में ऐसा असंतोष पैदा किया जाय जिससे काम ठीक न चल सके। जब हम चाहते हैं कि सब सरकारी कर्मचारी बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के साथ सबके साथ बराबरी का बर्ताव करें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सरकारी कर्मचारियों को उत्तेजित किया जाय, कहीं चपरासियों का जुलूस बना कर निकलवाना यह सब किया जाता है। मैं कहूंगा कि जहां पर कोई भी बात ठीक ढंग से की जा रही हो उसे ठीक ढंग से किये जाने में रुकावट डालना, इन सब बातों से न देश बनता है, न किसी पार्टी का उत्थान हो सकता है।

मैं समाजवादी सिद्धान्तों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि जो कुछ प्राकृतिक रूप, व्यावहारिक रूप से कर सकें, जिससे हमारे देश में जो कुछ विषमता है व दूर हो सके, जिससे हमारे देश के जो दुखी लोग

हैं उनका दुख दूर हो सके, सुख बढ़ सके, इन कामों को करें तभी देश का हित हो सकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो बातें कहीं उनका जवाब देना है, किन्तु समय का भी ख्याल रखना है।

अध्यक्ष--समय सवा बजे तक ही रखा गया है, उसी के अन्दर आप समाप्त कर दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जहां तक सहयोग का सवाल है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को चैलेंज करता हूं कि एक प्लानिंग डिवीज़न वह हमें दे दें और एक प्लानिंग डिवीजन कांग्रेस स्वयं ले ले, तब हम दिखला देंगे कि प्लानिंग में वह एक्सपर्ट हैं या हम हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने जो अंग्रेजी के एक मुहावरे को इस तरह से गलत रिप्रेजेंट किया जिसकी मुझे आशा नहीं थी। हम बालक हैं। आप सिंस्यिर्ली (सत्यतापूर्वक) सोचते हैं लेकिन हम देखते हैं कि आप के आदर्श और कार्य में मेल नहीं है। तो हमें दुःख और तक़लीफ होती है। उस समय हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम आपको जगावें, झझकोरें कि आपकी बस ग़लत जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी को सोचना चाहिये कि आपकी बस मद्रास में कैसी चल रही है जहां पर संविधान को ताक पर रख एक नामजद राजगोपालाचार्य की मिनिस्ट्री बनाई गई है। पेप्सू में आपकी बस कैसे चल रही है ? ट्रावन्कोर में कैसी चल रही है ? आपने चुनाव के मौके पर बटवारे की बात कही थी और यह भी कहा था कि पूंजीवाद का विनाश किया जायगा। और जनता ने आपका साथ दिया। इन पिछले ५ सालों में जो आपने किया उसी के आधार पर आप समझते हैं कि जनता ने आप का साथ दिया। यह बात बिलकुल गलत है। आपका साथ अगर दिया भी है तो वह ६० साल की कांग्रेस की जो प्रेस्टीज़ थी उसकी वजह से आपकी कामयाबी है उसने साथ दिया है। जिसमें हम लोग भी आपके साथ थे और देश की आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिला कर अंग्रेजों से लड़े थे। वह भूल जाते हैं कि उस लड़ाई में जिन शक्तियों ने आजादी को प्राप्त कराया उसमें हम भी उनके साथ थे। अगर कोई बात हम कहते हैं तो उसका यह मतलब कदापि नहीं हो सकता कि वह गलत बात है या हम उसका विरोध करते हैं। हम तो यह समझते हैं कि विरोधी दल का यह फर्ज है कि अगर सरकार कोई गलती करती है तो उसका सुधार किया जाय और उसके सुधार के लिये जो भी मुनाबिस समझा जाय दिया जाय। हम इस बात को मानते हैं कि चीन हमारा गुरू नहीं है और न रूस हो सकता है, लेकिन वहां जो काम हुये हैं उनसे कुछ तो शिक्षा मिल सकती है वहां पर जमीन का बटवारा किया गया और पूंजीवाद का नहीं विनाश किया गया और जब वहां पर नहीं विनाश हुआ तो हम भी अपने यहां न करें यह कोई दलील नहीं हो सकती है। कम से कम उसकी देखा देखी जमीन का बटवारा तो किया जावे।

कोआपरेशन की बात कही जाती है। यह आपकी रिपोर्ट जितनी यहां पर मिली है उनसे जाहिर होता है कि जनता का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है और जनता सरकार को सहयोग नहीं दे रही है। जब जनता को खाने पीने का कपड़ा का इन्तजाम भी नहीं है तो फिर वह किस प्रकार से आपको सहयोग दे सकती है। अंग्रेजों के जमाने में जनता को जितनी परेशानियां थीं उससे कहीं ज्यादा आज हैं और वह हर तरह परेशान है और मैं तो यह भी कहता हूं कि इस सरकार की नीति तो उससे भी ज्यादा खराब है इस सरकार ने गोरखपुर में गोली चलवा दी। जनता की रोजाना की परेशानी दिन पर दिन बढती जाती है। आप चीन को आदर्श नहीं मानते हैं। न मानिये परन्तु इसके यह मानी नहीं हैं कि अपने यहां उन्नति के लिये उनसे कोई सबक न लिया जाय।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

हमारे मुख्य मंत्री जी अपनी प्रेस्टिज (प्रतिष्टा) को कायम रखने के लिये इस तरह की बात कहते हैं कि वह बहुत सुन्दर काम कर रहे हैं और उनकी पार्टी जनता का भारी सपोर्ट लेकर यहां आई है। यदि चुनाव में बहुत सी पार्टियां खड़ी न होती तथा कांग्रेस की सात साल की साख तथा महात्मा गांधी के नाम का प्रयोग न किया गया होता तो कांग्रेस का जीतना मुश्किल होता। यदि केवल हमारी पार्टी और कांग्रेस केवल दो पार्टियां में संघर्ष होता तो हम दिखा देते कि जनता किस के साथ है। यह प्रदेश हमारा भी है और हमको इस देश से प्रेम है और हमने भी देश की आजादी के लिये काम किया है, लेकिन जब तक आप भूख मिटाने इन्तजाम ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं आयेगी। मैं तो यह समझता हूं कि चांगकाई शेक की तरह से यहां पर भी भ्रम हो रहा है कि फारमूसा के एक कोने में पड़ा हुआ है लेकिन आज भी यह समझ रहा है कि सारे चीन का मैं ही रूलर हूं जबकि यहां पर हालत यह है कि सारा चीन लाल हो गया है और उसके लिये कोई भी जगह वहां पर नहीं है लेकिन उसी भ्रम में वह पड़ा हुआ है।

इसी तरह हमारे प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी अस्ट्रिच पालिसी का अनुसरण कर रहे हैं। वह यह समझते हैं कि प्रान्त में जो गड़बड़ी हो रही है उससे आंख मूंद ली जाय तो समस्या का हल हो ही हो जावेगा। यह शुतुर्मुग की नीति प्रदेश के लिये घातक हो रही है।

इस तरह से हम विरोधी दल के नेता या विरोधी दल की तरफ यह कहना अपना फर्ज समझते कि आप अहिंसा और महात्मागांधी के विचारों को मानने वाले हैं अपनी आंखों को बन्द न कीजिये, तथ्य को सामने रखिये। कहीं आप चांककाई शेक की भांति, कोमिंटांग की भांति भ्रम में न रहें और अन्त में आपको किसी कोने में शरण न लेना पड़े। कुर्सी के लिये आप भले ही लालायित हों, लेकिन उसकी रक्षा के लिये भी और देश की रक्षा के लिये आपको यह चीज ध्यान में रखनी होगी।

अध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां, जब माननीय मुख्य मंत्री को अक्सर यह शिकायत रहती है कि हम सहयोग नहीं देते इसलिये हम अपना गौरव समझते हैं कि कटौती का प्रस्ताव वापस लें।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—योजना योजना और एकीकरण (लेखा शीर्षक: ६३—क-युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय) के अन्तर्गत ३७,२४,६००- रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

आगामी कार्य-क्रम के संबंध में घोषणा

उपाध्यक्ष—कार्य आरम्भ करने से पहले मुझे दो तीन घोषणायें करनी हैं। पहली यह है वर्त्तमान क्रम में सदन का यह जलसा तारीख १ अगस्त के बाद नहीं होगा और यह सदन संम्भवतः १८ अगस्त को फिर यहां सम्मिलित होगा।

सोमवार के दिन जमींदारी विनाश के संबंध में जो नियम बने हैं उन पर विचार किया जायगा और इस सदन में जो कार्यवाही अगले हफ्ते के लिये होगी उसके विषय में भी सरकार की ओर से परसों सूचना दी जायगी।

चूंकि यह सदन तारीख ८ को नहीं बैठ रहा है, इसलिये असरकारी कार्य के लिये जो ८ तारीख थी वह नहीं पड़ेगी और इसलिये उस विषय में शलाका आज नहीं पड़ेगी ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मैं यह जानना चाहता था कि इस बैठक के लिये माननीय मंत्री जी ने पूर्वी जिलों की खाद्य व्यवस्था के बारे में मैंने जो प्रस्ताव दिया था उस पर इस सदन में इसी सेसन में विचार करने का अवसर देने का वादा किया था और कहा था कि इसी समय इस पर अवश्य विचार किया जायगा। मैं क्या माननीय मंत्री जी से आप के द्वारा मालूम कर सकता हूं कि क्या उस प्रस्ताव को ५ बजे के बाद ३ या ४ घंटे के लिये लिया जा सकता है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—वैसे तो मेरे ख्याल में मुनासिब यह है और हाउस के मेम्बरान शायद इस बात को मुनासिब समझेंगे कि जिस बात को राज नारायण साहब कह रहे हैं उसको जब १८ तारीख से बैठेंगे किसी वक्त तभी ले लिया जाय। किस वजह से इस वक्त लिया जाना जरूरी है यह मैं नहीं समझा हूं। अगर इस वक्त लिया जाना जरूरी है तो मैं परसों को बतला सकता हूं कि क्या किया जाय।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्यय-में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक ४—कृषिआयकर की उगाही पर व्यय

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—कृषि आय कर की उगाही पर व्यय (लेखा शीर्षक ४) कारपोरेशन कर को छोड़ कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत २,८७,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मुझे इस मांग के संबंध में सदन का अधिक समय नहीं लेना है बहुत छोटी रक़म २,८७,२०० रुपये की है जिसका ब्योरा बजट की जो जिल्दें हैं उसकी जिल्द नम्बर ३ में वह दिया हुआ है। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को कायम हुये ४ साल हो गये। १ करोड़ २५ लाख के करीब १३५९ का असेस्मेंट आता है जो पहले साल १ करोड़ ७ लाख के करीब था और खर्च केवल २ लाख ८७ हजार था यानी सवा दो फीसदी के करीब एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता था। मैं समझता हूं कि यह एक बेगुनाह सी मांग है। मुझे इस पर ज्यादा कहना नहीं है और मैं आशा करता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इसे एक मत से स्वीकार कर लेंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदर्णीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

आदर्णीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने अभी कहा है कि यह अनुदान छोटा सा है म मानता हूं कि यह सही है। मगर रकम छोटी हो या बड़ी, यह कोई बात नहीं है, अन्दाजा तो अनुदान के उद्देश्य से लगाना चाहिये कि वह किस लिये मांगा जा रहा है। अगर अनुचित काम के लिये एक पैसा भी खर्च किया जाता है तो मैं उसे बहुत बड़ा खर्च समझता हूं और बेकार का समझता हूं और यदि अरबों रुपया उचित काम के लिये खर्च किया जाता है तो यह खर्चा मैं ज्यादा नहीं मानता। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इस समय

[श्री राज नारायण]

यहां जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी को उपस्थित रहना चाहिये था, वह नहीं हैं। कुछ ऐसी मौलिक बातें उठाई गयी थीं और इस भवन में बार बार उठाई जाती हैं जो भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। जो अनुदान है यह स्पष्टीकरण करेगा कि जिस तरह से तिकड़म और तमाम धांधलियां पैदा करके आज सफेद टोपियों की बाढ़ यहां पर हुई है।

माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स लगाया जा रहा है वह निहायत ही गलत तरीका है। बहुत से लोग जो कि इनकमटैक्स देने के काबिल हैं उन्हें केवल इसलिये छोड़ दिया गया है कि या तो वे किसी बड़े कांग्रेसी लीडर के रिश्तेदार हैं या उनसे उनका नाता है। मुझे मालूम हुआ है और ऐसे उदाहरण हमारे सामने विद्यमान हैं कि जहां १६ हजार रुपया इनकमटैक्स लगाया गया था, वहां उन्हें ,आश्वासन दिया गया कि अगर वे कांग्रेस उम्मीदवार की सहायता करें तो उनके टैक्स को कम कर दिया जायगा और उसकी जगह ४ हजार की आमदनी की गई। आखिर यह जो २ लाख कई हजार रुपया अनुदान मांगा जा रहा है और जिस तरीके से यह खर्च किया जायगा वह तरीका क्या इसलिये अख्तियार किया जायगा कि जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखता हो वह टैक्स से बरी कर दिया जाय या उस पर क्या टैक्स लगाया जाय।

गांव सभायें हमारे, प्रदेश में हर क्षेत्र में प्रसारित हो चुकी ह तो उनकी राय क्यों नहीं ली जाती? मैं चाहता हूं कि उनकी राय सरकारी कर्मचारियों की राय के ऊपर मानी जाय। यदि गांव सभा कहती है कि फ़लां व्यक्ति की आमदनी इतनी है तो किसी सरकारी कर्मचारी को अधिकार नहीं है कि वह गांवसभा की राय को अनुसुनी करके यहां से लाद दे कि वह शख्स इतना नहीं दे सकता। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी होते तो मैं आज उन्हें अच्छी तरह बता देना चाहता था क्योंकि बार बार उन्होंने उनकी पार्टी के लोगों ने यह कहा है कि चुनाव के ज़माने में जनता ने सोशलिस्ट पार्टी का साथ नहीं दिया और कांग्रेस का दिया। मैं चाहता हूं कि उनके कोलीग्स (साथी) मेरी बात उन तक पहुंचा देंगे। मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था और चैलेंज किया कि क्यों नहीं वे कुछ खास खास स्थानों पर फिर से चुनाव कराकर देख लेते कि पक्षपाती, दकियानूसी और कुनबापरस्ती के साथ जनता है या अग्रशील सोशलिस्ट पार्टी के साथ है। बार बार लाल टोपी का और सफ़ेद टोपी का ज़िक्र किया जाता है और कहा जाता है कि सफ़ेद टोपी का रंग आदर्शवादियता में माना जाना चाहिये। सफ़ेद टोपी की परिभाषा हमारे माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी ने दी थी और आज वह सत्य है कि अधिकांशतः वह समुदाय जो जन सेवा के नाम पर जनता का गला घोटता है वह सफेद टोपी आज धारण कर लेता है मैं कहता हूं कि बाहरी भेष से विचारों का अन्दाज नहीं लगाना चाहिये।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसादमौर्य)---आन ऐ प्वाइन्ट आफ़ आर्डर, सर (श्रीमान् मैं विधान का एक प्रश्न उपस्थित करता हूं।) मैं यह निवेदन करता हूं कि क्या कटौती का यही उद्देश्य बताया गया है जिस पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं। लाल टोपी और सफेद टोपी का जो भाषण हो रहा है। वह बात तो इस ग्रांट के अन्दर या उसके उद्देश्य के अन्दर आती है नहीं।

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव पर ही भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण---इस सदन की परिपाटी चली आ रही है। मैं आपके द्वारा अपने माननीय उपमंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि बार बार प्वाइन्ट आफ आर्डर (वैधा- निक प्रश्न) बार बार क्लोजर मोशन महाशय ले आय करते हैं। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि यह जो

ढांचा खड़ा किया जा रहा है, अफसरों का यह ढांचा पार्टी इन पावर को मजबूत करने के लिये खड़ा किया जा रहा है। मुझे इस बात का पूरा अधिकार है कि मैं अपने विचारों को यहां स्पष्ट करूं। कोई प्वाइण्ट आफ आर्डर (वैधानिक प्रश्न) नहीं उठता है। इसलिये आदर्णीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी है उस रूलिंग को मेरे मित्र क्वेश्चन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आपत्ति श्री मौर्य जी ने उठायी थी उस पर आपने यह रूलिंग दी कि आपको अपने मजमून के अन्दर रहना चाहिये। उस पर आपने कहा कि ऐसा कोई प्वाइण्ट आफ आर्डर नहीं उठता। तो यह एक प्रकार से चेयर का अपमान किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष--मैंने तो यही कहा था कि माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पर ही बोलने की कृपा करें।

श्री राजनारायण--आदर्णीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कोई रूलिंग नहीं दी थी मैं आपकी रूलिंग को कद्र करता हूं और यह मैं जानता हूं कि स्पीकर को कितनी कद्र होनी चाहिये और डिप्टी स्पीकर को कितनी कद्र होनी चाहिये। लेकिन जब यह सवाल उठाया गया है तो मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि यहां पर हमारे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय का अपमान ट्रेजरी बैंचेज की तरफ हुआ करता है। बराबर हमने मार्क किया है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय कभी भी स्पीकर महोदय के सामने नतमस्तक नहीं होते, जबकि सदन का यह नियम है कि कोई भी हो, चाहे माननीय मुख्य मंत्री हों, चाहे और कोई मंत्री हों चाहे कोई सदस्य हो, वे आने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सामने नतमस्तक होकर बैठें।

उपाध्यक्ष--मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं।

श्री राजनारायण--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बीच-बीच में ऐसी बात छेड़ दी जाती हैं ताकि मैं अपना शब्द प्रवाह बन्द कर दूं मगर मेरा वह प्रवाह बन्द होने वाला नहीं है। तो मैं आपके द्वारा अपने माननीय मंत्रीगण से और इस सदन के तमाम सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि आखिर यह ढांचा क्या है। कहीं हैडक्वार्टर है कहीं कृषि है कहीं कर्मचारियों का वेतन है और न मालूम क्या-क्या है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि वे अपने दिल में इस बात को स्थान दें और वे अपने अधिकारियों को इस प्रकार का आदेश दें कि वे ग्रामसभाओं से जाकर पूछें कि उनके यहां कौन कौन व्यक्ति हैं? उसकी आमदनी कितनी है, वह एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लेने लायक है या नहीं, इस प्रकार जांच कर टैक्स लगावें तो सच्चा काम होगा। मेरा चैलेंज था कि माननीय मंत्री महोदय कोई इनक्वायरी कमेटी बैठावें, नान आफिशियल इनक्वायरी कमेटी बैठावें और वे खुद उसके चेयरमैन हों और तब देखें कि कितने ऐसे केसेज मैं उनके सामने देता हूं जिससे हमारे स्टेट की आमदनी भी बढ़ जायगी। वे लोग इनकम-टैक्स से छोड़ दिये जाते हैं, जिन्होंने चुनाव के बीच में कांग्रेसी उम्मीदवारों की सहायता की है। तो अगर कांग्रेसी उम्मीदवारों की इस प्रकार के तिकड़म के जरिये सफलता होने पर अगर हमारे माननीय मंत्री जी और ट्रेजरी पार्टी वाले जनता की मनोवृत्ति का अन्दाजा लगाने की गलती करते हैं तो वे हमेशा गलती में रहेंगे। इतिहास बतलाता है कि चाहे किसी को ६०, ७० या ८५ वर्ष की उम्र हो, और चाहे वह राजनीतिक कारणों से एक या दो तीर बार जेल भी काट आया हो लेकिन जब जनता का विश्वास उस पर से उठ गया है तो जनता ने उसको भी ठुकरा दिया है।

बार बार यह कहा जाता है कि सन् ४२ में सोशलिस्ट पार्टी ने क्या किया, मैं पूछता हूं कि आपने क्या किया, हमारे माननीय मंत्रियों ने क्या किया? केवल तिगड़म किया? ऐसे

[श्री राजनारायण]

जजबात को उभाड़ कर जब सदन के समय का दुरुपयोग किया जाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जो अनुदान रखा गया है इसमें इनकमटैक्स निर्धारित करने का जो तरीका रखा गया है वह बिलकुल गलत है। जो जनता की चुनी हुई मशीनरी हो उसके जिम्मे यह काम होना चाहिये जिससे जनता का उसके ऊपर विश्वास हो । सरकार ब्यूरोक्रेटिक तरीके पर काम कर रही है। किसी देने लायक उचित व्यक्ति को टैक्स लगाने से छोड़ देना और न देने लायक व्यक्ति पर टैक्स लगाना, यह परिपाटी मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत है। मैं निहायत अदब के साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो है वही सत्य नहीं है। मंत्री जी इस दार्शनिक सत्य को भी मानें, इससे प्रदेश का कल्याण होगा और मंत्री जी का विशेष नुकसान भी नहीं होगा।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि जो विषय था उस पर बहुत ही कम कहा गया और अनर्गल और असम्बद्ध प्रलाप बहुत किया गया। लेकिन मुझे ताज्जुब कुछ नहीं, क्योंकि जब आदमी को रोष होता है तो बुद्धि कूच कर जाती है । इसलिये युक्तियां नहीं दी जा सकती हैं। आपके जरिये अपने विरोधी पक्ष के सदस्यों से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जैसे अब तक शांतिपूर्ण ढंग से और बिना गर्मी पैदा किये इस बजट पर बहस होती रही है उसी रवैये पर कायम करें, वरना गर्मी पैदा करने से न उनका, न इस सदन का, न जनता का कोई हित सम्पादित होना है।

सिर्फ एक बात कही गयी कि गांव सभाओं के जरिये टैक्स तशखीस कराना चाहिये, क्योंकि अफसरों के जरिये जो टैक्स तशखीस कराया जाता है तो उससे कांग्रेस वालों के हक में पक्षपात किया जाता है और चूंकि उनके हक में पक्षपात किया गया इस वजह से सफेद टोपियों की तादाद ज्यादा दिखायी देती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारे सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि चाहे किसी प्रकार का उनको अपनी तबियत पर जब्र करना पड़े, लेकिन यहां विचार स्वातंत्र्य, अपने ख्यालात के इजहार करने की स्वतंत्रता कायम रहेगी । यह तो उन्होंने फरमाया था इस सदन के बाहर के लिये । लेकिन जहां तक इस सदन का संबंध है वहां कोई सवाल ही नहीं उठता । हर आदमी के जबान है, चाहे कुछ कहे । चाहे किसी शख्स की चंकाईशेक से मुशाहबत दें, या कोंमिटान से कांग्रेस पार्टी की उपमा दें। लेकिन यही कह सकते हैं कि जहां तक जनता के हित का संबंध है, जहां तक अपने देश के दुखित जनों के दुखों को देख कर द्रवित होना का संबंध है, ये सफेद टोपियां जो कि अपने देश की संस्कृति का अतीत काल से प्रतिनिधित्व करती आई है वह खूनी रंग वाली टोपियों से कहीं भी कम नहीं है, किसी प्रकार कम नहीं है । सिर्फ तरीकेका फर्क है। एक यह संकेत करता है कि अपनी तकलीफ उठा कर देश के उन्नति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और दूसरे से यह संकेत होता है कि अगर जरूरत पड़े तो दूसरों को तकलीफ देकर। खैर, उस सिलसिले में ज्यादा कहना नहीं चाहता।

दुनिया में आज तक एलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्ज को टैक्स के असेसमेंट का काम कभी नहीं दिया गया जबकि माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि गांव सभापतियों को, गांव सभाओं को, शायद अदालती पंचायतें कहना वह भूल गये, उनको टैक्स तशखीस करने का अधिकार दिया जाय। गांव सभायें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, या म्युनिसिपल बोर्ड नियम बनाती हैं, उपनियम बनाती हैं कि इन उसूलों के मातहत टैक्स वसूल किया जाय और तशखीस किया जाय और वसूल किया जाय। लेकिन वह गांव सभा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड जो एलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्ज हैं, वे स्वयं तशखीस नहीं करते। गांव सभा किसी नियम के मातहत टैक्स लगाना उचित समझती है तो उसकी तशखीस स्वयं नहीं करती, बल्कि किन्हीं और अधिकारियों पर छोड़ देती है जो

चुने हुये नहीं होते, नियुक्त किये हुये होते हैं, एग्जीक्यूटिव आर्डर से। उनका रहना न रहना चुनाव पर निर्भर नहीं है। इसलिये बिलकुल उसूल के खिलाफ बात आप फरमा रहे हैं।

जहां तक यह कहा गया कि ब्यूरोक्रैसी खड़ी की जा रही है और कांग्रेस वालों के साथ पक्षपात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वह ऐसी बातें हैं कि इस सदन के बाहर और इस सदन के अन्दर भी अगर वह अपने पड़ोसियों से बात करें और छाती पर हाथ रख कर देखें तो उनको स्वयं मालूम हो जायगा कि वह इस बात को गलत समझते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से दरख्वास्त करता हूं कि इस छोटी सी मांग को स्वीकार किया जाय।

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी ने जो छाती पर हाथ धर कर पूछने की बात कही है, तो आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छाती पर हाथ रखकर मैं बराबर सोचा करता हूं और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वह भी सोचने की ज़रा आदत डालें। मैं तो यह कहता हूं कटौती का प्रस्ताव करते हुये कि माननीय मंत्री जी हमारे चैलेंज को क्यों नहीं ऐक्सेप्ट कर पाते कि कमेटी बैठाई जाय? मैं तो दर्जनों उदाहरण देने के लिये तैयार हूं। एक कांग्रेस नेता ने चुनाव में वादा किया था कि १६ हजार का टैक्स घटेगा, उसको आज काटकर ४ हजार किया गया है। १६ हजार की रकम जो एक बार उन्हीं अफसरों के जरिये आंकी जाती है और फिर भी उसी डिपार्टमेंट के जरिये काटी जाती है। यह मंत्री जी के डिपार्टमेंट की खूबी है, इसको क्यों नहीं सोचते?

मैं आपके द्वारा मंत्री जी के बुद्धि विभ्रम का निवारण करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि चुनी हुई कमेटियां टैक्स नहीं लगातीं। ग्राम पंचायतें क्या कर रही हैं? सरकार ने ग्राम पंचायतों को अधिकार दे रखा है टैक्स लगाने के लिये। तो एक तरफ तो टैक्स लगाये एक कमेटी और दूसरी बात जब कही जाय तो सरकार उसी अधिकार को इनकार करे। और हमने तो ऐसी बात कही भी नहीं। हमने तो माननीय मंत्री जी से यही निवेदन किया था कि श्रीमान् जी के जो अफसरान वहां जायं, उनसे कहिये कि गांव पंचायतों और गांव सभाओं और पंचायती अदालतों की राय जानें और उनकी जो राय हो उसपर चलें, और ऊपर से अंतिम ढंग से जो टैक्स को घटाने और बढ़ाने की आदत है उसको छोड़ें। अगर गांव पंचायतें कहती हैं कि फलां व्यक्ति टैक्स देने के लायक है और हिसाब के मुताबिक उसपर उतना टैक्स लगाना चाहिये तो बिना उस गांव सभा के समुचित सम्बोधन किये हुये वह अधिकारी मन माने ढंग से टैक्स नहीं लगा सकता। इसलिये यह चुनी हुई जनता की कमेटी का अधिकार माना जाना चाहिये और जहां तक उसके जनतांत्रिक, आर्थिक और दार्शनिक पहलू का संबंध है, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि.....

श्री नेकराम शर्मा--अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान का समय केवल १५ मिनट नियुक्त किया गया था, लेकिन टाइम उससे अधिक हो चुका है। मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष--मैं स्वयं देख रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य बहुत जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री राजनारायण--तो मैं कह रहा था कि एक विचार, प्राचीन दार्शनिकों में होता था कि 'जो है, वही 'सत्य' है और जो सत्य है, वही है। इस सिद्धांत को दकियानूसी दार्शनिकों का एक विभाग आज भी मानता है। शायद उसी सिद्धांत को हमारे माननीय मंत्री मानते हों, लेकिन मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि उन दार्शनिकों की कोटि में वह वर्तमान मंत्रिमंडल

[श्री राजनारायण]

को न ले जायं। "जो है, वही सत्य है और जो सत्य है, वही है" इस प्राचीन दर्शनवादियों की बात को वह छोड़े। वह जमाना लद चुका है। आज, "जो है वही सत्य नहीं है, वह पूर्णतः असत्य है" और आज जो मेजारिटी यहां बैठी हुई है वह असत्य है, यह मैं सबित करने के लिये हर समय तैयार हूं।

उपाध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिये तैयार हैं?

श्री राजनारायण---जी नहीं, हरगिज नहीं।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या. १-कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय (लेखा शीर्षक ४-कारपोरेशन कर को छोड़कर आय पर दूसरे कर) के अधीन २,८७,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी

मालमंत्री (श्री चरण सिंह)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २-मालगुजारी (लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी) के अन्तर्गत २,२८,०८,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

यह मांग भी मुहकमा माल के मामूली खर्चे के चलाने के लिये जैसे हर साल पेश की जाती है वैसे ही पेश की गयी है। केवल एक बात सदन को बता देना चाहता हूं इस सिलसिले में और वह यह कि इस साल कानूनगोयान की सर्विसेज का जहां तक ताल्लुक है उसका पुनःसंघटन करने का विचार यह गवर्नमेंट रखती है। अब तक उनका डिवीजन वाइज यानी कमिश्नरी वाइज कैडर होता था लेकिन उसका नतीजा कभी कभी यह होता था कि एक कमिश्नरी में एक जूनियर आदमी ऊंची जगह पहुंच जाता था जब कि उससे सीनियर आदमी दूसरी कमिश्नरी का उससे नीचे रह जाता था। अब विचार यह है कि राज्य भर के लिये एक सर्विस या एक कैडर करार दे दिया जाय जिससे कानूनगोयान में आपस में इस तरह की कोई शिकायत जूनियरिटी या सीनियरिटी के संबंध में न रहे। तो जहां तक डिपार्टमेंट के रिआर्गेनाइजेशन या पुनःसंघटन की बात है केवल यही बात नहीं है, इस मांग के अन्दर और भी बहुत सा रुपया आता है। तराई और भावर गवर्नमेंट स्टेट्स में साधन उपस्थित करने के लिये, नैनीताल और गढ़वाल टेहरी दोनों जगह के तराई के भावर के सरकारी इलाका के लिये और मिर्जापुर के इलाका के लिये ६ लाख ८४ हजार एक जगह रखा गया है और ४ लाख ७५ हजार दूसरी जगह रखा गया है लेकिन इस वक्त तक का जो खर्चा है वह १ लाख ३७ हजार और ८० हजार है। स्कीमें वैसे लम्बी हैं और एक में ४ लाख ७५ हजार रुपया है और एक में ६ लाख ८४ हजार रुपया है। लेकिन इस साल केवल २ लाख १७ हजार खर्च होगा।

कुछ रुपया इसमें टेहरी गढ़वाल के पटवारियों और कानूनगोयान को जो चपरासी होते हैं उनको जाड़े की वर्दी देने के लिये है और जो कुछ रुपया तरायो भावर में आंखों का इलाज करने के लिये जो सीतापुर का मशहूर आई हास्पिटल है उसको देने के लिये भी इसमें रखा गया है ताकि नैनीताल जिले के गांव वालों के जो आंखों के रोग हो गये हैं उनको कुछ

आराम पहुंचाया जा सके । नैनीताल के जिले में खासतौर से गाँवों में काफी आई डिज़ी—जेज या आंखों के रोग बढे हुये हैं । उसके लिये भी कुछ रुपया इस साल इसमें रखा गया है बाकी जो और मामूली खर्चा है इस डिपार्टमेंट के इस्टेबलिशमेंट आदि का केवल यही खर्च इसमें है । मैं जानता हूं कि इस सिलसिले में बहुत से कटौती के प्रस्ताव आये हैं और माननीय सदस्यों को शायद बहुत कुछ कहना है । अगर आवश्यक हुआ तो मैं जवाब में और बातें भी अर्ज़ करूंगा ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

मुझे उम्मीद यह थी कि माल विभाग के माननीय मंत्री जी कोई नई रोशनी आज के बदले हुए ज़माने में देंगे । माल विभाग में एक बड़ा भारी परिवर्तन हो रहा है । ज़मींदारी विनाश क़ानून पहली जुलाई से लागू हो चुका है । उसके बाद हम यह समझते थे कि कुछ ऐसी बातें वे हमारे सामने रखेंगे जिन पर हम विचार कर सकेंगे और मुमकिन है कि कोई सुझाव ऐसे हम दें कि जिससे उन्हें अपने काम में मदद मिल सके । लेकिन उन्होंने पूरी तरह से हम लोगों को अंधेरे में रखा है और टटोल कर जो कुछ भी बता सकेंगे उनको ख़िदमत में बताने की कोशिश करेंगे । सबसे पहली बात यह है कि छः वर्ष तक हुकूमत करने के बाद भी आज सारे प्रदेश में ज़मीन का एक कानून नहीं हो सकता और उस एक कानून न होने की वजह से शासन की कठिनाइयां, जो लोग ज़मीन जोतते हैं उनकी कठिनाइयां, जो लोग ज़मीन के मालिक हैं उनको बेजा फायदा, ये सारी बातें हुई हैं । कुमायूं में, बनारस और रामपुर, ये इसके ताज़ा मिसाल हैं ।

रामपुर की बात मैं माननीय मंत्री जी की ख़िदमत में पेश करना चाहता हूं । रामपुर के इर्दगिर्द के ज़िले में जो हैं उनमें लगान की दर रामपुर से बहुत कम है जब कि रामपुर अब उत्तरदायी और लोक प्रिय शासन के भीतर है । आज मैं उनसे जानना चाहूंगा कि रामपुर में इस वक्त लगान की दर क्या है ? एक ज़िक्र आया है कि उनकी रिपोर्ट में कि वहां पर तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी करके बेदख़ली को रोक दिया, पटवारियों के कुछ कर रोक दिये, कुछ नवाब साहब के करों को रोक दिया । लेकिन अपने करों को उन्होंने कहां तक रोका है, ज़रा इस पर भी रोशनी डालें तो हम लोगों की बड़ी मदद होगी । मैं जानना चाहूंगा कि आज रामपुर में लगान की क्या दर है ? क्या यह सही नहीं है कि बरेली के लगान से चौगुना, पंचगुना और अठगुना तक लगान रामपुर के किसानों को देना पड़ता है ।

बनारस रियासत में लगान ज्यादा नहीं है तो उनकी दूसरी कठिनाइयां हैं । लगान भी ज्यादा है । सब से बड़ी बात यह है कि यह मालूम नहीं कि आगे कितने दिनों का वक्त माननीय मंत्री जी को और हमारी सरकार को चाहिये कि सारे प्रदेश में एक कानून को लाग कर सकें । दूसरी बात यह है कि जहां पर ज़मीदारी विनाश कानून लागू है वहां के काश्तकारों की क्या मदद हो सकेगी । यह उनकी जो बड़ी भारी फौज २७ हज़ार पटवारियों की और १६ सौ क़ानूनगोयान की है वह जनता की क्या ख़िदमत करेगी ? जैसे अंग्रेजी हुकूमत में वे जनता की ख़िदमत करते थे आज भी वैसे ही ख़िदमत करते हैं । अभी कुछ दिन पहले हम लोगों से माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक क़ानून पास करवाया कि २१ मई के बाद जो कहीं भी कोई पट्टा हुआ था उसको नाजायज़ करार दिया जायगा । उस क़ानून का नतीजा यह हुआ, जहां तक मेरी जानकारी है मैं उनकी ख़िदमत में यह बात पेश करना चाहता हूं कि एक एक क़ानूनगो ने एक एक दिन में दो दो हज़ार रुपये कमाये और एक एक पटवारी ने एक एक दिन में

[श्री गेंदा सिंह]

हजार हजार रुपये कमाये इसलिये कि २१ मई के पहले की तारीखों में वह पट्टे की रजिस्ट्री करा दें। उस वक्त भी इस तरफ़ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया था। लेकिन वह चीज माननीय मंत्री जी को पसन्द नहीं आयी और जैसे का तैसा क़ानून पास कर दिया गया। क़ानूनगो आज भी पट्टे रजिस्ट्री कराने का अख्तियार है। इस बारे में माननीय मंत्रीजी को कम जानकारी नहीं होगी। अगर जानकारी है तब तो ठीक है नहीं तो हमारी जानकारी से उनको भी फ़ायदा उठाना चाहिये और मैं समझता हूं कि हमारे जो दूसरे माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हैं उनको भी इस सिलसिले में जानकारी है कि इस कानून से जितना फ़ायदा सरकार को या गांव वालों को उठाना चाहिये वह फ़ायदा उनको यह फ़ौज नहीं उठाने दे रही है। मैं यह नहीं कहता कि इनको आंख मूंद कर निकाल दिया जाय। लेकिन उनकी लगाम तो ज़रा ठिकाने से अपने हाथ से में रखिये तो शायद कुछ काम बने।

कोर्ट आफ़ वार्ड्स की बात इसी तरह से मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। कोर्ट आफ़ वार्ड्स ने जैसा कि माननीय मंत्री जी समझते हैं वैसा नहीं बल्कि उसके उल्टा काम करने में कुछ उठा नहीं रखा है। जब हमारी हुकूमत यह कहती है कि वनों की रक्षा करेंगे, पेड़ों को लगायेंगे और वन महोत्सव मनायेंगे। दूसरी तरफ़ कोर्टआफ़ वार्ड्सवनों के काटने का महोत्सव मनाता है। एक तरफ़ आप वन महोत्सव मनाते हैं दूसरी तरफ़ कोर्ट आफ़ वार्ड्स जंगल काटने, और पेड़ काटने का महोत्सव मनाता है और लाखों की तादाद में पेड काटे गये हैं। अगर माननीय मंत्री जी जी चाहेंगे कि मैं कुछ स्पेसिफिक बातें कहूं तो मैं कहूंगा। कोर्ट आफ वार्ड्स के लिये इतना ही नहीं कि उसने पेड़ ही काटे हों बल्कि सार्वजनिक जमीनों का बंदोबस्त भी किया है। जब मैंने उनसे निवेदन किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने यह कहा कि हमें ऐसा हुक्म है कि जितने पेड़ हैं काटकर बेच डालो।

अब मैं किसानों की लगान की बात कहता हूं। सन् १९३६ में किसानों के लगान माफ़ होने के बारे में जांच करने की लिये एक कमेटी बैठी थी। उसमें हमारे मुख्य मंत्री जो भी थे उसकी यह सिफारिश थी कि जो छोटे किसान हैं उनका लगान माफ हो जाना चाहिये और इतना ही नहीं जमींदारी अबालीशन कमेटी की जो इतनी मोटी रिपोर्ट है उस कमेटी ने भी जिसके अध्यक्ष स्वयंम् हमारे माननीय मुख्य मंत्री थे, यही कहा है कि लगान माफ़ होना चाहिये उन काश्तकारों का जो दो एकड़ से नीचे के हैं। यह हमारी कोई नई मांग नहीं है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आगे के जमाने में किसानों का बोझा हल्का किया जायगा। एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा कहा गया है। मैं श्री चरण सिंह जी का कसूर नहीं मानता क्योंकि उनकी तो यह बहुत मजबूत राय है कि किसान आज धनी नहीं हो गया है। कल माननीय मुख्य मंत्री ने भी कहा कि किसान धनी हो गय है। समय कम होने से और जल्दी के कारण मैं उनके शब्दों को तो नहीं रखूगा बल्कि उनकी राय को ही मानने के लिये तैयार हूं जो उन्होंने कमेटी के चेयरमैन कीहैसियत से दे दी है। क्या लड़ाई के बाद किसानों की हालत बदल गई है और वह इतना धनी हो गया है कि लगान में कमी करने के बजाय बढ़ाया जाय। एक योजना है कि दस गुना लगान वसूल करने के लिये एक फौज चलेगी। क्या कोई भी किसान इससे बारी किया जा सकेगा?

मैं माल मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा और यह कहूंगा कि जो किसान दे सकते हैं उनसे लिया जाय, लेकिन जिनके तन पर वस्त्र नहीं है, भूख से मर रहे हैं क्या उनसे भी दस गुना लगान वसूल किया जायगा। लेकिन आज यह कहा जा सकता है कि उनसे वसूल नहीं किया जायगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसको अगर मैं यहां कहूं तो दुबारा दुहराने की बात आ जायगी कि वह किस तरह से वसूल हुआ है। कुछ बातें दो चार दिन के बाद हाउस के सामने आयगीं। हम देवरिया की ही बात नहीं कहते हैं बल्कि मैंने देखा है कि

आगरा जिले में और ऐटा जिले में सैकड़ों किसानों को १०७ और ११७ में बंद कर दिया गया था। देवरिया में ही बंद हुये होते तो दूसरी बात थी। हमारे इटावे में श्री अर्जुन सिंह और इस सदन के सदस्य श्री गजन्द्र सिंह को १०७ और ११७ में छः महीने और सालभर के लिये बंद कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने १० गुने वसूली का विरोध किया था। मैं कहता हूं कि हमारा १७ और १८ लाख रुपया जो ईख के दाम से ⅛) फी मन काट कर सरकार के पास था वह किस काम में खर्च किया गया? उसके लिये हमें देखना है किक्या जबाब मिलने वाला है। ३/४ दिन के बाद देखें कि क्या जवाब दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि माल मंत्री जी को कोई नई धारा बहानी चाहिये और नई रोशनी देनी चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मालगुजारी के अनुदान का संबंध है मैं आपके द्वारा इस सदन को एक सुझाव देना चाहता हूं। यह सही है कि इस विभाग में अधिक तर कर्मचारी ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम ध्यान दौड़ाते हैं और पिछले दिनों को देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जैसे पटवारी और कानूनगो पुराने जमाने में परेशान और हैरान करते थे उससे आज कम परेशान और हैरान करने के रास्ते पर नहीं हैं। यह, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है मैंने स्वयं देखा है कि पटवारियों के द्वारा देश का कल्याण नहीं हो सकता और इस अनुदान में उनके लिये काफ़ी लम्बी चौड़ी मांग की गयी। है इसलिये आपके द्वारा मैं अपने माल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम अपने पिछले तजुर्बों को लेकर इसके सुधार की तरफ ध्यान दें तो बहुत अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि आज के बिगड़े हुये समाज में इंसानों को जल्दी से ठीक नहीं किया जा सकता है और यह भी मैं मानता हूं कि ऐसे समाज को ठीक करने का एक अनोखा रास्ता है जिसमें देर लगती है लेकिन उसमें साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि ऐसे भी लोग और ऐसी भी जमातें हैं जिनको ठीक करने के लिये इतने दिन तक इंतजार नहीं किया जा सकता है। मालगुजारी से और गांव की जनता का संबंध हम पटवारियों से अधिक दिनों तक रखेंगे तो उससे हमें अपनी योजनाओं को पूरा करने में दिक्कत होगी।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि पटवारियों को जितनी जल्दी हो सके जनता के सम्पर्क से अलग कर दिया जाय। मैं यह नहीं कहता कि उनको नौकरी से बर-खास्त किया जाय उनको और किसी काम में लगा दिया जाय, तहसील में, दफ्तर में, नहर में काम करें जहां पर उनकी आवश्यकता है। मैं एक बात और सुनता हूं कि पटवारियों को मालगुजारी वसूल करने में थोड़ा सा हक़ दिया जायगा तब मैं कांप सा जाता हूं भविष्य की बात सोच कर। इसके विषय में, आप के द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि आज के बिगड़े हुये समाज को देखते हुये हमें एक ऐसी नई योजना निकालनी है जिससे लगान की वसूल-याबी में हमारे किसान पटवारी जैसे व्यक्तियों में के सम्पर्क में न आयें। इस बिगड़े हुये समाज के लिये मैं एक मिनट में आपके द्वारा एक सुझाव रखूंगा और वह सुझाव यह है कि साल में दो मर्तबा दो महीने निश्चित कर दिये जायं। कार्तिक का पूरा महीना ले लिया जाय, पहले दिन से पूर्णमासी तक और दूसरा बैसाख का पूरा महीना शुरू से आखिर तक ले लिया जाय। एक चमड़े का बेग हर किसान को दिया जाय जिसमें वह अपनी मालगुजारी का पैसा बंद कर के तहसील में जा करके बड़े बाक्स में डाल दे और एस० डी० ओ० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको निकाल कर अपने सामने उसकी गणना करवा लें। समय अधिक नहीं है हालां कि यह अनुदान इतना बड़ा है कि इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं यह अनुभव करता हूं कि जब तक पटवारियों के जनता के सम्पर्क से अलग नहीं किया जायगा तब तक बड़ी कठिनाइयां रहेंगी। इस नये समाज और नई दुनिया को बनाने के लिये हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जैसा समय हो वैसा गायन होना चाहिये। आज भारत का नवनिर्माण होने

[श्री रामनरेश शुक्ल]

जा रहा है । प्रातःकाल के समय भैरवी का गान होना चाहिये । पता नहीं यह बदसुगन पटवारी आज भी कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं ।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आज इस सदन के समक्ष इस मालगुजारी के विषय में यह बताना चाहता हूं कि सब से सुन्दर उपाय तो यही है कि जो हमारी सरकार के सामने है कोई दिक्कत नहीं है और न किसी बात की जरूरत है । सीधे-सीधे हमारा किसान मनी आर्डर कर दे वह सरकार के पास आसानी से पहुंच जायगा । हमारे गांव में एक बढ़ई रहता है वह कहता कि सरकार की तरफ से हुकुम हो जाय तो सारे किसान कचहरी में अपना लगान जमा कर दें । आसानी से किसान साल दो साल का लगान जमा कर देगा तो इसमें कोई झंझट नहीं है और सारा काम आसानी से हो जायगा । किसान इंतजार में है कि जल्द से जल्द सरकार की तरफ से एलान हो और वे लगान को सीधे जमा कर लेंगे ।

हमारे लायक दोस्त कहते हैं कि जबरदस्ती की गई १० गुना लगान के वसूल करने में । मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि कोई जबरदस्ती नहीं की गयी । हमारी गवर्नमेंट की तरफ से यह आर्डर दिया गया था कि जिसकी खुशी हो वह जमा करे । आज भी बहुत से किसान बाक़ी हैं । माना कि जुल्म हुआ हो, किसी ने अपने खुदगर्जी हासिल करने के लिये ऐसा किया हो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कोई ऐसा आर्डर नहीं दिया गया है और न यह पलिसी ही थी । गवर्नमेंट के यहां से जो कुछ भी आर्डर पास हुआ उसको नीचे वालों ने ठीक तरह से अमल में नहीं लाया तो उसको ठीक करने का इन्तजाम हो रहा है । हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उनको ठीक किया जायगा । सभी अफसर गड़बड़ हैं यह बात नहीं है जहां पर भी गड़बड़ी है उसको ठीक किया जायगा । हमारा मुल्क अभी गुलामी से छूट कर आजाद हुआ है और हमको जो मशीनरी मिली है उसको धीरे से ठीक करना है । आज गेंदा सिंह जी नाराज हो गये हैं । यह ऐसी बात नहीं है बटन दबा दिया जाय और सारे मुल्क में रोशनी हो जाय, यह होना नामुमकिन है । तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह कन्धे से कन्धा लगा कर हमारे साथ देवरिया, गोरखपुर, बस्ती में या जहां कहीं भी चलें हम उनके साथ चलने के लिये तैयार हैं । मुल्क का निर्माण करना है ।

हमारी बहन विजय लक्ष्मी जी ने कल बतलाया था कि चीन का किस तरह से निर्माण हो रहा है । पब्लिक ओपीनियन (जनमत) को बनाना है और अगर जनता को साथ नहीं लिया जायगा तो यह काम हरगिज नहीं हो सकता है । गान्धी जी ने कहा था कि "क्विट इंडिया" तो जनता ने उसके साथ ही क्रांति कर दी । तभी हमारे सब नेता जेलों में बन्द कर दिये गये । इस वास्ते गेंदा सिंह जी हमसे अलग नहीं हैं । वह तो हमारे पड़ोसी हैं । इसलिये मैंने यह कहा वह मुझे क्षमा करेंगे । अभी जो तरीका है वह उसी जमाने का है जो कि यहां पर पुराना तरीका चलता था । हम तो पिछली हिस्ट्री भी जानते हैं शेरशाह और अलाउद्दीन की कि उस जमाने में किस तरह से क्या हुआ करता था और किस तरह से वसूल होता था । लेकिन इस तरह की आलोचना से काम नहीं चलता है । हमारे सारे अफसर खराब हों यह बात नहीं है और न हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बात को माना कि हमारे यहां सारे इस तरह के लोग हैं । हम तो अहिंसा को मानने वाले हैं और गांधी जी के सिद्धान्त पर चले आ रहे हैं और उसी पर अभी चलना चाहते हैं । हथौड़े पर हकूमत को चलाने वाले नहीं हैं । गान्धी जी के सिद्धान्त को मानते हैं और अगर हम गांधी जी के सिद्धांत पर चलते रहे तो देश का कल्याण होगा और हम सब का भी कल्याण होगा । यही मुझे आप से कहना था ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान की बहस पर बोलते हुये आपकी आज्ञा से और आप के द्वारा मैं उन भूतपूर्व जमींदारों को

बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे समय में ऐसा विधेयक जो उनके भविष्य को पूर्णतया अन्धकारमय कर दे शान्ति पूर्वक लागू हो गया । हो सकता है कि कुछ मित्र यह कहें कि वह करते भी क्या। सवाल यह नहीं है, इसका उत्तर केवल में यही दूंगा कि' 'बुभुक्षितः किं न करोति पापम्" भूखा आदमी पेट भरने के लिये कौन सा पाप नहीं करता ? परन्तु आप जानते हैं कि किस तरह से शान्तिपूर्वक यह विधेयक लागू हो गया।

श्रीमान्, माननीय प्रस्तावक महोदय ने आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया कि कोर्ट आफ़ वार्ड ने स्कैटर्ड ट्रीज काटने की इजाजत दी। सोशलिस्ट पार्टी का यह सिद्धान्त हो कि प्राइवेट प्रापर्टी कोई चीज नहीं है वह ठीक है वह इस सिद्धांत को मान सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं परन्तु मुझे यह निवेदन करना है कि यह सरकार प्राइवेट प्रापर्टी के सिद्धांत को मानती है और इसी लिये उसे जमींदारी का जैसा भी हो मुआविजा देना पड़ा। सरकार ने यह माना है कि १ जुलाई से पहले स्कैटर्ड ट्रीज जमींदारों के थे। इस सरकार ने एक फ़ारेस्ट ऐक्ट लागू किया था उसके अधीन और इजाजत लेकर ही कोर्ट आफ़ वार्ड्स ने पेड़ काटे । दूसरे जब कि जमींदार यह जानते हुये कि वह पेड़ पहली जुलाई के बाद उनके नहीं रहेंगे और उन्होंने कुछ पेड़ काट लिये और जबकि वह कोई फलदार पेड़ नहीं हैं, वह आम के पेड़ नहीं हैं, वह कटहल के पेड़ नहीं हैं, वह जामुन के पेड़ नहीं हैं तो सोशलिस्ट पार्टी इतने संकुचित हृदय से क्यों इसे देखती है । अगर कुछ पेड़ कट भी गये तो इस से वनमहोत्सव में कोई धक्का नहीं लगता । मैं नहीं मानता कि कोई लाखों पेड़ कट गये हैं। देवरिया में ऐसा हुआ हो। वहां सब बातें इस तरह की न जाने क्यों होती हैं। उसी जिले में भुखमरी होती है, उसी जिले में बहिया आती है, उसी जिले में सूखा पड़ता है, उसी जिलों में गोलियों की बौछारें भी होती हैं, तो जब उसी जिले में तमाम आफ़तें आती हैं तो शायद जमींदारों ने भी ज्यादती की है।

मैं प्रस्तावक महोदय से सहमत हूं, सरकार को मालगुजारी वसूल करने के लिये पटवारी से काम नहीं लेना चाहिये । हम लोगों ने गांव पंचायतों को कितने बड़े-बड़े अधिकार दे रखे हैं। यह कोई बड़ा अधिकार नहीं है और न इससे उन पर कोई भारी भार ही पड़ता है अगर उनको यह काम दे दिया जाता है कि वह अपने हल्के की मालगुजारी वसूल कर के जमा किया करें । गांव वालों में से ही पटेल की तरह से आदमी मुक़र्रर किये जा सकते हैं जो मालगुजारी अदा कर दिया करें। क़ानून से ऐसी बात की जा सके या न की जा सके लेकिन यह तो सरकार भी मानती है कि हर एक आदमी चाहे वह गवर्नमेंट सर्वेंट हो या पब्लिक वर्कर हो, यही काफी नहीं कि वह ईमानदार है, लोगों को मानाना चाहिये कि वह ईमानदार है । मैं दुख के साथ निवेदन करता हूं कि कोई नहीं मानता कि पटवारी ईमानदार हैं । ऐसी परिस्थिति में जब कि काश्तकार का स्तर उठाना है जब कि उसको किसी स्थान पर किसी ऊंचाई पर ले जाना है तो अगर जुल्म करने वाला एक जमींदार हटा दिया जाय और उसकी जगह पर पचासों जुल्म करने वाले पटवारी रखे जायं तो सफलता नहीं होगी।

आखिर में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जमींदार बुरे हों या अच्छे हों, जमींदारों की चाहे आवश्यकता हो या न हो, जमींदारी ठीक छीनी गयी हो या गलत छीनी गयी हो लेकिन मैं कहूंगा कि वह जमींदार भी तो इसी हिन्दुस्तान का, इसी भारतवर्ष का रहने वाला है और इसी जनता और इसी समाज से वह भी निकले हैं और हमारे ही भाई बन्धु हैं । मानता हूं कि कुछ जमींदारों ने गलती की है और मानता हूं कि जमींदारों ने जुल्म किये हैं , जब कि हम किसी गवर्नमेंट अफसर के लिये कुछ कहते हैं या किसी कर्मचारी की कुछ बात कहते हैं तो कहा जाता है कि हमारा समाज ही बहुत गिरा हुआ है । तो क्या जमींदार इस समाज में नहीं थे ? क्या इन्हीं जमींदारों को बृटिश गवर्नमेंट ने खराब नहीं किया था ? क्या बृटिश गवर्नमेंट ने इनको इतना नाक़ाबिल नहीं बनाया था कि वह किसी तरह से भी कोई उद्योग न कर

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

सकें ? जो कुछ भी हो जमींदारों के बच्चों का क्या दोष ? मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा भार, मैं तो यह कहूंगा कि इतना बड़ा पाप यह सरकार अपने कंधों पर न ले । जो लोग मेहनती हैं, पढ़ेलिखे हैं, ईमानदार हैं वही काम कर सकते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, उन्हें काम अवश्य मिलना चाहिये और मैं तो यहां तक कहूंगा कि उन्हें कुछ तरजीह मिलनी चाहिये । यदि उन्हें कोई थोड़ी सी तरजीह दूसरों पर दे दी जाय तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी । जो उन लोगों में इंटैलैक्ट (बुद्धि,) एनर्जी (शक्ति), और कल्चर (संस्कृति) है वह वेस्ट (बरबाद) नहीं होनी चाहिये बल्कि सरकार को उससे फ़ायदा उठाना चाहिये ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फ़ैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो आप का इसके लिये आभार मानता हूं कि इस बजट सेशन के अंतिम दिन आज भी मुझे अपने कुछ विचार प्रकट करने का मौका मिल गया । यह हम सभी जानते हैं कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था का अधिनियम बड़ी दिक्कतों से हमारे सूबे में लागू हुआ । उसमें सरकार की ओर से कोई कोताही की गयी हो, ऐसी बात नहीं है । यह सही है कि इस कानून से किसानों की दासता छूटी और उन्हें स्वतंत्र आदमी की तरह से रहने का मौक़ा मिला । यदि इस तरह का क़ानून अभी तक सूबे के कुछ भागों में लागू नहीं हो पाया तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है । सरकार इसका इलाज करने जा रही है ।

इस कानून के सिलसिले में सन् ५८ और ५९ के काग़ज़ात बहुत जरूरी हैं और महत्वपूर्ण हैं। इस कानून से उन ग़रीब काश्तकारों को जो महज़ क़ाबिज़ थे, या बिला तसफ़िया काश्तकार या शिकमी वग़ैरह थे उन्हें कुछ अधिकार मिले । यह क्षेत्रपतियों को अच्छी तरह से मालूम था। उन्होंने सन् ५९ में भी इस बात का प्रयत्न किया कि काग़ज़ात से असली खेत जोतने वाले का नाम निकाल दिया जाय तो अच्छा हो। मैं अपने जानकारी से कहता हूं कि ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जहां पटवारियों पर असर डाल कर असली जोतने वालों के नाम काग़ज़ात से निकलवा दिये गये हैं और जिनका जोतने की हैसियत से क़ब्ज़ा नहीं था उनके नाम दर्ज करा दिये गये हैं। इससे काबिज बिला तसफिया काश्तकारों का पहली जुलाई को सीरदारी का हक़ मारा गया। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सन् ५८/५९ फ़सली के काग़ज़ात उसी तरह से सही न माने जावें जैसा कि पटवारियों ने बना रखा है, बल्कि उनकी छानबीन की जाय।

दूसरे, तक़ावी देने का तरीक़ा है । तक़ावी लेने में ग़रीब काश्तकार को काफ़ी कठिनाई पड़ती है। उनकी जमानत तस्दीक़ नहीं होती और उन्हें बराबर तहसील से अपने घर जाना आना पड़ता है । आमतौर से बड़े लोगों को, असरवाले लोगों को तक़ावी की सुविधा होती है। इसलिये कुछ ऐसे नियम बनाये जावें, ताकि ग़रीब किसान को यह सुविधा तक़ावी की आसानी से मिले ।

मेरी तीसरी बात फैजाबाद के बारे में है । फैजाबाद में नजूल माझे की जमीन है । माझे के जमीन का इंतज़ाम फैजाबाद जिले के अधीन है । उसका इंतज़ाम सिटी मजिस्ट्रेट करते हैं, लेकिन माझे में जो पटवारी है वह एस० डी० ओ० गोंडा के अधीन है । वह पटवारी सिटी मजिस्ट्रेट फैजाबाद की कुछ भी परवाह नहीं करता है । अभी वहां पर जमीन उठाने का सवाल था, काफी शिकायतें हुई, पटवारी आखिरी वक्त तक झूंठ मूठ लोगों के नाम इंदराज करता जा रहा था । जब मैंने बी० एम० से कहा तो उनहोंने कहा कि पटवारी हमारे कब्जे में नहीं है, वह एस० डी० ओ० गोंडा के कब्जे में है । मैं उससे परेशान हूं । अतः मेरी प्रार्थना है कि यह दिक्कत दूर कर दी जाय ।

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के संबंध में कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये.....

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब इतना कम समय है तो अगर मंत्री महोदय भी बोलेंगे और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी जवाब देंगे तो और दूसरे सदस्यों को बहुत कम समय रह जायगा।

उपाध्यक्ष--वे समय का ध्यान रखते हुये ही बहस में भाग लेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय वीरेन्द्रशाह जी के इस ऐतराज के कारण मैं यह उचित समझता हूं कि केवल दो एक मिनट ही इस भवन का समय लूं। चूंकि अधिक समय नहीं है इसलिये मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अभी अपने दौरे के सिलसिले में यह देखा कि पटवारियों के जिम्मे जो कंपेसेशन वगैरह के चार्ट बनाने का काम सौंपा गया है। उसके लिये वे तहसीलों में बुलाये गये हैं। कई तहसीलों में मैंने देखा कि वे सुबह से शाम तक निरंतर बैठ कर काम करते हैं उनके लिये बैठने की और मकान की कोई सुविधा नहीं है। हवा भी वे मुश्किल से पा सकते हैं ऐसे किराये के मकानों में वे रखे गये हैं। तमाम सर्किलों के पटवारियों के लिये यह एक बड़ी भारी समस्या हो गयी है कि किस जगह बैठ कर इतना बड़ा काम करें। उनके रहने, खाने, पीने और सोने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है ऐसी स्थिति में उनके बारे में आपकी शिकायत तो किसी अंश तक ठीक हो सकती है। लेकिन जहां तक काम का ताल्लुक है, जो पटवारियों को दिया गया है उनके पास जो काम है उसका भार कम नहीं है।

जहां तक मालगुजारी की वसूली का प्रश्न है उसके बारे में जो नियम बनेंगे उन पर विचार करने का माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा। मालगुजारी के वसूली के संबंध में जो व्यवस्था होने वाली है उस संबंध में माननीय मंत्री जी इस भवन को कुछ बातें बतायेंगे। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जो बातें कहीं वे सब पुरानी बातें ही थीं उन्होंने जो बातें कहीं उनसे कोई नई रोशनी नहीं पड़ती। उन्होंने जो इस बात का उलहना माननीय मंत्री को दिया था कि उन्होंने किसी नई बात पर रोशनी नहीं डाली तो मैं उनसे कहूंगा कि अपने भाषण में नया सुझाव या नई रोशनी क्यों नहीं डाली। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि जमींदारी अबोलिशन फंड की वसूली में जुल्म किया गया, अत्याचार किया गया, किसानों का लगान माफ किया जाय, जमीन का बटवारा किया जाय, वे सब पुरानी बातें थीं जिन पर भवन में कई बार प्रकाश डाला जा चुका है। इसलिये न उन्होंने और न उनके किसी पार्टी के सदस्य ने कोई नई रोशनी डाली या कोई नया सुझाव दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह भवन आपका कृतज्ञ होगा। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ कहना नहीं है।

श्री गंगाधर (जिला गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने ४८ जिलों का जिक्र किया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान कुमायूं डिवीजन के ४ जिलों की तरफ दिलाना चाहता हूं। वास्तव में यू० पी० के ४८ जिलों में आपने जमींदारी विनाश किया है और बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों में आप यह कहते हैं कि वहां के लिये मैंने यह व्यवस्था की है, वह व्यवस्था की है। उनके बारे में तो मैं विशेष नहीं कहता लेकिन मैं आपका ध्यान कुमायूं के चार जिलों की तरफ ही दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि कुमायूं डिवीजन के लिये सन् ३७ में एक कुमायूं 'ला कमेटी' बनी और उस कमेटी ने वहां के लिये कुछ रूल्स बनाये। आज जब कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है तो भी जो वहां के देहातों में किसान हैं उन पर अत्याचार किया जाता है। आप कहेंगे कि वहां जमींदारी प्रथा नहीं है, लेकिन मैं वहां के संबंध में आप से कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय जब नैनीताल जाते होंगे तो अल्मोड़ा भी जाते होंगे और उसके बाद कोटद्वारा वगैरह नगरों तक भी गये होंगे लेकिन उनको यह मौका न मिला होगा कि वे उन जिलों के अन्दर जावें और वहां के ग़रीब

[श्री गंगाधर]

किसानों की हालत देखें । आप देखेंगे कि नया आबाद के जो रूल्स बने हैं उसकी वजह से चारों जिलों के किसान बरबाद हो रहे हैं। इस प्रकार कुमायूं 'ला कमेटी' की तरफ से एक कानून निकला कि वहां नयी आबादी खुली है, लेकिन जब गरीब किसान किसी तरह से उसके लिये धन लेकर पहुंचे तो आर्डर निकला कि नयी आबादी बिलकुल बन्द हो गयी है । वास्तव में अगर माननीय मंत्री जी वहां से फीगर्स मंगावें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर कितना 'ला लेसनेस' (अराजकता) चल रहा है ।

इसके अलावा जमीनों के संबंध में मैं आप का ध्यान दूसरी तरफ भी दिलाना चाहता हूं। वहां बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जो काश्तकारों के कब्जे में हैं लेकिन उनके ऊपर उनका कोई प्रोप्राइटरी राइट नहीं है । जब कि हमारे यहां वैधानिक सरकार बन गयी है और आप कहते हैं कि बालिग मताधिकार द्वारा चुनी हुई हमारी जनतांत्रिक सरकार है तो भी हमारे कुमायूं डिवीजन के चार जिलों के किसानों की हालत इतनी दर्दनाक है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है । हमारे उप-मंत्री महोदय ने कहा कि वे यहां के देहाती क्षेत्रों में गये थे और उन्होंने वहां की स्थिति ठीक पायी, लेकिन मैं उप मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरे जिले गढ़वाल के अन्दर आवें । गढ़वाल का इलाका बिलकुल तिब्बत से मिला हुआ है , और वहां की हालत देखें कि चार-चार पीढ़ियों से जमीन उनके कब्जे में है लेकिन वह जमीन उनकी नहीं हो सकती है । नया आबाद के कारण लोग इतने बरबाद हो गये हैं, इतना लिटिगेशन (मुकद्दमेबाजी) वहां पर बढ़ गया है कि जिनके पास जमीन है उन्हीं को नया आबाद में जमीनें मिली हैं । उसके लिये आगे मुकदमा चलता है और जिनके पास मुकदमे के लिये किसी प्रकार का जरिया नहीं है उनको जमीन नहीं मिल सकती ।

विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण जी ने यहां सेक्रेटेरियट के संबंध में बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि यहां इतने बड़े सेक्रेटरी रखे गये हैं। लेकिन मैं आज माननीय माल मंत्री महोदय का ध्यान जो यहां की ५३० गवर्नमेंट इस्टेट्स हैं उनकी तरफ दिलाता हूं। वास्तव में जब आप यह दावा करते हैं कि आपने जमींदारी का विनाश किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने इन पांच सौ इस्टेट्स के काश्तकारों को कौन से हक दे दिये हैं। जब हमारे माल मंत्री, माननीय ठा० हुकुम सिंह कोटद्वारा आये थे तो उस समय भी उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही उस पर कार्यवाही की जायगी । आज साल भर बीत गया है । श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने एक सवाल पूछा था । उसमें भी माननीय माल मंत्री जी ने कहा कि हम यथाशीघ्र इस पर ध्यान देने वाले हैं। पता नहीं कब कुमायूं के लिये कानून बनेगा, वहां की व्यवस्था की जायगी। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जब समय कम होता है तो सब बातें बतलाना असम्भव हो जाता है ।

गवर्नमेंट इस्टेट्स के अन्दर एक लाख तैंतालीस हजार उन्नासी एकड़ भूमि अलाट कर दी गयी है पिछले छः वर्षों के अन्दर । लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि वहां पर अब भी ७,२०,६८८ एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें कल्टीवेशन (कृषिकर्म) नहीं होता, बंजर है। मैं माननीय माल मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा । क्या यह भूमि उन लोगों को दी जायगी जिनके पास जमीन नहीं है, खास कर वहां के हरिजनों और शिल्पकारों को ?

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी आरम्भ की तकरीर में जो बातें मैं कहना चाहता था और जो कहा जा सकता था इरादतन इसी लिये नहीं कहा ताकि माननीय सदस्यों को अधिक समय मिले ।

अब जो चार पांच प्रश्न उठाये गये हैं उनका मैं जवाब देना चाहूंगा । कोई प्रश्न तो उनमें से ऐसे हैं जो उठते-उठते चौथड़े बन गये । मतलब यह है कि लगान कम नहीं किया गया । एक सवाल । दूसरा यह कि जमींदारी उन्मूलन कोष के इकट्ठा करने में बड़ा अन्याय हुआ । तीसरा यह कि पटवारी गरीब जैसा खराब आदमी कोई नहीं। यह तीन चार बातें कही गयीं ।

जहां तक लगान का संबंध है मैं पहले से यह अर्ज कर चुका हूं कि किसी ऐसी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देना जो कि अब से बीस वर्ष पहले मुकर्रर की गयी हो, अर्थात् थर्टिएथ में, सन् ३१ से ४० तक का जमाना जिसको मंदी का जमाना कहा जाता है उस वक्त की सिफारिशों का आज जिक्र करना असंबद्ध और गैर मुताल्लिक है। सिर्फ यह कि बहुत जमाने तक हम लोगों ने जितने भी जन सेवक थे उन्होंने लगान घटाने का आन्दोलन चलाया था और लोगों के कानों में इस तरह की बात पड़ गयी कि लगान घटाने का मुतालबा करना किसानों का हक है और जो इस मतालबे को उठाते हैं वह जनता के शुभेच्छुक हैं। तो अब यह बात कही जाती है कि उस पुरानी स्मृति और पुरानी भावना का फायदा उठाने के लिये किया जा रहा है, जब कि परिस्थितियां अब से जो २० साल पहले थीं उनमें बहुत अन्तर पड़ गया है। उस जमाने में दो रुपया मन गुड़ बिकता था, ढाई रुपया मन गेहूं बिकता था। उन जमींदारों को जो अपनी जमीन की जमानत पर क़र्ज ले सकते थे, क़र्ज में उनकी जमीनें नीलाम होने लग गयीं। लगान की अदम अदायगी के कारण काश्तकारों की खेती बेदखल होने लगी, तब सन १९३३ में डेट रिडम्पशन ऐक्ट, ऐग्रिकल्चरिस्ट डेट रिलीफ ऐक्ट, रेगुलेशन आफ ऐग्रिकल्चरल डेट ऐक्ट, इनकम्बर्ड इस्टेटस ऐक्ट और और ऐक्टस जो किसी नाम से हों, देश में ही नहीं, संसार भर के हर देश में वहां की विधान सभाओं और मंडलों के द्वारा मंजूर किये गये। उस जमाने में लगान घटाना निहायत बजा और मुनासिब था। लेकिन आज, जब कि किसान की पैदावार की दर, उसकी पैदावर से कई गुना बढ़ गयी तो लगान घटाने की बात, जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, वह एक पुरानी जजबात और स्मृति से फायदा उठाने की बात है और वास्तविकता से संबंध रखती नहीं है। मुझे इस बात के कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं इस सदन में यह बतलाता हूं कि मुझे इसलिये हिचकिचाहट नहीं है कि मैंने सैकड़ों किसानों की मीटिंग्स में कहा है कि अगर कोई बात सोची जा सकती है लगान के संबंध में, तो बढ़ाने की बात सोची जा सकती है, घटाने की बात नहीं सोची जा सकती है।

इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक रामपुर की बात कही गयी कि वहां का लगान ४ गुना, ८ गुना, १० गुना और १२ गुने पर हमारे मित्र पहुंच गये, कि पड़ोस के इलाकों का जो लगान है उससे इतना गुना लगान रियासत में है, वह क्यों नहीं घटाया जाता। मेरे पास हर तहसील का लगान मौजूद है और वह एक सवाल के सिलसिले में जो एक मित्र ने पूछा है हमने वह आंकड़े इकट्ठे किये हैं। जब वह सवाल आयेगा तो आंकड़ों को ब्यौरेवार सुनाऊंगा, लेकिन इस समय उसका सार सुनाये देता हूं। उनका सार यह है कि जहां तक दुमट जमीन के लगान का तालुक है उसका औसत रामपुर में १०.२ रुपया है फी एकड़ और आसपास के जो इलाके हैं उनमें ६.६ है। यानी ड्योढ़ा है। तो रामपुर में दुमट जमीन का लगान तो आस पास के इलाके से ड्योढ़ा है और सारी गैरदखीलकार जमीन जितनी है रामपुर में उसका ८ रु० फी एकड़ और आस पसा के इलाके मुरादाबाद, बिलारी, बहेड़ी वगैरह, इनमें ६ रुपया है। तो ६ और ८ का अनुपात है। यह तो औसत दुमट जमीन का है और बाक़ी जमीन का ३३ परसेंट का अन्तर है। लेकिन आबपाशी की दरों में रामपुर आस पास के इलाकों का ठीक ५० परसेंट है, आधा है। इसलिये यह तो कहा जा सकता है कि लगान आस पास के इलाके से डयौढ़ा है, बढ़िया जमीन का और बाक़ी जमीन का ३३ फीसदी ज्यादा है, लेकिन उसके घटाने का कोई केस बैठता नहीं है जब मैं यह कहता हूं कि सारे राज भर में लगान बढ़ाने की बात तो सोची जा सकती है, घटाने की बात नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जहां २२ फी सदी है वहां घटाना चाहिये जब कि बात याद रखने लायक यह है कि आसपास के इलाके में आबपाशी की शरह ठीक दूनी है, वहां की आबपाशी की बनिस्बत।

यह तो रही लगान घटाने की बात। अब जमींदारी उन्मूलन कोष में रुपया जबर्दस्ती इकट्ठा किया गया, मैं इस सिलसिले में कुछ भी कहना सदन के समय को नष्ट करने के बराबर

[श्री चरण सिंह]

मानता हूं। लेकिन कई बार इस बात को कह चुका हूं और मैं अपने माननीय मित्रों की किताबों में से एक पृष्ठ नक़ल करना चाहता हू कि बात को दोहराना चाहिये। जब झूठी बात दोहराने से चिपक जाती है तो कम से कम जो सच्चाई है उसकी ताईद में ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत दबाव तो देना चाहिये। मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों की खिदमत में आपके द्वारा यह कहूंगा कि गोरखपुर और बस्ती से ४० फी सदी और ३० फी सदी रुपया ९ महीने के अन्दर वसूल हुआ। अगर वह जबरदस्ती वसूल किया गया होता, जनता के साथ अत्याचार किया होता, सब को मु ा बना कर के रुपया वसूल किया होता या जेलखाने में डाल कर के रुपया वसूल किया होता तो आज वहां इस गवर्नमेंट का दम भरने वाले, उस पार्टी का झंडा उठाने वाले जिस पार्टी की गवर्नमेंट के जरिये वह आन्दोलन चलाया गया था आज इस हाउस के अन्दर एक दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी सब से बड़ी तरदीद यही है कि जितने जन-प्रतिनिधि वहां से आये हैं, वह मेरी खुशकिस्मती से और मैं समझता हूं कि दूसरे लोग उससे खुश हैं या नहीं, मैं नहीं कहना चाहता दूसरा शब्द इस संबंध में, लेकिन वहां से सब के सब सुफेद टोपी पहनने वाले आये हैं। यह इस बात का सबूत जरूर है कि आमतौर पर जनता को, किसान को शिकायत करने का मौका नहीं दिया गया।

फिर जहां तक पटवारियों की बात है, मैंने जो लफ्ज कहे थे कि यह सब कुछ जा करके ग़रीब के सर पड़ता है, तो मेरा मतलब यह नहीं था कि जो शिकायत उसके खिलाफ़ की जाती है उसमें कोई सार नहीं है। उसके खिलाफ जो शिकायतें हैं उसमें कुछ सच्चाई जरूर है, लेकिन जैसा कि हमारे नेता माननीय मुख्य मंत्री कई बार कह चुके हैं कि बराबर इस बात को रटते जाने से कोई फ़यदा नहीं है। आप उसके लिये कोई रचनात्मक सुझाव बतलायें और हम उनको मंजूर न करें तब तो बात ठीक है। इसके साथ साथ हमको देखना यह है कि वह काम कितना करता है। जैसा मेरे मित्र मौर्य जी ने कहा कि वह अपने घर को छोड़ करके आज तहसील में पड़ा हुआ है, जगह उसको ठहरने की नहीं है और जितना वह मतालबा करता है कि उसको भत्ता मिलना चाहिये उतना हम अपनी आर्थिक स्थिति के कारण उसको दे नहीं पाते हैं। साल भर में कई बार उसको हफ्तों के लिये तहसील में आ करके पड़ा रहना होता है, उसको ठहरने के लिये जगह नहीं मिलती है और उसकी शिकायत बराबर बनी रहती है कि हमारा खर्चा चलता नहीं है। इसके अलावा जन गणना हो या पशु गणना हो उसके मत्थे, ग्रेन प्रोक्योरमेंट का सवाल हो तो उसके जिम्मे, एलेक्टोरल रोल तैयार करने का काम हो तो उस गरीब के जिम्मे, कहीं हेजा हो जाय या मलेरिया हो जाय तब सब कुछ उसी के जिम्मे आ करके पड़ता है, ग़रज यह है कि जितनी स्कीमें गांवों तक जाने वाली हैं इस गवर्नमेंट की या इससे भी पहले वाली गवर्नमेंट की थीं, वे सब उसी पर जा करके रहती हैं और इस प्रकार वह बहुत ज्यादा काम करता है।

जहां तक यह कहा गया कि उसमें भ्रष्टाचार है, इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि अब परमात्मा ने चाहा तो ऐसी शिकायत का मौका बहुत ही कम हो जायगा। कारण यह है कि एक जमींदार और एक काश्तकार दो फरीक थे जो कि जमीन पर इंदराज कराने के लिये आपस में लड़ा करते थे। वह एक के हक़ में कर सकता था और दुसरे के खिलाफ़ कर सकता था। अब वहां कोई दूसरा फरीक़ नहीं है। अब एक तरफ सिर्फ किसान है और एक तरफ स्टेट है, राज्य है या यों कह सकता हूं कि जमींदार का काम वहां गांव सभा ने ले लिया है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जमींदार से भी कई मामलों में ज्यादा अधिकार गांव सभा को मिल गये हैं। वहां एक तरफ सारे गांव की सामूहिक शक्ति है और एक तरफ उसी गांव सभा के सदस्य हैं जिनके फर्दन फर्दन एतराज हों। इस तरह से नाम बदलने या नाम निकालने के मौके बहुत कम पड़ेंगे। लिहाजा उसको भ्रष्टाचार करने का मौका बहुत कम रह जायगा।

हम तो सोच रहे हैं कि अगर कोई इन्दराज या तब्दीली किसी तरह से हो तो उसकी पंचायत में नोटिस दी जाय। आज किसी रजिस्टर्ड जमीन की तब्दीली या इंदराज करने का अधिकार

पटवारी को नहीं है, लेकिन जो जमीन खाली पड़ी है उसमें वह इंदराज कर सकता है। हमारा विचार यह है कि आगे से उसको यह मौका न दिया जाय। इससे करप्शन के चांसेज (अवसर) बहुत कम हो जायंगे। थोड़े चांसेज भ्रष्टाचार के इस कारण भी रहते थे कि जमींदारों के जरिये उसका तक़रुर्र होता था। जमींदारों की राय का बहुमत जिधर हो जाता था वही व्यक्ति पटवारी तक़रुर्र किया जाता था। तो एक प्रकार का वह एहसानमन्द होता था, उन जमींदारों का। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय सदन की इत्तिला के लिये कहना चाहता हूं, क्योंकि बाजाब्ता वह चीज पब्लिक में आयी नहीं है, गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया है कि उसका तक़रुर्र जमींदारों की राय से नहीं बल्कि कलेक्टर खुद किया करे। एक बात।

दूसरी बात यह है अभी तक उसकी पोस्ट ट्रान्सफरेबिल नहीं थी। जहां रहता था सारी उम्र वहीं काटता था और अगर उसकी शिकायत होती थी, कोई जनसेवक शिकायत करता भी था और कलेक्टर साहब उसका तबादला कर भी देते थे तो वह अपील दर अपील करते-करते बोर्ड आफ रेवेन्यू तक पहुंचता था क्यों कि उसके एप्वाइंटमेंट और ट्रांसफर का मामला जुडिशल मैटर समझा जाता था। तो जिस तरह से अदालती मामलों में अपील होती है और फिर दूसरी अपील होती है और फिर निगरानी होती है उसी तरह से हाकिम इलाक़ा के हुक्म की अपील वह बोर्ड आफ़ रवेन्यू से कर सकता था। तो हाकिम इलाक़ा तबादले का हुक्म देते बार सौ बार सोचता था। लेकिन अब हमने उसके तबादले को और उसकी तक़रुर्री के मामले को एक्ज़ीक्यूटिव मैटर करार दे दिया। कलेक्टर उसकी तक़रुर्री करेगा और उसकी पोस्ट ट्रान्सफ़रेबिल होगी। लिहाजा अब उसके ऊपर ज्यादा कठोर अनुशासन रह सकेगा और जो कुछ अभी तक उसके पास छोटे-छोटे सेफ़गार्ड्स (सरक्षण) थे उनमें बहुत कमी आ गयी है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरे से बहुत हद तक सहमत होंगे कि जितना मौजूदा हालत में मुमकिन था वह पटवारियों के सिलसिले में हम कर चुके।

जहां तक कानूनगोयान की बात है, उनके सिलसिले में एक बात मैं कहना भूल गया। वह यह है कि जहां तक उनके प्राविंशियलाइज़ेशन (प्रान्तीयकरण) की बात है वह तो हो ही गयी।

उपाध्यक्ष—मैं माननीय मंत्री की सूचना के लिये बतला देना चाहता हूं कि समय समाप्ति पर है।

श्री चरण सिंह—जी, बहुत अच्छा। तो फिर मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर रहा हूं। हां, क़ानूनगोयान के लिये गवर्नमेंट ने एक आम आदेश जारी कर दिया था जून के महीने में कि जो कानूनगो बहुत अर्से से, अर्थात् पाँच साल या पांच साल से ज्यादा अपने सर्किल में थे उन सब का तबादला कर दिया गया। जिनके ताल्लुक़ात अपने-अपने इलाक़े में हो गये थे, उससे उनके निर्णयों पर कुछ असर पड़ सकता था उसके ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ कर लिया गया है।

अब जहां तक मालगुजारी की वसूलयाबी का ताल्लुक़ है, तो गवर्नमेंट यह निश्चय कर चुकी है कि मालगुजारी, जैसी कि बहुत सी भाइयों की आशंका है पटवारियों के जरिये से वसूल नहीं की जायगी, बल्कि अमीनों के जरिये से वसूल की जायगी। अमीन लोग अब भी बहुत से ज़िलों में आबपाशी का रुपया वसूल करने का काम करते हैं और तजुर्बा गवर्नमेंट का यह है कि उनका काम तसल्लीबख़्श है। तो इसलिये पटवारी को यह अधिकार न दे कर और अधिकार न देने का सब से बड़ा कारण यह था कि वह बहुत व्यस्त है, जैसा मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूं, उसके कंधे पर बहुत ज्यादा काम है। उसको इतनी फुर्सत भी नहीं है और अगर उसके ज़िम्मे यह काम और कर दिया तो काग़ज़ात में इन्दराज करना और जो और काम हैं उनमें मुश्किल पड़ती। इसलिये अमीन के ज़रिये से मालगुज़ारी वसूल होगी।

[श्री चरण सिंह]

एक मित्र ने यह सुझाव दिया कि पंचायतों के जरिये मालगुजारी वसूल की जाय। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप के जरिये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हमारी पंचायतें इस लायक़ हो जायं कि वे मालगुजारी वसूल कर सकें तो गवर्नमेंट को इससे ज्यादा कोई खुशी नहीं होगी। हम उस दिन की कल्पना कर सकते हैं जब कि हमारे गांव वालों में शिक्षाका प्रसार होगा, नागरिता के जो कर्त्तव्य होते हैं उनका एहसास उनमें बढ़ता जाय और अपनी जिम्मेदारियां समझते जायं, तो लोकल गवर्नमेंट के प्रति अपने कर्त्तव्यों को निभाने में उनकी ट्रेनिंग होती जायगी। और बहुत से काम उनके सुपुर्द कर दिये गये हैं उनको वह ठीक तरह से निभाने लगेंगी तो यह अख्तियारात भी धीरे धीरे उनको मुंतकिल किये जा सकते हैं। लेकिन आज पंचायतें इतनी मजबूत नहीं हैं। यह नहीं कि हम उनको मजबूत बनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जहां तक हमारी इच्छा का संबंध है तो उससे जाहिर है कि उनको अदालती अख्तियारात और मामूली फौजदारी के अख्तियारात, २५० रुपये तक के दीवानी नालिशात के अख्तियारात और उनको अदालती माल के भी अख्तियारात दिये जा चुके हैं। इसके अलावा अपने गांव के इंतजाम करने के अख्तियारात भी दिये जा चुके हैं। जमींदारी अबालीशन कानून के अधीन तो उनको इतने अधिकार दिये जा चुके हैं जो कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिये। हम चाहते हैं कि इन अधिकारों का वह अच्छी तरह से उपयोग करें। जैसे जैसे इनका तजुर्बा बढ़ता जायगा और अगर आपकी राय होगी तो मालगुजारी वसूल करने के अख्तियारात भी इनके सुपुर्द कर देंगे। हां, एक-आध जिले में मालगुजारी वसूल करने की जैसा कि मैंने कहा, करेंगे और अगर उसमें सफलता मिली तो आगे बढ़ाने की बात सोची जा सकती है।

हां, अभी कहने को तो बहुत सी बातें हैं लेकिन समय कम है। इसलिये मैं एक आध ही बात कहना चाहता हूं। जहां तक यह बात कही जाती है कि काश्तकारों के बहुत कम नाम दर्ज हैं. मैं मानता हूं, बेशक ऐसे काश्तकार हैं जिनके नाम दर्ज न हुये हों। लेकिन यह कल्पना करना कि ज्यादातर काश्तकार का यही हाल है और उससे कोई नतीजा निकालना गलत है, क्योंकि १३४५ की फसली में अर्थात् १९४५ के कागजात माल के इंदराज के मुताबिक सीर और खुदकाश्त जो काश्तकार थे उनकी तादाद ११,८६,००० है और जो जमींदार की जमीन पर बिला तसफिया लगान के काबिज थे उनकी तादाद २४,००० थी और जो काश्तकार के काश्तकार यानी शिकमी थे उनकी तादाद १५,९४,००० थी और एक एक जिले में लाख डेढ़ लाख इंदराज मिलते हैं, सही नहीं है। एक दम यह कह देना कि सर्वथा ग़रीब किसान का नाम दर्ज नहीं है, ठीक नहीं है। हां, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं। उनके लिये रास्ता खुला हुआ है कि वह अपना नाम अदालत में जा कर दर्ज करायें। इनके अलवा जो सुझाव दिये जायेंगे उन पर विचार करने के लिये गवर्नमेंट हर समय तैयार होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी जैनरोसिटी (उदारता) का बहुत फायदा उठाया है, लेकिन फिर भी मैं दो मिनट और चाहूंगा। शायद किसी मित्र ने भी कहा है और जो प्रश्न पूछे जाते हैं और अखबारों में लेख निकलते हैं उनसे जाहिर होता है कि आमतौर पर पैजेण्टरी और आप लोगों की इच्छा यह है कि जमीदारी उन्मूलन के बाद चकबंदी और सहकारी सोसाइटियों की ओर कदम उठाया जाय। सहकारी समितियां बननी चाहियें और हम भी चाहते हैं कि बनें और पनपें! लेकिन जहां तक हमारी नीति का संबंध है, हमने जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल में एक अध्याय रखा है। हम सुविधा और सहायता देंगे। लेकिन मेरा खयाल ऐसा है कि सहकारिता फार्मिंग की खेती के लिये अभी बहुत प्रचार करने की आवश्यकता होगी। किसानों के मन में प्रेरणा बिरले में ही पैदा होती है। इसके लिये प्रचार करना होगा। जहां तक चकबंदी का संबंध है उसकी मांग किसान करते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट ने निश्चय यह किया कि जल्द से जल्द इस दिशा में क़दम बढ़ायें और गवर्नमेंट बहुत जल्द एक कमेटी चकबंदी योजना के बनाने के लिये मुकर्रर करने वाली है जिसके मेम्बर्स के नाम बहुत जल्दी जाहिर कर दिये जायंगे।

बातें बहुत सी उठायी गयी लेकिन समय कम है । लिहाजा इन चन्द शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

श्री गेंदा सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं माननीय सुरेश प्रकाश जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, उनकी घबराहट को भी मैं दूर करना चाहता हूं। सुरेश प्रकाश जी ने ऐसा समझ लिया कि शायद कोई जांच हो और फिर पेड़ काटने वालों को कानून शिकनी के जुर्म में सजा न हो जाय, ऐसा मुझे लगा।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---प्वाइंट आफ़ आर्डर सर, (श्रीमन्, एक विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं) मेरा तो यह कहना था कि अगर पेड़ काटे गये तो कानून के खिलाफ़ काटे ही नहीं गये।

श्री गेंदा सिंह---मैं प्राइवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट को उनके सामने रखना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वह उसे मेहरबनी करके पढ़ लेंगे । कोई शख्स हरा दरख्त नहीं काट सकता । कुछ किस्म जरूर हैं, वैसे दरख्त बड़ी तादाद में काटे गये हैं और कुछ दरख्त फैजाबाद के जिले में भी काटे गये हैं । मैं एक मर्तबा गया था । मैंने देखा था बहुत बड़ी तादाद में काटे गये हैं । तो मैं समझता हूं कि किसी वजह से माननीय श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने उस तरफ इशारा किया । मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी की खिदमत में । उन्होंने लगान के संबंध में यह फरमाया कि बहुत पुरानी बात क्यों उठाई जाती है । मैं बहुत पुरानी बातें स्वयं नहीं उठाना चाहता । वह सन् ३६ की रिपार्ट थी लेकिन यह सन् १९४८ की रिपोर्ट है जिसमें माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते थे और उसके मुताबिक इसमें डेढ़ करोड़ रुपये की छूट किसानों के लिये चाही गयी है। यह तो ४८ की रिपोर्ट है । मैं जमीदारी विनाश करने की रिपोर्ट की चर्चा कर रहा हूं।

पटवारियों के संबंध में जो उन्होंने कहा, मुझे भी पटवारियों से हमदर्दी है, कम तनख्वाह पाने वालों से हमदर्दी है, लेकिन एक बात जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही उससे शायद पटवारियों को कुछ छूट मिली । जो कुछ पुराने जमाने में अंग्रेज कहा करते थे वही कुछ घुमा फिरा कर किसी तरह से उन्होंने दोहराई कि बड़ा काम करना पड़ता है, बेचारे बरसात में घर से बाहर रहते हैं, खाने और रहने का ठिकाना नहीं । क्या मतलब ? मतलब यही तो नहीं है कि उनको छूट है रिश्वत लेने की । इस तरह अगर लेते देते हैं तो उसकी कम परवाह करनी चाहिये । ऐसी बात कह कर पटवारी और किसानों दोनों का अहित होगा । यदि पटवारियों का हित करना सरकार चाहती है तो उन्हें और प्रकार से उनका हित साधन कर सकती हैं, पर रिश्वत लेने की छूट देकर उन्हें बरबाद कर देगी । हो सकता है कि मैं ग़लत मतलब लगा रहा हूं लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा उसका अर्थ यही होता है, सीधा साधा जैसा कि मैं देहात का आदमी हूं, वैसा अर्थ लगाता हूं।

तीसरी बात उनकी फौज की कही गई। मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह बड़ी भारी फौज है। हमारा प्रदेश कोई बंगाल तो नहीं है। वह सारे देश में छाई हुई है गांव से लेकर यहां तक है। मैं कोई नया प्रश्न इसमें नहीं उठाना चाहता हूं । केवल निवेदन की शक्ल में एक सुझाव रखना चाहता हूं कि अच्छा होता कि बिहार सरकार ने जो काम अकाल पीड़ित क्षेत्रों में किये हैं या कर रही हैं उसको एक बार हमारे माननीय मंत्री जी, जो अकाल के काम के भी मंत्री हैं, देखते। पिछले वर्ष १४ करोड़ रुपये बिहार हुकूमत ने अपने अकाल पीड़ित क्षेत्रों में खर्च किया है। दो करोड़ आदमियों पर १४ करोड़ उन्होंने खर्च किया। १ करोड़ से ज्यादा आदमियों पर मुसीबत इस वक्त हमारे प्रदेश में है। उनके ऊपर आज हमारी हुकूमत क्या खर्च करती है उस पर भी आप जरा ग़ौर

[श्री गेंदा सिंह]

फरमायेंगे। आप देखेंगे कि वह रक़म २ करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है। उसमें लगान की माफी भी शामिल है और तकावी की रकम सबसे ज्यादा है जो कर्जा है और उसकी वसूली के लिये इस समय भारी ज्यादतियां की जा रही हैं। जिस तरह से हमारी मदद की जाती है और हम रहते हैं उसका सारा भार माल विभाग पर पड़ता है। माल विभाग की रिपोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है क्योंकि उसमें सारी हालत का बयान रहता है कि किस जगह पर अकाल आया और कहां पर क्या पैदा हुआ तो ऐसी हालत में मैं यह जरूर सुझाव करूंगा माल मंत्री जी की खिदमत में कि जरा माल विभाग के अधिकारियों की लगाम संभाल कर रखे और नहीं तो अगर उनका इरादा ऐसा हो कि मुसीबत में हम लोग मरते रहें और जनता मुसीबत में रहे और फिर सरकारी मुलाजिम जिस तरह से चाहें उसी तरह से अपनी मनमानी करते रहें, झूठी सच्ची रिपोर्ट दे दिया करें तो मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं यह ख्याल करता हूं कि उनका इरादा ऐसा नहीं होगा और न हो सकता है। इसलिये इस ओर भी अपना ध्यान जरूर रखें।

१० गुना लगान की वसूलयाबी के बारे में माननीय मंत्री जी यह कहा करते हैं कि ज्यादती नहीं की गई और अगर ज्यादती की जाती तो इतनी बड़ी तादाद चुनाव में चुनकर कांग्रेस यहां न आती। मैं आपसे यह अर्ज करता हूं कि चुनाव कोई इन्साफ का पलड़ा नहीं है। इसे मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि अभी कुछ दिन पहले विधान भवन में माननीय राजगोपालाचार्य जी ने कहा था कि मद्रास में कांग्रेस क्यों हार गई। उन्होंने क्या जवाब दिया था ? क्या हुकूमत इस बात को क़बूल करने को तैयार है कि जहां कहीं भी कांग्रेस हारी है वहां कांग्रेस ने जुल्म किये हैं ? क्या आप कबूल करने को तैयार हैं ?

मैं जमीन के बटवारे की बात को लेकर समय बरबाद नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि जमीन के बटवारे से सरकार इन्कार करती है, हालांकि यह सिद्धान्त हमने माना है। इसके ऊपर कभी विवाद करने का अवसर मिलेगा तो कहा जायगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस वक्त अगर आपने अपनी फौज को कुछ सम्भाल नहीं लिया तो इस जमींदारी के विनाश के बाद एक तूफान खड़ा होने वाला है जो कि बेदखली का है और उस बेदखली से बहुत से किसान इस प्रान्त के रहने वाले बेदखल होने वाले हैं। उनकी रक्षा करने में सरकार को कोताही नहीं करना चाहिये।

उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री गेंदासिंह—जी नहीं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—मालगुजारी (लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी) के अन्तर्गत २,२८,०८,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६-लेखा शीर्षक ५४-क-प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)-- मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६-प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें (लेखा शीर्षक ५४ क-प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें) के अन्तर्गत ७,८८,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

इसका ब्यौरा बजट में दिया हुआ है। यह पेंशनों को जो रकम है यह दो किस्म की है। एक तो मर्जर हुई स्टेट्स से ताल्लुक रखती है। उनके जो रिश्तेदार, जो राजा, नवाब वहां के थे और जो डिपेंडेंट थे उनके लिये और दूसरे पोलिटिकल पेंशनें हैं। इस तरह से यह रकम दी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री मदन महोन उपाध्याय (जिला अल्मोड़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध के अनुदान पर एक रुपये की कमी कर देने का प्रस्ताव इस सदन के सामने रखता हूं। आज मुझे इस प्रस्ताव पर कमी करने का यह प्रस्ताव जो लाना पड़ा उसकी कुछ वजह है। जब से इस भवन में बजट पर वाद-विवाद हो रहा है तब से बहुत दिन मैंने सुना कि यह हुकूमत इन राजनैतिक पीड़ितों के नाम पर जो उन्होंने राजनीतिक पीड़ितों को तमाम चीजें दी हैं उस पर गर्व करती है। आज इस भवन में मैंने देखा कि इन तालियों की पड़पड़ाहट सुनकर कुछ गर्मी सदन में पैदा हुई और उस गर्मी से जो पास में पेट्रोल की टंकी थी उसमें आग लगी और जब मैंने देखा कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं तो मुझे बहुत घबराहट हुई । इसलिये जैसा उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई चिराग़ दिखाने वाला सदन में नहीं मिला। मुझे भी ख़तरा लगा उस आग को जिसे मुख्य मंत्री जी जला गये हैं, उसे बुझायेगा कौन ? लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि मुख्य मंत्री जी यहां आये। मैं उम्मीद करूंगा कि उस आग को बुझाने की वह कोशिश करेंगे, शायद आग बुझाने में उनको दिक्कत हो। यह आग तो फैलेगी और उधर भी लगेगी और अगर वह यहां न रुक सकी तो वह बाहर भी जायगी और हम जो यहां बैठे हैं चाहे वह लाल टोपी वाले हों, चाहे सफेद टोपी वाले हों बाहर जनता जब देखेगी कि हमारे प्रतिनिधि जो यहां भेजे गये हैं वह सिवा इसके कि यहां मंत्रिमंडल के लोगों के गुणगान करते रहें और कुछ नहीं कर रहे हैं तो वह इस सदन के मेम्बरों से कहेगी कि वापिस आ जाओ हमने तुमको गुणगान करने के लिये भवन में नहीं भेजा था। नहीं आये तो वह शायद सत्याग्रह की पाबन्द हो या जो अहिंसात्मक तरीक़े हैं उनको इस्तेमाल करे और अगर वह उसमें कामयाब नहीं हुई तो मैं आप को दावे के साथ बतलाना चाहता हूं कि चाहे हम सफेद टोपी वाले हों या लाल टोपी वाले हों हमने अगर इन वर्षों में देश की गरीबी दूर नहीं की तो बाहर के लोग हमें इस भवन से घसीट कर बाहर फेंक देंगे और यहां वह लोग आवेंगे कि जिनके सिर पर न सफेद टोपी होगी और न लाल टोपी होगी।

एक सदस्य---यह तो यक़ीन है कि लाल टोपी तो न होगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हम आपका साथ देने के लिये रोज चिल्लाते हैं और रोज कहते हैं आज हमसे कहा जाता है कि हमको तो जनता ने छांट कर भेजा है। अरे साहब, हमको भी जनता ही ने छांट कर भेजा है और हम भी वही आवाज रखते हैं जो आपकी है। अगर हम आपका साथ गरीबी दूर करने में न दें तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अगर हमसे यह समझा जाय कि हम वैसे ही सर झुकादें

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

और घुटने टेक दें तो यह हर्गिज नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि आप बड़े दानी हैं आप राजनीतिक पीड़ितों की मदद करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय क्षमा करें मैं 'आप' कह रहा हूं मैं आपके द्वारा गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि उन्हीं राजनीतिक पीड़ितों की बदौलत आप आज इन कुर्सियों पर विराजमान हैं और हम भी यहां आये हैं। उस आजादी की लड़ाई में बहुत से मेम्बरान जो उधर बैठे हैं उन्होंने इस लड़ाई में भाग लिया है और शायद कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने हमारी स्वतन्त्रता की लड़ाई में हमारा विरोध किया होगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी दावे के साथ कह सकता हूं कि इधर लाल टोपी पहने हुये वही लोग हैं जो फांसी के तख्तों से छूट कर आये हैं और जान की बाजी लगा कर आये हैं और इधर हममें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने आजादी की लड़ाई में भाग न लिया हो। माननीय खाद्य मंत्री जी कहते हैं कि राजनीतिक पीड़ितों के लिये हमने यह किया और वह किया। मैं उनको दिखाने के लिये यहां एक इक्सरे का प्लेट लाया था उनका डाक्टरों का विभाग भी है। हमारे राजनीतिक पीड़ित कुछ ऐसे हैं जो तपेदिक से बीमार हैं और वह एक ऐसी बीमारी है जिसको सुनकर ही आधी जान खुश्क हो जाती है। उनको ३९ साल की सजा हुई थी। वे रोजमोहम्मद अंसारी देवरिया के हैं। इस एक्सरे फोटो को आप देखें और अगर कोई डाक्टर साहब हों तो वे भी देखें। यह मेरा बनाया हुआ नहीं है। आज वे राजनीतिक पीड़ित कहते हैं कि हमको स्ट्रेप्टोमाइसीन के इंजेक्शन का प्रबन्ध कर दो वह कहते हैं कि हमारी दवा का इंतजाम कर दो। लेकिन यह हुकूमत डींग ही मारती है कि हमने यह किया और वह किया। हमारे माननीय अन्न मंत्री ने उस दिन बड़े जोरों से कहा कि हमने राजनीतिक पीड़ित जो तपेदिक के बीमार हैं वे भोवाली के सैनेटोरियम में भर्ती नहीं किये जाते हैं पेशावर कांड के चन्द्र सिंह गढ़वाली का नाम आपको मालूम है। आज वह बेचारा बेरोजगारी में गढ़वाल के अन्दर मारा मारा फिरता है।

हमारी आई० एन० ए० के लोग जो नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की फौज में अफसर थे और जिन्होंने कुर्बानियां कीं और जिनकी वजह से आज आपको मौक़ा मिला है कि यहां बैठे हुये हैं उनके लिये आप कुछ नहीं कर पाये हैं। आपने पोलीटिकल सफरर की परिभाषा रखी है कि जो ६ महीने जेल में रह आया हो। मैं आपको ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि जो असली पोलीटिकल सफ़रर थे और उन्हें कुछ नहीं मिला। जिनकी पहुंच हुई उन्होंने पोलीटीकल सफ़र के नाम से चीजें ले लीं। अगर यह सरकार सचमुच चाहती है कि वह राजनैतिक पीड़ितों की कुछ सहायता करे तो उसे उचित रूप से इधर कार्यवाही करनी होगी। मैं जानता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के दिल में उनके लिये जगह है। परन्तु उन्हें यह नहीं सोचना चाहिये कि यह कांग्रेसी है, यह सोशलिस्ट है या कम्युनिस्ट है या और कोई इस्ट है।

जिलों में बहुत से आदमी हैं जो जेल में नहीं गये और पोलीटिकल सफ़रर के नाम पर वे रुपया, जमीन और शैड बनाने के लिये टिन के परमिट भी ले रहे हैं। इस हुकूमत को चाहिये कि ऐसे लोगों को अवश्य दे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्योछावर कर डाला है। और मुझे इस बात का गर्व है। एक हमारे यहां ऐसा पोलिटिकल सफरर (राजनीतिक पीड़ित) है जिसके पांव नहीं हैं। वह चल नहीं सकता और कुछ कोशिश करने पर भी इस हुकूमत ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। हमारे यहां जब डाक्टर लोहिया साहेब गये तो वह उनके आगे रोया और बड़ी मेहनत करने के बाद उसको कुछ मिला। हमारे जिले में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हट्टे-कट्टे हैं और उन्हें पेंशनें मिल रही हैं लेकिन जिन्हें जरूरत है

उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। चाहे उन्हें कुछ मिले या नहीं मिले, यह माननीय मुख्य मंत्री जी ही कह सकते हैं लेकिन मुझे भी आज इतनी तसल्ली जरूर है कि मैंने उनके लिये यहां कुछ कहा तो। अगर हमारी सत्ता होती तो आज ऐसे सब कुछ न्यौछावर करने वालों की यहां तस्वीरें टंगी होतीं जिनकी औरतें भूखी मर रही हैं, और बच्चे तड़प रहे हैं, और जो इस लड़ाई की आजादी में मर चुके हैं। इस हुकूमत ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस दिन हमारे माननीय मंत्री ने बड़े रोब से कह दिया कि हमने यह कर दिया।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस भवन में अनुदान संख्या ३६ जिसमें ७ लाख ८८ हजार और ५०० रुपये की मांग की गई है उसके अन्दर जो भावनायें हैं उनके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देने के लिये उपस्थित हुआ हूं। परन्तु साथ ही मैं उनका ध्यान उस जनता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो सैकड़ों वर्षों से जबान होते हुए गूंगी रही और कान होते हुये बहरी रही और जिन्होंने गुलामी में दूसरों की अपमानभरी बातों को सुना। जवाब देने की इच्छा होते हुये अनसुनी की और उन्होंने जवाब नहीं दिया। इच्छा यही रही कि देश आजाद हो। आपने देश की आजादी की लड़ाई छेड़ी और जो आपने स्वतंत्रता संग्राम चलाया उसमें उन्होंने अपने सर्वस्व को और अपने बच्चों को आपके साथ स्वाहा किया। वे लोग आज राजनीतिक पीड़ित होकर आपकी तरफ टकटकी लगाये देख रहे हैं। आशा करते हैं और विश्वास भी आपके ऊपर है क्योंकि वे इतने दिनों तक आपके साथ कंधे से कंधा भिड़ा कर कार्य करते रहे, घर लुटाया, इज्जत दी, सर्वस्व दिया, और अपने नौजवान बच्चों को संगीनों के मुकाबले में झोंक दिया। ऐसे बहुत से जिले हैं जहां के लोगों ने ऐसी कुरबानी की, ऐसे ही जिलों में एक जिला रायबरेली भी है। जब आपने स्वतंत्रता संग्राम का आवाहन किया, वहां नेता नहीं थे वहां तो बलिदानी थे उन्होंने अपनी आहुती डाली।

आपको याद होगा कि मुंशीगंज के सन् १९२१ के स्वतंत्रता के संग्राम में कैसा गोलीकांड हुआ। जवाहरलाल जी के कानों में अब भी उसकी आवाज गनगनाती हुई सुनाई देती है। वहां की जमींन अब भी उनके खून से रक्त रंजित है। फिर सन् १९४२ में वहां की जनता ने सुना कि आजादी आने वाली है और हमारे नेता, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य बम्बई में गिरफ्तार हो गये हैं उसके प्रतिशोध के रूप में उन्होंने थाने पर झंडा लगाना तय किया एक एक करके ४२ आदमी गोली से घायल हुये और ५ आदमी अपनी लाश एक एक करके ३ फर्लांग के बीच में बिछा गये और महात्मा गांधी और कांग्रेस की जय बोलते हुये अपने को बलिदान किया। लेकिन आज उनकी औरतें, आज उनके बच्चे, आज उनकी बूढ़ी मां, और इस आन्दोलन के बचे हुये सैनिक जो कि आज स्वास्थ्य हीन आंख हीन और श्रवण हीन हैं और बीमार पड़े हैं आज उनकी ओर मैं अध्यक्ष महोदय के द्वारा अपने माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आज वे लोग आपकी ओर देख रहे हैं।

पंडित जवाहरलाल जी ने १९४२ ई० में कहा कि हम उनको जिनकी सन् ४२ के आन्दोलन में क्षति हुई है प्रतिफल देंगे। लेकिन वे तो प्रतिफल भी नहीं मांगते हैं। आज जो बूढ़े हो गये हैं मिसाल के तौर पर रामपाल यादव और जगन पासी उनकी ओर आपको दयादृष्टि करनी चाहिये। मैं देखता हूं कि आपमें कितनी उदारता है। हमारी राजमाता टेहरी गढ़वाल को १५ हजार रुपये मासिक मिला करते थे वह आपने बढ़ा कर २४ हजार कर दिये हैं। मैं अपने मुख्य मंत्री

[श्री गुप्तार सिंह]

जी से माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रार्थना करूंगा कि वह दयादृष्टि उन गूंगों और बहरों के प्रति भी आप दिखायेंगे। मैं उनकी ओर से पुकार करने आया हूं। जो बहुत बूढ़े हैं, अपाहिज हैं और जिनके पति स्वतंत्रता संग्राम में मर गये थे, जिनकी उम्र भी अभी २७ साल से अधिक नहीं है उनके प्रति वही दयादृष्टि दिखलायें जो गढ़वाल की राजमाता के प्रति दिखलाई है। मैं राजमाता के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि आपकी वह दयादृष्टि उधर भी हो। मैं एक बार फिर आपसे उनकी सहायता के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---राजनीतिक पीड़ितों के साथ इस सदन के सदस्यों का स्नेह होना और उनके प्रति श्रद्धा का भाव होना स्वाभाविक बात है। इस सदन के प्रत्येक सदस्य के अन्दर स्वभावतः इस बात की प्रबल इच्छा होना अनिवार्य है कि राजनीतिक पीड़ितों के लिये जो भी सम्भव हो वह किया जाय। इसलिये जिस सरगर्मी के साथ श्री मदन मोहन जी ने अपने विचार प्रकट किये, उनकी गम्भीरता को मैं समझ सकता हूं। हमारी भी इच्छा थी और है कि उनके लिये जो कुछ किया जा सके किया जाय। यह तो हम सब शुरू से ही समझते हैं कि जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने बलिदान किया, उनके लिये कोई बदला किसी रूप में चुका नहीं सकता, न उनको कोई इस तरह की चीज दी जा सकती है जो कि उन्होंने हर तरह की व्यथायें और वेदनायें सही हैं उनका अंश मात्र भी बदला चुका सकें। देश तो उनका ऋणी रहेगा, स्वर्णाक्षरों में उनके नाम हमारे देश के इतिहास में लिखे रहेंगे। जो यह नियम बनाया गया है कि तमाम जो अपनी उम्र भर, जीवन भर देश की सेवा करके अब ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं कि उनकी सहायता करना आवश्यक है या जिनके वारिस या और ऐसे हैं कि जो राजनीतिक क्षेत्र में युद्ध करते हुये चले गये हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है, उनको कुछ सहारा पहुंचाया जाय, न कि उनको कोई बदला दिया जाय। और न उनकी पूरी आवश्यकतायें पूरी तरह से हो सकती हैं, कुछ थोड़ा सा सहारा पहुंचाने का यत्न किया गया और इस तरीक़े पर अगर उनको कुछ पेंशन दी गयी तो इसमें जो भी दी गई वह कम है। यह भी सम्भव है कि ऐसे और हों जो कि उतना ही मुस्तहक हैं या ज्यादा मुस्तहक़ हों बमुकाबिले उनके जिनको कि दिया गया है। परन्तु यथासंभव इस बात का यत्न किया गया कि जिनके बड़े कष्ट हैं उनको दूर करने में अगर किसी तरह का सहारा हो सके तो दिया जाय।

पहले इसके लिये सूचना देने का समय १५ जून सन् ४९ तक रखा गया था। परन्तु उसके बाद जब कभी भी कोई ऐसा मामला सामने आया जिसमें समझा गया कि समय की अवधि का विचार न करके इनको कुछ सहारा पहुंचाना चाहिये, उसे पहुंचाने का यत्न किया गया और अब तक हर साल इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया जाता है। अब तक मैं समझता हूं कि ९८० करीब एक हजार पोलिटिकल सफरर्स (पीड़ितों) को पेंशनें दी गयीं जो लगभग तीन लाख रुपया साल का आता है। इसके अलावा २२८ या इसके लगभग लम्प सम ग्रांट दी गयी। वह ऐसे कुछ लोगों को जिनको बराबर पेंशन देने के बदले लम्मसम ग्रांट देना ठीक समझा गया वह दी गयी और इस तरीक़े पर भी उनकी दिक्कतों को कम करने के जो उपाय थे उनको काम में लाने का यत्न किया गया। कहीं कहीं पर जमीनें अगर हो सकीं तो वह उनके सुपुर्द की गयीं, कहीं सरकारी नौकरी के नियम को बदल कर, कुछ समय बढ़ा कर और कुछ और ढंग से भी ज्यादा उनको अवसर मिल सके यह किया गया। परन्तु इन सबके करने के भी यह हर्गिज माने नहीं हैं कि जो राजनीतिक पीड़ितों की आवश्यकतायें थीं वे पूरी हो गयी हैं, उनके कष्ट खत्म हो गये हैं या उनकी जो कुछ अब तक असुविधायें या शिकायतें थीं वे पूरी हो गयी हैं।

यह तो केवल उनके प्रति आदर को, देश की तरफ से एक सम्मान को दिखलाने के लिये एक नीति बरती गयी । यहां अंसारी साहब के बारे में उन्होंने कहा है। मैं यह जानता हूं कि कई राजनीतिक पीड़ितों को यहां सैनिटोरियम में रखा गया है। उनके इलाज वग़ैरह का भी प्रबन्ध किया गया है। अंसारी साहब का प्रबन्ध कैसे नहीं हो पाया यह मुझे मालूम नहीं है। इसके बारे में पहले से मुझे कोई सूचना नहीं थी। लिहाजा मैं अधिक कुछ कह नहीं सकता हूं। परन्तु इस बारे में यदि वह इसके अन्दर आते हों और उनकी सेवा करने का अवसर मिल सके तो मैं समझता हूं कि अब भी खाद्य मंत्री जी उसको सोचने को तैयार होंगे।

दूसरी बात जो चंद्र सिंह जी के बारे में कही गयी, चंद्र सिंह जी को पेंशन मिली है और औरों को भी पेंशन दी गयी है। उसके बारे में भी मुझे उस समय कुछ उपाय करने का मौका मिला था और तरह से भी उनकी सेवा करने का मौका मिला, शुरू से ही जब कि वह नहीं आये थे और जब कि वह यहां आये थे तब से भी किया है। जैसा कि मैंने कहा और भी लोग हो सकते हैं जिनको कष्ट हो, जिनको दिक्कतें हों, परन्तु जो कुछ भी नियम यहां स्वीकार किये गये थे उसके अनुसार यत्न किया गया। उसमें कमियां हो सकती हैं। अब भी अगर कोई ऐसा केस हो जिसके ऊपर विचार करना आवश्यक है तो मैं समझता हूं कि वग़ैर समय की परिधि या अवधि के उसके रास्ते में आये हुए उसको विचार करना आवश्यक होगा। अल्मोड़ा में तो खास तौर पर यहां से डिप्टी सेक्रेटरी को भेजा गया था कि इन मामलों में बहुत विलम्ब हो जाता है लिहाजा वहां जाकर इस सम्बन्ध में विचार करके शीघ्र निर्णय करना वांछनीय है और यही किया भी। फिर भी यदि कोई त्रुटियां रह गयी हों तो मैं यह मानने को तैयार हूं। त्रुटियां हो सकती हैं और इस सम्बन्ध में जो कुछ नीति रही है वह इस भवन ने पहले से जो बात मंजूर की उसके मुताबिक किया गया। इतना मैं जानता हूं कि हम इस मामले में किसी और प्रदेश से पिछड़े हुए नहीं हैं। कम से कम हमारी अभिलाषा रही कि हम सेवा की भावना से प्रेरित हो कर इन त्यागियों की, जिन्होंने इतने बलिदान किये हैं, राज्य की ओर से यदि उनकी कुछ सेवा कर सकें तो करें। उसका यत्न किया गया और मैं आशा करता हूं कि इस अनुदान को यह सदन स्वीकार करेगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुनकर जो आग सी इधर लगी हुई थी वह कुछ धीमी हो गयी और मुझे इस बात को जानकर भी खुशी हुई कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि अवधि की वजह से कोई भी मामला इसमें नहीं रोका जायगा। मैं एक चीज के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता था कि वह लोग जिन लोगों ने पोलिटिकल सफरर्स के नाम पर पेंशन या कोई चीज हासिल करली है क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उनके बारे में कोई इंक्वायरी करायेंगे ताकि उनको न मिल कर उन गरीबों को मिले जो कि इसके हकदार हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—इंक्वायरी में तो कई किस्म के सवालात पैदा किये जा सकते हैं। उससे बहुतों को दिक्कत आ सकती है। लिहाजा उसको उखाड़ना अच्छा नहीं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि अगर किसी ने ऐसी गड़बड़ की हो और इंक्वायरी हो जाय, मुसीबत हो तो मुझको भी उसे भुगतना चाहिये। मैं यह चाहता हूं लेकिन खैर, इस पर जो भी करें। मेरा सुझाव उनके सामने है। मेरे पास बहुत से नाम हैं। जैसे श्री काशी प्रसाद हैं और श्री कपि लाल हैं, वह मर गये उनके बच्चों का सवाल है। कई जिनका एक्सरे मेरे पास है ऐसे मरीज हैं। आपकी इजाजत से, माननीय खाद्य मंत्री ने हमारे माननीय गेंदा सिंह को इस सिलसिले में जो पत्र लिखा था उसको पढ़ देना चाहता हूं। वह लिखते हैं:—

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

"प्रिय गेंदा सिंह,

आपका १७ तारीख का पत्र ३ क्षय पीड़ित सोशलिस्ट कार्यकर्त्ताओं के संबंध में मिला। ऐसे मरीजों को भर्ती सैनिटोरियम के सुपरिंटेंडेंट करते हैं, तथा भर्ती होने के लिये उन मरीजों का पूरा हाल, डाक्टरों की राय, एक्स रे इत्यादि बातों की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक होगा कि यह क्षय पीड़ित उक्त विवरण के साथ अपने-अपने प्रार्थना पत्र भुवाली के सुपरिंटेंडेंट साहब के पास भेज दें। मैं भी इस विषय में उन्हें उचित आदेश दूंगा।"

बावजूद इस चीज के वह राजनैतिक पीड़ित अभी तक सैनिटोरियम में भर्ती नहीं हो सका। इसी का अफसोस है। क्या जब वे मर जायेंगे तक उनकी भरती होगी? तो शायद स्मशान में भर्ती होगी बेचारे की। आपने पुलिस के सिपाहियों के लिये कहा कि उनके लिये वहां स्थान है। पर ऐसे जो अर्जेंट केसेज हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि उन्हें तो कम से कम ह्यूमैनिटी (मानव सद्भावना) के नाम पर, इन्सानियत के नाम पर कुछ मदद दीजिये ताकि वह तसल्ली रखें कि हमारी हुकूमत ने हमारी मदद की और हमारा कुछ ख्याल किया।

रही इतिहास की बात। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जिन लोगों ने इस आजादी की लड़ाई में, सन् १८५७ से भाग लिया, उनका एक इतिहास लिखा जाय। पर यह न हो कि कांग्रेसवाला यदि इतिहास लिखे तो उसमें केवल कांग्रेस वालों का ही नाम लिखें। उसमें उन सब का इतिहास लिखा जाय जिन्होंने कि देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया।

अध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—यदि यह राजनीतिक पीड़ितों का सवाल होता तो मैं वापस ले लेता, लेकिन इसमें पेंशनों का भी आना है। इसलिये वापस नहीं लेता।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६- प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें (लेखा शीर्षक: ५४-क- प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनों) के अन्तर्गत ७,८८,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९४२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब स्पीकर साहब, मैं सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक को पेश करने की आज्ञा मांगता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रिएशन बिल) को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला, मैं सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

(थोड़ी देर के पश्चात्)

जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पर विचार किया जाय।

हम जेनरल डिस्कशन के बाद बहुत सी अनुदानों पर बहस करके कुछ रक़में इसलिये मंजूर करते रहे हैं कि वे रक़में इस स्टेट के अन्दर विभागों के खर्चों पर खर्च की जायं। यह रक़में जो खर्च की जाती हैं कंसालिडेटेड फंड से ली जाती हैं जो इस स्टेट की आमदनी से बनता है।

संविधान में एक आर्टिकिल है, उसमें यह हुक्म है कि जो खर्चा करना हो वह कंसालिडेटेड फंड से लिया जाय और उसके लिये कानून के जरिये लेजिस्लेचर से मंजूरी हासिल की जाय। चुनान्चे इस विधेयक में वे तमाम खर्चे जो इस वक्त तक पास किये गये हैं लिखे हुये हैं और उन्हीं के मुताल्लिक़ इस कानून के जरिये गवर्नमेंट को इस लेजिस्लेचर की तरफ से यह अख्तियार दिया जायगा कि उस फंड से इस रुपये को खर्च किया जाय। इन तमाम अनुदानों पर चन्द रोज हुये एक बहुत मुफस्सिल बहस हो चुकी है और हर अनुदान पर गवर्नमेंट की तरफ से भी जो कुछ कहा जा सकता था वह कहा जा चुका है। इसलिये इसकी कतअन जरूरत नहीं है कि मैं सिवाय इस एक बात के कुछ और कहूं कि जो खर्चे मंजूर किये गये हैं अलाहदा अलाहदा इन अनुदानों के जरिये से उनको कंसालिडेटेड फंड से निकाल करके रुपया खर्च करने की इजाजत दी जाय और इस बिल पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी, मैं यह बता देना चाहता हूं कि साधारण नियम यह रहता है कि इस विधेयक पर विशेष वादविवाद नहीं हुआ करता है। जब कि बजट में एक तो आम वादविवाद हुआ और उसके पश्चात् अलग अलग ग्रांट्स सदन के सामने आयीं तब तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैं माननीय सदस्य को रोकना नहीं चाहता लेकिन यदि वे बोलना चाहें तो थोड़े से शब्दों में इसके संबंध में वे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और आम बहस इसके ऊपर न हो तो उचित होगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य से वित्त मंत्री जी ने यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि वह उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक नक्शा हमारे सामने क्या होता है इसकी सफाई न हो जाय। मैं बहुत दूर इस समय नहीं जाना चाहता मगर आप के द्वारा अपने वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पिछले साल किस तरह से अनुदानों पर मांगी हुई रक़में अनुचित ढंग पर खर्च हुई हैं। मैंने बजट के प्रारम्भ में भी कहा था कि अनुदानों के द्वारा जो रकमें मांगी गयी थीं वे किस ढंग से खर्च हुईं। इसपर आडीटर की रिपोर्ट में बहुत बड़ी आपत्ति की गयी है। और वह हमारे सामने आज फिर भी प्रस्तुत है और अगर वित्त मंत्रीजी जानना चाहें तो आपके जरिये मैं उनको पढ़ कर सुना भी सकता हूं। इसमें यह लिखा हुआ है कि "ऐसा शायद ही कोई विभाग हो जिसमें अनियमिततायें न हुई हों किन्तु कुछ विभागों में, जैसे सार्वजनिक में निर्माण बिभाग, इतनी अधिक और इतनी स्पष्ट धांधलियां हुई हैं कि उनके बारे में कोई सन्देह नहीं रह जाता। महीने के अन्त में रोकड़ गिनी जाने का प्रमाण पत्र दफ्तर के रेकर्ड में न होना, आमदनी खर्च की बही में देर से चढ़ाना"। ये तमाम बातें लिखी हुई हैं?

इसके अलावा इसमें यह भी है, जैसा कि आपके जरिये पहले भी जिक्र किया था, कि जहां सन् १९४२ और १९४३ में पांच आपत्तियां आडिटर ने पेश की थीं जिनमें कुल रक़म ४४२४ रुपये की इन्वाल्व्ड थी वहां सन् १९४९–५० में १९६४१ आपत्तियां पेश कीं जिनमें कुल रकम १४ करोड़ ३ लाख ११ हजार ४५३ रुपये की इन्वाल्व्ड है जब हमारे सामने इतना स्पष्ट है तो आपके जरिये मैं वित्त मंत्री जी से अपना तमाम डर और शक व शुबहा को साफ कर देना चाहता हूं कि अगर मैं इस बात को मान लूं तो क्या यह साबित नहीं है कि जितनी धांधलियां गत वर्षों में हुई हैं उसी प्रकार की धांधलियां इस साल भी की जायंगी। वित्त मंत्री ने अपना पहला बजट का भाषण प्रस्तुत करते हुये हमारे सामने ऐसी कोई सफाई नहीं पेश की थी जिससे हम समझ सकें कि आगे किसी तरह की जो पिछले सालों में त्रुटियां और गड़बड़ियां रहीं वे नहीं होने पायेंगी। अध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं चाहता था, जैसी कि आपकी इच्छा थी उसी तरह से मैं भी चाहता था कि इस बिल पर ज्यादा वाद विवाद न हो मगर इस सदन में इस बार आने के थोड़े ही समय बाद हमें आदरणीय मुख्य मंत्री का एक

[श्री राजनारायण]

भाषण प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने इसी सदन में भाषण करते हुये कहा है कि बड़ी लाठी हो तो उसके हिस्से काट कर छोटी की जाती है लेकिन छोटी लाठी बड़ी नहीं होती, वह तो जैसी है वैसी ही रहती है । यह उस प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने कहा जब कि उनके सामने निवेदन किया गया था कि सरकार किस प्रकार के समाज को निर्मित करना चाहती है। जब मुख्य मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन किया गया था कि समाज की विषमता दूर होनी चाहिये, जो नौकरियां हैं उनकी तनख्वाहों में जो विशाल असमानतायें हैं उनको मिटाना चाहिये तो उस समय हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही थी। तो इससे तो हमारे मन में यह भय उत्पन्न हो जाता है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कि चाहे वह प्लानिंग की योजना हो, चाहे वह जो भी अनुदान हो, ये सारे के सारे अनुदान जिस ढांचे को बनानें में खर्च में लाये जायेंगे वह ढांचा अगर ऐसा हुआ जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पिछले भाषण में कहा था तब तो मैं एक पैसा भी इस तरह के समाज को स्थित करने के लिये देने को तैयार नहीं हूं और मैं आपके द्वारा निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी भी ध्यान करें, जैसा कि मैंने पहले बजट के भाषण के समय कहा था कि यह बजट रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिये और दूसरा बजट निर्माण कीजिये जो कि समाज की विषमता को मिटाये, ग़रीबी को दूर करे, मैं उसी को पुनःदोहराता हूं। अब तक करीब करीब सारे अनुदानों पर वादविवाद तो हो गया मगर एक बहुत बड़े हिस्से पर जिस पर समय की कमी के कारण मैं अपने मत को व्यक्त न कर सका वह उस अनुदान से संबंध रखने वाला था जिस पर अभी अभी हमारे साथी माननीय मदन मोहन जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था। मैं समझता हूं कि थोड़े में या ज्यादा में और विषयों पर तो कुछ न कुछ मत प्रकाशित हुये हैं। मगर अभी तक सदन के सम्मनित सदस्यों का इस अनुदान के पहले हिस्से की तरफ ध्यान नहीं गया है, उधर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आंकर्षित कराना चाहता हूं । इस अनुदान संख्या ३६ में विलीनीकृत रियासतों के राजाओं के निजी खर्चे, भत्ते तथा उनके रिश्तेदारों और सेवकों के भत्ते शामिल हैं।

आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि शायद आम लोगों को यह बात मालूम न हो कि हमारे सूबे और देश में रियासतों का विलीनीकरण कैसे हुआ। इसमें तो बड़ी अच्छी बात है कि हमने रियासतों को विलीन कर दिया। लेकिन यह कैसे हुआ है अगर इस पर गौर करेंगे तो वहां पर प्रतिक्रियावादिता की झलक दिखाई पड़ेगी । बनारस स्टेट के बारे में शायद मेरी जानकारी किसी से कम नहीं होगी किस तरह से महाराजा बलवन्त सिंह वहां पहुंचे क्योंकि मैं भी इसी खान्दान में पैदा हूं । शुरू शुरू में नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में ठेकेदार हुये और तीन वर्ष तक मालगुजारी देना बन्द कर दिया। पहले पहल केवल गंगापुर में क़िला बना । बनारस स्टेट की जितनी आमदनी वसूल होती थी उससे ज्यादाआमदनी से ज्यादा पुलिस पर, फौज पर, शिक्षा पर और सड़कों वगैरा पर खर्च होता था । १९३२, ३३ और ३४ का बजट हमारे सामने था जब गोद का मामला चल रहा था। तो एक रिश्तेदार गोद ले लिये गये और वह बनारस की गद्दी पर आसीन हो गये। पहिले जब रियासत की आमदनी से खर्च की पूर्ति नहीं होती थी और उनको कर्जा लेना पड़ता था।

अध्यक्ष---माननीय सदस्य से मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी प्रिन्स के संबंध में, जिसका संबंध गवर्नमेंट आफ ईंडिया से है, उनके बारे में अथवा उनकी मान मर्यादा के बारे में इस भवन में इतनी घरेलू बातों का डिटेल्स में जिक्र करना, जिससे उनके अपमानित होने की कोई प्रक्रिया होने की संभावना हो, उचित न होगा। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण ---आदरणीय स्पीकर महोदय, मेरा कतई इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं है । अनुदान में लिखा हुआ है कि विलीनीकृत रियासतों के राजाओं के लिये और उनके रिश्तेदारों तथा सेवकों के भत्ते वगैरा के लिये यह रकम है। इसमें

यह लिखा हुआ है इसलिये मैं आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं। यदि यह न लिखा होता तो कोई बात न होती। आदरणीय स्पीकर महोदय, जब यह रियासत विलीन नहीं हुई थी तो स्टेट के खर्चे की स्टेट की आमदनी से पूर्ति नहीं होती थी, और आज कुल रकम मिला कर ३,८०,००० रुपया राजा साहब को सालाना दिया जाता है। इसके अलावा उनके रिश्तेदारों और सेवकों के भत्ते का इन्तजाम होता है। जब हमारे देश में गरीबी हो, भुखमरी हो, और असंख्य परिवार भूख की भट्टी में जल रहे हों और दिन प्रति दिन अखबारों में भूख मृत्यु के समाचार आ रहे हों तो ऐसे समय में इस अनुदान के जरिये राजा साहब को तथा उनके रिश्तेदार और सेवकों को इस तरह से रुपये दिये जाने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपके द्वारा अत्यन्त नम्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि यह पैसा किसके खून से दिया जायगा। आज स्टेट में चकिया है और भदोई है वहां के किसान बड़े परेशान हैं। वहां पर सोशलिस्ट पार्टी ने और प्रगतिशील विचार के लोगों ने जो पहिले कांग्रेस में सम्मिलित थे उन्होंने तीन बार आन्दोलन किया, लेकिन उसको दबा दिया गया। जब अंग्रेजी हुकूमत हिन्दुस्तान से चली गई और उसका राजमुकुट लंदन चला गया तो यहां के राजाओं की क्या हस्ती थी कि वे प्रजा की इच्छा के विरुद्ध अपनी हुकूमत को लादते चलते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा चार्ज है कि बनारस स्टेट तथा अन्य रियासतों के आन्दोलन को इस प्रकार सरकार ने दमन किया और दमन करके राजाओं नवाबों से अपवित्र गठबंधन किया और अब उनके ऊपर जनता की आमदनी से रकम खर्च की जाती है। क्या इसी तरह से विषमता को मिटाने वाले समाज का निर्माण होगा यह मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आपने हमसे पहले ही कहा कि इसमें थोड़ा समय लगे इसलिये मैं थोड़ा ही समय लेना भी चाहता हूं और बैठ भी जाता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस अनुचित्तरीके पर खर्च की जाने वाली रकमें किसी भी अनुदान के जरिये हमारे मत से पास हो या हमारा मत किसी भी अपवित्र काम के पक्ष में हो। हम चाहते हैं कि समाज की विषमता को मिटाने के लिये, शोषण विहीन समाज, प्रगतिशील समाज के उत्थान के लिये जितनी भी रकम, इससे दूनी रकम मांगी जाय तो हम उसको देने के लिये तैयार हैं लेकिन किसी प्रतिक्रियावादी ढांचे को कायम रखने के लिये अगर एक पैसे की भी मांग की जाय तो उसको देना हम पाप समझते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंन्त)—दो बातें यहां पर कही गयीं जिनके बारे में कुछ थोड़े थोड़े से शब्द कहना आवश्यक मालूम होता है। जहां तक किसी रुपये के देने या न देने की बात है इसके संबंध में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस पर कई दिन तक वादविवाद हो चुका है। उसके संबंध में कुछ कहना अनावश्यक है।

मगर यहां कुछ आडिटर की रिपोर्ट के बारे में कहा गया। मैं बताना चाहता हूं कि यह जो ऐप्रोप्रिएशन अकाउन्ट होते हैं वह पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने जाते हैं और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी उनको देखती है और जो आबजेक्शंस (आपत्तियां) रह जाते हैं ए० जी० उन पर भी विचार करता है और उसका कारण पूछता है। इस रिपोर्ट को आये हुये कुछ थोड़े ही महीने हुये हैं। कितने ही दिनों तक आबजेक्शंस चलते रहते हैं और जो कुछ जानकारी की जरूरत होती है वह ए० जी० को करायी जाती है। इस तरह से यह आब्जेक्शंस थोड़े समय के बाद दूर हो जाते हैं। ज्यादातर यह आब्जेक्शंस टेकनिकल टाइप के होते हैं जैसे कहीं तारीख लिखनी है उसके लिये लाइन बनी है और वह तारीख उसके नीचे लिख दी जाती है। तो वह भी एक आब्जेक्शन हो जाता है। ज्यादातर इसी तरह के आब्जेक्शंस होते है जैसा मैंने बतलाया चन्द महीने हुये जब यह रिपोर्ट निकली थी। उस वक्त १९, ६४१ आब्जेक्शंस थे और रकम १४ करोड़ के करीब थी। एक दो महीने बाद आप देखेंगे कि वह आब्जेक्शंस १९,६४१ के बदले १०,९५२ और रकम १४ करोड़ के बजाय ४ करोड़ ५० लाख रह गयी। तो इसी तरह से यह आब्जेक्शंस घटते जाते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि तीन चौथाई रकम खत्म हो गयी और सिर्फ ४ करोड़ के करीब

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

रह गयी। रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि जहां तक रकम के मिसएप्रोप्रिएशन या मिसयूज (दुरुपयोग) का सवाल है कुल रकम में से ज्यादा से ज्यादा एक लाख से ऊपर की रकम नहीं हो सकती जो कि आबजेक्शनेबिल है जो मिसयूस की गयी हो। इसत रह से आप देखेंगे कि ज्यादातर आब्जेक्शंस टेकनिकल ग्राउंड्स (आपत्तियां विशेष आधार) पर होते हैं और जितने भी आबजेक्शंस आये हैं जैसे मैंने आपसे कहा आधे से ज्यादा अबतक डिसपोज आफ (उत्सर्जित) हो चुके हैं और मैं समझता हूं कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटीके सामने जब तक यह जायेंगे तब तक मुमकिन है कि शायद दो चार या दस पांच रह जायं। नहीं तो यह सभी आब्जेक्शंस साफ हो जायेंगे। जिनको इस बात का अनुभव है वह जानते हैं कि यह टेकनिकल बात है और इसको धांधली नहीं समझा जाता। यह धांधली शब्द कुछ अच्छा नहीं लगता है मगर यह किसी किस्म की धांधली नहीं है। यह तो ज्यादा से ज्यादा आदमी कर सकते हैं। नियम के अन्दर अगर कहीं भी एक छोटी सी गलती रह जाय तो उस पर यह आब्जेक्शन कर सकता है। इसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। यह अकाउन्ट वालों की एक बात होती है कि कहीं पर कमी नही करना चाहिये यह बात राजनारायण जी ने कही थी। अगर यह सब उनको मालूम होता तो वह इतनी थपकी न खाते जितना कि उनको यह लगते हुये मालूम होती हैं।

दूसरी बात विलीनी-करण के बारे में कही गई। रिश्तेदारों के लिये इसमें रकम दी गई है। वह तो यह समझते हैं कि यह विलीनीकरण की नीति ही गलत थी। इसके बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं है जिन्होंने विलीनीकरण किया और उन्होंने जो कुछ यह किया मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। मैं समझता हूं कि संसार में एक ऐसी बात हुई बगैर एक बूंद निकले हुये हमारे यहां ७ करोड़ निवासियों को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। उस महापुरुष सरदार पटेल का नाम स्वर्णाक्षरों में हमारे देश में सदैव लिखा रहेगा। उसके प्रति कृतज्ञता हम प्रकट करते हैं कि यह काम उनके द्वारा इतना बड़ा हुआ कि जिससे सारा देश एक हो गया और उस बड़े काम की सराहना हम करते हैं। उनके प्रति अपने हृदय से श्रद्धांजलि देनी चाहिये। उनका आदर रखना चाहिये और इस बात का संकल्प करना चाहिये कि जो कार्य वह कर गये हैं उसको बनाये रखेंगे और देश की एकता को बनाये रखेंगे जो कि हमारे देश के इतिहास में अशोक के जमाने से पूरा नहीं हुआ था और कभी नहीं हुआ था वह कांग्रेस गवर्नमेंट ने और सरदार पटेल ने करके दिखा दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पुरी से द्वारिका तक सारा देश एक कर दिया। यह एक महान् कार्य हुआ है जिसके लिये एक आदर, सम्मान और प्रशंसा का भाव हमारे अन्दर होना चाहिये। जहां तक इन रकमों का ताल्लुक है यह जो ट्रिटी सन्धि हुई थी उसके मुताबिक़ यह रकमें तय हुई थीं और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उस ट्रीटी (सन्धि) के मुताबिक काम किया। वायदे किये गये उनको कांस्टीट्यूशन में भी माना गया है और उनको कांस्टीट्यूशन में भी रखा गया है कि यह बातें कायम रहेंगी। जहां तक राजा और नवाबों के प्राइवी पर्स का मामला है वह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया अपने खजाने से देती है। लेकिन जहां तक और रिश्तेदारों का ताल्लुक है उनमें ऐसे लोग भी हैं जो पहले कुछ वहां से पाते थे उसमें विधवायें हैं, मस्जिद हैं, मंदिर हैं या अन्धे हैं या इसी तरह से और हैं। उनकी रक्षा के लिये यह रुपया दिया जाता है। जहां तक इस खर्चे का ताल्लुक है यह प्राविन्शियल गवर्नमेंट देती है और इस कारण हम इस रकम को देते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हम वायदा करते हैं और इक़रार करते हैं उसको पूरा करना है। जब देश की तरफ से यह कहा गया कि यह दिया जायगा तो देना चाहिये। इसके बारे में मन में भी ऐसी बात रखना जो उनके साथ सुलह हुई है और संधि हुई है उसके विपरीत जाता है। वह सज्जनता की बात नहीं है। इसलिये हमने इसके अनुसार जो वायदा किया था और जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इन्तजाम किया था उसके मुताबिक करते हैं परन्तु हम इस बात को जब देखते हैं तो हमें सारी बात को सामने रखना चाहिये। उन राजाओं और नवाबों के हाथ में करोड़ों रुपया आता था, जिसको चाहे फांसी देने के अधिकार थे और जिस तरह से चाहें कुछ भी रियासतों में कर सकते थे और जिस तरह से तमाम भारी सत्ता और इतनी सम्पत्ति उनसे सब ले ली गई और ऐसी अवस्था में अगर उनको कुछ थोड़ा सा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दे भी दिया गया तो

उसके लिये अब संकोच करना और ऐसा समझना बड़ा अनर्थ और अन्याय ही मानना पड़ेगा। यह देखने की बात है, अगर अच्छी तरह से देखा जाय तो कितनी बड़ी चीज किस ढंग से समझा बुझाकर ली गई वह सराहनीय बात है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इन बातों की अब कोई गुंजाइश नहीं है।

जहां तक लकड़ियों की बात है वह एक बहुत लम्बी चौड़ी बात है। यह लकड़ी की बात ऐसी है जो इस समय जब बजट का वाद विवाद खत्म हो रहा है नहीं होनी चाहिये। मैं सारे सदन का बहुत कृतज्ञ हूं और आभारी हूं कि उनके सहयोग से बजट का वादविवाद समाप्त हुआ और मैं सदन से आशा करता हूं कि यह जो एप्रोप्रियेशन बिल पेश है उसे वह स्वीकार करेगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

शीर्षक, प्रस्तावना, खंड १—३ और अनुसूची

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक

३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५२-५३ के लिए १,४९,२४,५९,१०० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के सम्बन्ध में करने पड़े, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९५२ (१९५२ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३) की अनुसूची के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट धनराशियां भी हैं)] १,४९,२४,५९,१०० रु० (एक अरब, उनचास करोड़, चौबीस लाख, उनसठ हजार, एक सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उन उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क—राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउण्ट) वाले व्यय			
१	कृषि आय-कर (ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) की उगाही (कलेक्शन) पर व्यय	२,८७,२००	—	२,८७,२००

अनुदान सेवायें और प्रयोजन संख्या (सर्विसेज एंड पर्पज़ेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
	रु०	रु०	रु०
२ मालगुजारी	२,२८,०८,२००	—	२,२८,०८,२००
३ राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	९१,३२,२००	—	९१,३२,२००
४ स्टाम्प	४,८३,५००	—	४,८३,५००
५ वन (फ़ारेस्ट)	१,२१,२४,२००	—	१,२१,२४,२००
६ रजिस्टरी	१३,३२,८००	—	१३,३२,८००
७ मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	५५,१६,०००	—	५५,१६,०००
८ अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय	२६,२३,४००	—	२६,२३,४००
९ राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण-कार्य	२,८८,४६,०००	—	२,८८,४६,०००
१० सिंचाई (इरिगेशन) और जल-विद्युत स्थापना (हाईड्रो एलेक्ट्रिक इस्टैब्लिशमेंट) पर व्यय	२,६३,००,२००	—	२,६३,००,२००
११ सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	२,७८,४४,६००	९,७६,९००	२,८८,२१,५००
१२ कमिश्नरों और जिला प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय	२,६१,४४,०००	—	२,६१,४४,०००
१३ गांव सभाएं और पंचायतें	८७,०२,७००	—	८७,०२,७००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज़ ऐंड पर्पजेज़)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१४	न्याय प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस)	१,१८,७३,४००	२४,७६,४००	१,४३,४९,८००
१५	जेल	१,१३,०८,७००	—	१,१३,०८,७००
१६	पुलिस	७,११,४१,०००	—	७,११,४१,०००
१७	वैज्ञानिक विभाग (साइन्टिफ़िक डिपार्टमेंट्स)	३५,०००	—	३५,०००
१८	शिक्षा	८,११,१२,८००	—	८,११,१२,८००
१९	चिकित्सा (मेडिकल)	२,३६,२४,१००	—	२,३६,२४,१००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	१,०७,६३,६००	—	१,०७,६३,६००
२१	कृषि सम्बन्धी विकास और खोज (ऐग्रिकल्चरल डेवलपमेंट ऐंड रिसर्च)	१,६७,१६,७००	—	१,६७,१६,७००
२२	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐंड कालोनाइज़ेशन)	२,०३,९४,३००	—	२,०३,९४,३००
२३	ग्राम सुधार (रूरल डेवलपमेंट)	—	—	—

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२४	पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी)	१,०६,३५,०००	—	१,०६,३५,०००
२५	विद्युत योजनाओं पर व्यय	९६,७३,७००	—	९६,७३,७००
२६	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	१६,०७,३००	—	१६,०७,३००
२७	सहकारिता के आधार पर ऋण	७१,९२,६००	—	७१,९२,६००
२८	उद्योग	९४,०५,०००	—	९४,०५,०००
२९	श्रम (लेबर) और संख्या	२३,३२,६००	—	२३,३२,६००
३०	वाहन (ट्रांस्पोर्ट) विभाग	३,४३,५४,७००	—	३,४३,५४,७००
३१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	३,०२,७१,०००	३,४९,२००	३,०६,२०,२००
३२	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित)	२३,४०,६००	—	२३,४०,६००
३३	सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय	३९,२४,०००	—	३९,२४,०००
३४	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ़ सिविल वर्क्स)	३८,०१,४००	—	३८,०१,४००
३५	दुर्भिक्ष सहायता (फ़ैमीन रिलीफ)	१७,४६,१००	—	१७,४६,१००
३६	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	७,८८,५००	—	७,८८,५००

विधान सभा

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रू०	रू०	रू०
३७	बढ़ौती (सुपरऐनुएशन) भत्ते और पेंशनें	१,८९,३६,९००	१,४०,०००	१,९०,७६,९००
३८	लेखन सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई	७८,५३,४००	—	७८,५३,४००
३९	विविध व्यय (मिसलेनियस चार्जेज)	५,६०,५५,४००	—	५,६०,५५,४००
४०	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान	४९,६१,७००	—	४९,६१,७००
४१	असाधारण व्यय (एक्स्ट्रा-आर्डिनरी चार्जेज)	३,५६,६६,१००	—	३,५६,६६,१००
४२	योजना और एकीकरण	३७,२४,६००	—	३७,२४,६००
	ऋण (डेट) और अन्य दायित्वों (आब्लिगेशन्स) पर ब्याज	—	२,२०,१५,४००	२,२०,१५,४००
	ऋण को कम करना (रिडक्शन) या उससे बचना (अवायडेंस)	—	२०,३१,४९,८००	२०,३१,४९,८००
	योग 'क'	६६,४३,८५,२००	२२,९१,०७,७००	८९,३४,९२,९००

ख—राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय

४३	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई और जल-विद्युत कार्यों (हाइड्रो एलेक्ट्रिक वर्क्स) का सम्पादन	७,५०,०३,६००	—	७,५०,०३,६००
४४	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले)	२,२४,००,०००	—	२,२४,००,०००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४५	औद्योगिक विकास (इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट)	१,२५,६३,०००	—	१,२५,६३,०००
४६	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले)	१,८०,१०,२००	—	१,८०,१०,२००
४७	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत	७९,६७,०००	—	७९,६७,०००
४८	कृषि इंजीनियरिंग सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐंड रिहबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत	१,४९,४२,३००	—	१,४९,४२,३००
४९	पेंशनों की संराशि (कम्युटेड वैल्यू आफ पेंशन्स)	१९,६०,०००	१७,५००	१९,७७,५००
५०	राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेनिंग) की योजनाएं	४०,६५,७८,९००	—	४०,६५,७८,९००
	योग 'ख'	५५,९४,२५,०००	१७,५००	५५,९४,४२,५००
	ग—ऋणों और अग्र-ऋणों (लोन्स ऐंड ऐडवांसेज) का भुगतान (डिस्बर्समेंट)			
५१	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (ऐडवांसेज)	३,९५,२३,७००	—	३,९५,२३,७००
	योग 'ग'	३,९५,२३,७००	—	३,९५,२३,७००
	कुल योग	१,२६,३३,३३,९००	२२,९१,२५,२००	१,४९,२४,५९,१००

विधान सभा

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ से ३, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) को पारित किया जाय।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर सोमवार, २८ जुलाई, १९५२, के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२६ जुलाई, १९५२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू२ पी० ए० पी० ६७ एल० ए०—१९५२—८५०